लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit
F. migrated
On 28-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

PRICE TWO RUPEES

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 2 अगस्त, 1974/11 श्रावण 1896 (शक)

No 10, Friday, August, 2, 1974/Sarvana 11, 1896 (Saka)

ता० प्रा० संख्या प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

S.Q. No.	विषय	Subject	PAGES
181	इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी	Lockout in Indian Airlines . .	2—6
182	विदेशी पर्यटकों का सरकारी होटलों में ठहरना	Occupancy of Government Hotels by Foreign Tourists . .	6—10
184	अहमदाबाद में असैनिक हवाई अड्डे पर 'टर्मिनल' इमारत का निर्माण	Construction of Terminal building at Civil Aerodrome, Ahmedabad .	10—11
185	भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चालित होटलों और रेस्टोरेन्टों के नाम लाभ-हानि की स्थिति	Financial performance of the Hotels and the Restaurants run by I.T.D.C.	11—14
188	वित्त मंत्री की रूस और चेकोस्लोवाकिय की यात्रा	Finance Minister's Visit to USSR and Czechoslovakia . . .	14—15
189	"डिस्कवर इंडिया एयर टिकट्स फार टूरिस्टस" पयटकों के लिये भारत देखिये वायुयान टिकट जारी करना	Introduction of Discover India Air Tickets for Tourists . . .	15
190	पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त चाय बागानों को अधिकार म लेने क लिये एक नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनी की स्थापना	Setting up of a Holding Company for taking over of sick Tea Gardens in West Bengal . .	16—17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS	
183	वेतनमानों में कुछ असंगतियों के संबंध में काफी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Submission of a Memorandum by Coffee Board Employees regarding certain anomalies in Pay Scales . . .	17—18

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव म पूछा था ।

The Sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता॰ प्रा॰ संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
186	नागर विमानन दुर्घटनाओं के संबंध में एक-एक स्वतंत्र दुर्घटना जांच आयोग की स्थापना करने का निर्णय	Decisions on setting up of an independent Accident Investigation Commission on Civil aviation mishaps.	18
187	भारतीय मजदूर संघों को इंटरनेशनल कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स द्वारा भेजा गया दान प्राप्त करने की अनुमति न दिया जाना	Denial of permission to Indian Trade Unions to receive Donation sent by International Confederation of Trade Unions . . .	18
191	छोटी वचत योजनाओं को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Small Saving Schemes	18—19
192	पटसन निर्यातकों द्वारा कम राशि के बीजक बनाये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to invoice Manipulation by Jute Exporters . . .	19
193	बड़े व्यापार गृहों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना	Providing of Financial Assistance by Banks to big Business Houses	19
194	वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Ministers and Officials of Finance Ministry .	20
195	अमरीकी फर्म द्वारा आय कर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by American Concern .	21
196	परामर्शदात्री सेवाओं का निर्यात	Export of Consultancy Services	21—22
197	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	22—23
198	विभिन्न मंत्रालयों की वित्तीय प्रशासन प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन	Proposed Change in the System of Financial Administration of various Ministries	23
199	कम्पनियों द्वारा बार-बार बोनस शेयर जारी किये जाने पर प्रतिबंध	Restrictions on the Frequency of issue of Bonus Shares by Companies .	23—24
200	मशीनरी की सप्लाई के लिए जनरल मोटर्स (अमरीका) तथा जे॰ के॰ ग्रुप (भारत) के बीच करार	Agreement between General Motors U. S. and J. K. Group India for supply of Machinery	24
अता॰प्र॰ संख्या U.S.Q. No.			
1373	तेल के आयात के लिये सयुक्त राष्ट्र निधि से सहायता का उपलब्ध होना	Availability of Assistance from U.N. Fund for Oil Import . . .	24

अता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1374	अखबारी कागज के मूल्यों में और वृद्धि	Further hike to the prices of News print . .	25
1375	सरकार, रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी संगठनों से व्यापार पाने वाली लेखा परीक्षक फर्में	Auditors Firms getting Business from Government Reserve Bank and other Government Organisations . .	25—26
1376	रबड़ के बागान पुन: लगाने के लिये आर्थिक सहायता की दर	Rate of Subsidy for Replanting Rubber . .	26
1377	कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाना	Raising of Capital by Companies . . .	26—27
1378	राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of D.A. to State Government Employees	27—28
1379	राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का पर्यटन विषय प्रतिवेदन	Report of National Council of Applied Economic Research on Tourism	28
1380	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को मंजूर की गई अनुदानें	Grants sanctioned to Engineering Export Promotion Council .	28—29
1381	रीजनल डिजाइन सेन्टर के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को नौकरी से निकालना	Termination of Services of Qualified Personnel of Regional Design Centre . . .	29
1383	तेल संकट के कारण सेवा में न लिये गये विमान चालक	Pilots who could not be absorbed due to Fuel crisis . . .	29—30
1384	मिश्रित धागे और कपड़ों का निर्यात	Exports of blended Yarn and Fabrics . .	30
1385	अधिवर्षता तथा उपदान निधियों के पूंजी निवेश को एक समान पद्धति	Uniform pattern of investment for recognised superannuation and gratuity funds . . .	30—31
1386	हवाई अड्डों का विस्तार	Expansion of Airports .	31
1387	गंगानगर में मिलावट वाली चाय का पकड़ा जाना	Seizure of adulterated Tea in Ganganagar	31—32
1388	सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच हुआ समझौता	Negotiated Settlements between Labour and Management in Public Sector Undertakings .	32—34
1389	विदेश गए शिष्ट मंडल	Delegations gone Abroad	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1390	भारत को निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned as a result of India's Exports . . .	34—35
1391	रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त ओवरड्राफ्ट की राशि के भुगतान के लिये बिहार द्वारा मांगा गया ऋण	Loan Demanded by Bihar to Cover Overdraft from R.B.I. . .	35
1392	पर्यटकों को लद्दाख की यात्रा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव	Proposal to open Ladakh for Tourists . .	35—36
1393	सूती कपड़े के निर्यात कर्ताओं के लिये अधिक नकद सहायता	Increased Cash Subsidies for Cotton Textile Exporters . . .	36
1394	पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि	Rise in Trade with East Europe . . .	36—37
1395	भारत और मलेशिया के बीच नई विमान सेवाएं	New Air Services between India and Malaysia	37
1396	चमड़ा उद्योग के लिये कच्चे माल का उपलब्ध न होना	Non Availability of Raw Materials for Leather Industry . . .	37—38
1397	केरल-कर्नाटक सरकारों द्वारा जारी किये जाने वाले चैकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंगलौर स्थित अपने कार्यालय को दिये गये निदेश	Directions given by RBI to its Bangalore Office in regard to cheques issued by Kerala and Karnataka Governments . . .	38—39
1398	कर्नाटक के बेलारी तथा काकीनाड़ा स्थानों में जाली नोटों की बरामदगी	Recovery of Fake Currency Notes in Belari and Kakinada in Karnataka.	39
1399	राज्यों पर बकाया केन्द्रीय ऋण	Central Loan Outstanding Against States . .	39—40
1400	रूई के आयात को प्रोत्साहन न देना	Discouraging Imports of Cotton . . .	41
1401	पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात बढ़ाना	Stepping up Exports to West Asian Countries	41
1402	फसल बीमा के ढंग का परीक्षण करने हेत समिति का गठन	Setting up of a Committee to Examine Pattern of Crop Insurance . .	41—42
1403	ईरान से ऋण के लिये पेशकश	Offer for credit from Iran .	42
1404	भारत में कपड़े का मूल्य	Cloth Price in India	42—43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1406	विदेशी यात्रियों के लिये लैंडिग परमिट में ढील देना	Relaxation in landing permits for Foreign Visitors . . .	43
1407	इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा बनाये जाने वाले सामान का निर्यात	Export of equipment manufactured by Indian Telephone Industries .	43—44
1408	नेशनल राइफल एसोसियेशन द्वारा राइफलों का आयात	Import of Rifles by National Rifles Association . .	44
1409	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किये गये 'ट्रेवलर्स चैकों' का भुगतान	Encashment of Travellers Cheques issued by Nationalised Banks .	44—45
1410	सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों में रूसी विशेषज्ञ	Soviet Exports in Public and Private Undertakings . . .	45
1411	भारत से चांदी की तस्करी	Smuggling of Silver out of India . . .	45—46
1412	निर्यात कपड़े की वितरण व्यवस्था में किये गये अतिरिक्त प्रबन्ध	Additional Arrangements made in distribution Machinery of Control Cloth . . .	47—48
1413	हंगरी को निर्यात तथा वहां से आयात	Exports to and Imports from Hungary . .	48
1414	बैंकों से लिये गये सावधिक ऋणों को चुकाने के मामलों में दोषी	Cases of defaults on Repayment of Term Loans from Banks . .	49
1415	इंडियन एयर लाइंस के विमानों द्वारा माल को लाने ले जाने में विलंब	Delay in Handling with Air Cargo by Indian Airlines . . .	49
1416	भारत कर. भुगतान-शेष	Indians Balance of Payment . .	50
1417	भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग	Bilateral Economic Co-operation between India and Japan . .	50—51
1418	मध्यम दर्जे के रेशे वाली रूई का आयात	Import of Medium Staple Cotton . . .	51
1419	विक्री क लिये काफी का पर्याप्त् मात्रा में न दिया जाना	Non Release of Adequate Quantity of Coffee for Sale . . .	51
1420	काफी का काफी बोड के माध्यम से निर्यात करना	Canalising Exports through Coffee Boar . .	51—52

अ॰ता॰ प्र॰ संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1421	बिहार में 'अहिल्य स्थान गोतम कुंड' आदि स्थलों का पयटक कन्द्रों के रूप में विकास करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to develop Ahiyasthan, Gautam Kund etc. in Bihar as Tourist Centres . . .	52
1422	उत्तर बिहार में राष्ट्रीयकृत बकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in North Bihar . .	52
1423	बिहार में कम्पनियों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Companies in Bihar . . .	53—54
1424	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण	Loan from IMF . .	54
1425	करल के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Rural and Tribal Areas of Kerala . . .	54—55
1426	केरल म पयटन का विकास	Development of Tourism in Kerala . . .	56
1427	केरल क ग्रामीण क्षत्रों म स्टेट बक आफ इंडिया की शाखाओं का कायकरण	Functioning of Branches of State Bank of India in Rural Areas of Kerala	56
1428	दक्षिण-पूर्व एशिया क देशों क साथ संयुक्त उद्यम	Joint Ventures with Countries in South East Asia . . .	56—58
1429	बिहार की यात्रा करन वाले पयटकों की संख्या	Number of Tourist Visiting Bihar . . .	58—59
1430	केन्द्रीय करों से राजस्व में कमी	Shortfall in Revenue from Central Taxes . .	59—60
1431	भारत-श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता	Indo-Sri Lanka Trade Talks . . .	60—61
1432	सूती कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन	Production of Cloth by Cotton Textile Mills .	61
1433	गोविन्द सागर झील (हिमाचल प्रदेश) में मोटर नौकाएं चलाना	Commissioning of Motor Launches in Gobind Sagar Lake (Himachal Pradesh) . . .	61
1434	राज्यों की राजधानियों का नई दिल्ली के साथ विमान सेवाओं द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to Air Link State Capitals with New Delhi	61—62
1435	शिमला के निकट एक हवाई अड्डा बनाया जाना	Setting up of an Aerodrome near Simla	62

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1436	भैंस के मास का निर्यात	Export of Buffalo Meat .	63
1437	पटसन निर्यात संबंधी संयुक्त नीति के बारे में भारत बंगलादेश शिखर सम्मेलन	Indo-Bangladesh Summit on Joint Jute Export Strategy . . .	63
1438	बोलगा रेस्टोरेन्ट के नाम आयकर तथा धन कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax and Wealth Tax against Volga Resaurant .	63—64
1439	आन्ध्र के बुनकरों द्वारा सूत की मांग	Demand for yarn by Andhra Weaves . .	64
1440	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक संगठन में परिणत करना	Converting of All India Handloom Boar into a Statutory Organisa-tion	65
1442	इलाहाबाद बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को दिया गया ऋण	Advance by Allahbad Bank to U.P. Electrity Board	65
1443	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नलकूपों के लिये धनराशि देना	Allocation of Funds by Nationalised Banks fo tube wells .	65—66
1444	न्यूयार्क में भारतीय पर्यटन अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Indian Tourism officials in New York . . .	66—67
1445	बिहार में उद्योगपतियों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Industrialists in Bihar . . .	67—68
1446	अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्थिति की प्रवृति पर मुद्रा प्रसार का प्रभाव	Impact of monetary ex-pansion on the Infla-tionary trends of eco-nomy . . .	68—69
1447	राज्यों के गैर-योजना खर्च में कटौती	Cut in non plan expendi-diture of States . .	69
1448	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रतलाम जिला (मध्य प्रदेश) में ऋण देना	Loans by nationalised banks in Ratlam District (Madhya Pradesh) .	70
1449	ऋण पर रोक लगाने सबंधी नई मिद्रिक नीति	Introduction of new monetary policy for squeezing credit .	70—71
1450	तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा वरिष्ठ संवर्गों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव	Discrimination suffered by senior cadres of Central Secretariat Service as a result of implementation of Third Pay Commission Report	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1451	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण पर रोक की नीति	Credit squeeze Policy of R.B.I.	72—74
1452	धवन समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Dhawan Committee Report . .	74
1453	कोलम्बो योजना के अंतर्गत विदेशों को भारत की सहायता	India's Aid to Foreign Countries under Colombo Plan . .	75
1454	तटीय तथा सीमावर्ती क्षत्रों में तस्करी को रोकने के लिये की गयी कार्यवाहियां	Steps to check smuggling in coastal and Border Areas . . .	75—76
1455	पटसन के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase price of jute . . .	77
1456	धागे की अनुपलब्धता के कारण नौगाछिया और बिहपुर बिहार के बुनकरों में भुखमरी	Starvation among Weavers of Naugachiya and Vihpur (Bihar) due to non availability of Yarn . . .	77
1458	मोतिया खान, नई दिल्ली में पाया गया लावारिस इस्पात बिलट तथा धातुपिंड	Unclaimed Steel, Billets and Ingots found in Motiakhan, New Delhi .	77—78
1459	बम्बई के ताजमहल होटल में जाने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध	Restrictions on persons visiting Taj Mahal Hotel Bombay . .	78
1460	व्यापार विकास प्राधिकरण के माध्यम से निर्यात की गयी वस्तुएं	Items of Products Exported through the Trade Development Authority	78—80
1461	वर्ष 1974-75 में विदेशी सहायता	Foreign Assistance in 1974-75 . . .	80
146	वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों के एक ही नगर में जमाव का विरोध करते हुए व्यक्त की गई कठिनाइयां	Grievances voiced against concentration of Head Offices of Financial Institution in one City .	81—82
1,4	उत्तर बिहार में एक कपड़ा मिल की स्थापना	Setting up of a Textile Mills in North Bihar .	82—83
465	50 प्रमुख ऋण प्राप्त कर्ताओं के लेखों की जांच के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया का निदेश	Directives issued by R.B.I. regarding probe into accounts of 50 top borrowers . . .	83
1466	विद्युत् चालित करघों से कपड़ा मिलों और हथकरघा बुनकरों को हानि	Working of Powerloom to the disadvantage of Textile Mills and Handloom Workers . . .	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1467	केरल में हथकरघा उद्योग की समस्याएं	Problems Faced by Handloom Industry in Kerala	84—85
1468	वरकला का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Varkala as a Tourist Centre .	85
1469	दिल्ली के इस्पात व्यापारियों के बैंक लाकरों के निरीक्षण के समय आयकर अधिकारियों पर हमला	Assault on Income Tax Officials during Inspection of Bank Lockers of Steel Dealers, Delhi	85—86
1470	सीमेंट का निर्यात	Export of Cement . .	86
1471	जब्त किये गये उस तस्करी के माल में राज्यों का हिस्सा जो उनके अपने-अपने क्षेत्रों में पकड़ा गया	Share of States in confiscated goods seized in their respective territories	87—88
1473	देशीय तेल के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम की योजना	S.T.C.'s Scheme for export of indigenous oil . .	88
1474	वन्य जीवन पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव	Proposal to promote wild life tourism . .	88—89
1475	पर्यटन सुविधाओं की जांच के लिये पृथक सैल बनाये जाने का प्रस्ताव	Proposal to create separate cell to inspect tourist facilities . . .	89
1476	बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys . .	90
1477	आवश्यक वस्तुओं की चोर-बाजारी को रोकने के लिये भारतीय उपभोक्ता परिषद् से सुझाव	Suggestion from consumer council of India to check blackmarketing of essential commodities . .	90
1478	बम्बई गोदी (डाक) में क्षतिग्रस्त आयातित अखबारी कागज	Imported Newsprint Damaged at Bombay Docks	91
1479	औद्योगिक विकास के लिये विदेशों से ऋण	Loans from foreign countries for industrial development . . .	91
1480	भारत में विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of foreign banks in India .	92
1481	इंडियन एयरलाइंस के लिये 'ग्राउंड हैंडलिंग' उपकरण की खरीद के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट	CBI report on purchase of ground handling equipment for Indian Airlines	92
1482	रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना के आकस्मिक निधि के लिये आवंटित धन-राशि	Funds allotted on contingency in the Office of CDA Patna . .	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	94
	भारतीय तेल निगम के श्री सी० आर० दास गुप्ता द्वारा पाइपलाईन जांच आयोग को दिया गया शपथ-पत्र	Affidavit filed by Shri C.R. Das Gupta of I.O.C. before the Pipelines Inquiry Commission .	94
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	94—96
	अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	97
	पंजाब में दानेदार मिट्टी को उर्वरक के रूप में बेचने का कथित घोटाला	Reported racket in which granulated mud was sold as fertilisers in Punjab .	97
	श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh .	97
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subrahmaniam	97
	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit . . .	101
	10वां प्रतिवेदन-प्रस्तुत किया	Tenth Report-Presented .	101
	सभा का कार्य	Business of the House	101
	श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	101
	हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में	Re. Atrocities on Harijans	107
	कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	107
	विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by the Joint Committee . . .	107
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale .	107
	श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	109
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions . . .	110
	43वां प्रतिवेदन-प्रस्तुत किया गया	Forty-third Report—presented . . .	110
	लोक सभा के लिये नये चुनावों के बारे में संकल्प	Resolution Re. Fresh Elections to Lok Sabha	110
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
	श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	114
	श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. Madhukar	115
	श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K.L. Bhagat	116
	श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	116
	श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	117
	श्री ज० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	118
	पंडित डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary .	119
	श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye .	119
	श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	120
	श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	120
	श्री नारसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey . . .	121
	श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	121
	श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . . .	122
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	122
	श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey .	123
	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi . . .	123
	श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev . .	124
	श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit . .	124
	बैंको द्वारा 100 रु० के करेंसी नोटों को स्वीकार करने से इन्कार करके किये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Reported Refusal by Banks to accept Hundred Rupee Currency Notes	126
	श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chawan	126
	कृषि श्रमिक के बारे में संकल्प	Resolution Re. Agricultural Labour	128
	श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha	128

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 2 अगस्त, 1974/11 श्रावण, 1896 (शक)

Friday, August 2, 1974/Sravana 11, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to raise a point of order.

Mr. Speaker: Points of order are not raised in the Question Hour.

Shri Madhu Limaye : There is no alternative in the Procedure except to raise it at this time. I received five letters from the Secretariat. The letter says that it has not been found possible to admit your question, and no reason for disallowing the question has been given therein. I want to know the rule under which my question was disallowed.

Mr. Speaker : I am not allowing it.

Shri Madhu Limaye : But under what Rule. If you are doing it under Rule No. 41, it is acceptable to me otherwise not. It cannot be done in arbitrary manner.

Mr. Speaker : You should write to me about the matters relating to my Secretariat and it is the established convention and practice, which we are following in such matters.

Shri Madhu Limaye : This is the question of my rights and this matter is related to the Business of the House, you should fix a time for it.

Mr. Speaker : You should give me in writing. I will look into it and then tell you about the same.

इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी

***181. श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के संबंध में तालाबन्दी आदेश अभी भी लागू है ;

(ख) क्या तालाबन्दी की अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के प्रशासन, आय और उड़ान की सेवाओं के मामलों में सुधार किये गये हैं ; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स से तालाबन्दी हटाने के लिए सरकार ने क्या शर्तें रखने का विचार किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 15 कर्मचारियों को जिनमें 'एयर कारपोरेशनस एम्पलाईज़ यूनियन' के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं छोड़ कर शेष सभी कर्मचारियों के बारे में तालाबन्दी समाप्त कर दी गई है ।

(ख) जी, हां। अनुशासन एवं उपस्थिति के स्तर में अच्छा-खासा सुधार हुआ है। 1973-74 के लिये उपार-समय व्यय के रूप में 382 लाख रुपये की बजट व्यवस्था को कम कर के 264 लाख रुपये तक लाया गया है और आशा है कि 1974-75 में इस व्यय में और अधिक कमी कर के इसे लगभग 30 लाख रुपये तक लाया जायगा। 'कलैण्डर वर्ष 1973 में एयरलाइन्स का समय-पर-परिचालन करने का प्रतिशत 45.16 था जोकि 1974 के प्रथम पांच महीनों में सुधर कर 64.77 प्रतिशत हो गया है। तालाबन्दी से पूर्व उड़ान-कर्मियों के बारे में रात्रि-विश्रामों की संख्या प्रतिदिन 35 थी जो 18 मार्च, 1974 के बाद से कम होकर 12 प्रतिदिन रह गई है और इस से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग एक करोड़ रुपये की बचत होने की आशा है।

प्रबन्धक वर्ग ने वर्तमान प्रणालियों एवं कार्य-पद्धतियों का गहन अध्ययन करने व साधनों के अधिकतम उपयोग के निष्पादन हेतु सुधारों की सिफारिश करने के लिये स्वेच्छा से एक संगठन प्रणाली दल (आर्गेनाइजेशन सिस्टम ग्रुप) का गठन किया है।

सभी कर्मचारी एयरलाइन्स के कार्यचालन में सुधार लाने के लिये इन उपायों में सहयोग दे रहे हैं।

कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति काफी सुधार दर्शाती किन्तु विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण, जिस पर एयरलाइन्स का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा नहीं हुआ।

(ग) शेष 15 कर्मचारियों के बारे में तालाबन्दी इन कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर शपथपत्र दे देने पर, जैसा कि अन्य कर्मचारियों ने किया है, अथवा जब 'एयर कारपोरेशन यूनियन' का प्रबन्धक वर्ग के साथ कोई समझौता हो जाता है, समाप्त कर दी जायेगी।

श्री समर गुह : सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर श्री राज बहादुर द्वारा दिया जाना चाहिए था। वे दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे। मैं कामना करता हूं कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जायें। मैं आशा करता हूं कि श्री राजबहादुर के प्रति इन शुभ कामनाओं में सभा मेरे साथ है।

उत्तर में यह कहा गया है कि 'एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज़ यूनियन' के कुछ पदाधिकारियों सहित 15 कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों पर से तालाबन्दी उठा ली गई है। यह अभूतपूर्व उदाहरण है कि केवल 15 व्यक्तियों पर तालाबन्दी है। यह उसी प्रकार से है जैसे कि युद्ध समाप्त हो जाने पर भी राष्ट्रीय आपात स्थिति के बल भारत रक्षा नियमों का प्रयोग करने के लिए जारी रखी गई थी। एक ओर वे कहते हैं तालाबन्दी नहीं है। दूसरी ओर चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक श्री लाल ने जेनेवा में आई० ए० टी० ए० सम्मेलन में एक नया पद इसे दिया और उन्होंने इसे 'तकनीकी तालेबन्दी' की संज्ञा दी। मैं जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के किस उपबन्ध के अन्तर्गत व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए तालाबंदी की गई है? सम्पूर्ण उद्योग या विभाग के लिए तो तालाबन्दी की घोषणा समझ में आती है परन्तु केवल कुछ कर्मचारियों पर तालाबन्दी लागू करना एक नयी बात है, सच्चाई को छिपाना है। औद्योगिक विवादों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में, बिना राजपत्र में अधिसूचना किये और बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिए, परिवर्तन कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि क्या श्री लाल को जेनेवा सम्मेलन में अन्य संगठनों द्वारा यह बताया गया था कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में तालाबन्दी के कारण वे भारत को पर्यटक भेजने में असमर्थ हैं?

डा० सरोजिनी महिषी : चूंकि एयर कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन के साथ कोई करार नहीं हुआ है इसलिए वहां अभी तक 'तकनीकी' तालाबंदी है।

श्री एस०एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० सरोजिनी महिषी : सदस्यों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये किसी को भी नहीं बकसते। कम से कम उन्हे डा० सरोजिनी महिषी को सुनते समय धैर्य रखना चाहिए।

डा० सरोजिनी महिषी : तकनीकी दृष्टि से वहां तालाबंदी है। वहां 6 यूनियन और दो एसोसिएशन हैं। उनमें से लगभग सभी के साथ केवल एयर कारपोरेशनस एम्पलाईज यूनियन के 15 व्यक्तियों को छोड़कर, 18 मार्च 1973 तक करार हो चुके थे। इन 15 व्यक्तियों में से कुछ बीमार है, कुछ विदेश चले गये हैं, कुछ वे करार स्वीकार कर लिए हैं और केवल तीन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। विमान सेवाओं को सामान्य बनाने के लिए यह सोचा गया था कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्तर पर 'वचन' ले लिया जाये क्योंकि उनमें से अधिकतर और यूनियनें भी ऐसा वचन देने के लिए तैयार थीं। सेवाओं को सामान्य बनाने के लिए ऐसा वचन लिया गया क्योंकि ऐसा करना सगम था। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम बहुत पुराना हैं और उसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि उसमें ऐसे मामलों से निपटने के लिए उपबंध नहीं है जहां कार्य वस्तुतः बिल्कुल ठप्प हो जाता है। (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें और मंत्री महोदय को सुनें। आप अनुपूरक प्रश्नों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह कहती हैं कि अधिनियम में संशोधन किया जाने वाला है। उसमें अभी तक संशोधन नहीं किया गया..... (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। आप में धैर्य नहीं है। आप मंत्री महोदय की बात सुनें।

डा० सरोजिनी महिषी : 10 दिसम्बर से यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी और एक यूनियन को छोड़कर शेष सभी के साथ समझौते हो गये थे परिणामत: तकनीकी दृष्टि से तालाबन्दी नहीं उठाई गई। माननीय सदस्यों को पता है कि इंडियन एयरलाइन्स में सुधार हुआ है, समय-पालन में सुधार हुआ है, सेवा की शर्तों में सुधार हुआ है। जहां तक सेवा की शर्तों में परिवर्तन की बात है, इंडियन एयर-लाइन्स में सेवा की शर्तों और नियमों में समय-समय पर किये गये करारों के अनुरूप संशोधन होता रहता है। अब सेवा की शर्तों में इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है कि कर्मचारियों का किसी प्रकार से अहित न हो। अन्तिम प्रश्न के बारे में यह कहना है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री लाल ने जेनेवा में किसी सम्मेलन में भाग नहीं लिया है।

श्री समर गुह : क्या सरकार यह मानकर कि अधिनियम में संशोधन किया जायेगा, कोई भी काम कर सकती है और क्या ऐसा कार्य, अधिनियम में संशोधन किये जाने से पूर्व वैध माना जायेगा ? मंत्री महोदय ने इसी को आधार बनाकर तकनीकी दृष्टि से तालाबन्दी का औचित्य सिद्ध किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कानूनी रूप देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री समर गुह : दूसरी बात यह है कि यदि कोई सेवा सम्बन्धी नियम बदला जाता है तो इंडियन एयरलाइन्स अधिनियम के अनुसार उसके लिए केन्द्रीय सरकार की पुर्वानुमति लेना आवश्यक होती है और तत्सम्बन्धी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। परन्तु न तो पूर्वानुमति ली गई और न उसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तथापि कर्मचारियों को नयी सेवा की शर्तों के नियमों को पालन करने के लिए वचन देने के लिए वाध्य किया गया। ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया और क्या यह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं है।

डा० सरोजिनी महिषी : मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि कर्मचारियों से व्यक्तिगत स्तर पर वचन इस मान्यता के आधार पर नहीं लिया गया कि सम्बद्ध कानून में संशोधन किया जायेगा। उक्त अधिनियम में कुछ कमियां थीं कुछ परम्पराएं और प्रथाएं एवं प्रक्रियाएं थीं जिनके आधार पर व्यतियों और यूनियन के साथ करार किया गया। साथ ही यह भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह कर्मचारियों की वर्तमान सेवा-शर्तों के विरुद्ध नहीं है।

श्री समर गुह : कृपया मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने का आप का अधिकार है और जब आपको दूसरा अवसर दिया जाता है तो आपको अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए। आप स्पष्ट्रीकरण क्यों पूछत हैं।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि...... (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण के नाम पर आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जा सकता जब आपको दूसरा अवसर मिलता है तो वह नियम आदि की बात क्यों करते हैं। माननीय सदस्य ने यह आश्वासन मुझे दिया था कि वह और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनके पुन: खड़ा होने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अब माननीय सदस्य अपनी बात आधे मिनट में समाप्त कर लें।

श्री समर गुह : क्या 'तकनीकी तालाबन्दी' के नाम पर बहुत से कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, कुछ को मुअत्तिल कर दिया गया है और कुछ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है इनकी संख्या अलग अलग क्या है ? क्या तालाबन्दी का बहाना लेकर खान-पान व्यवस्था परिवहन व्यवस्था और स्टोर्स सहित कुछ अन्य सेवाएं जिनसे इंडियन एयरलाइन्स को आय होती थी गैर सरकारी एजेन्सियों को दे दी गई हैं, यदि हां तो इस बारे में क्या तथ्य है ?

डा० सरोजिनी महिषी : कुछ पद्धतियों में परिवर्तन किया गया है। पारी-व्यवस्था शुरू की गई है। प्रबन्धकों द्वारा किये गये निर्णयों के आधार पर उनके काम के घंटों की संख्या और समयोपरि भत्ते की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। यह सब उस समझौते के अनुसरण में किया गया जो प्रबन्धकों और यूनियन के बीच हुआ था। प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध जनशक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करें और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को इस प्रकार से, विनियमित करें कि उपलब्ध जनशक्ति का अधिकतम उपयोग हो सके। जो लोग इस प्रकार के अनुशासन का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। अधिकतम सेवा प्रदान करने, जनशक्ति का अधिकतम उपयोग करने और सम्पूर्ण विमान सेवाओं में कुशलता लाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। जिन लोगों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई है उनकी संख्या मैं शीघ्र ही बता दूंगी।

Shri Narsingh Narain Pandey : There is lock-out in the corporation and some of the workers are still out. Even then Slip System is being introduced on account of it the pilots bound for U.K. and Japan and their Association have given threat to join the strike. I would like to know the action Government is going to take in this matter.

Dr. Sarojini Mahishi : There is a technical lock out on the I.A.C. and that is limited to technical side only. Only 15 persons are out. Among them two are ill, two have left the country and one air-hostess has left after marriage. Three office bearers have not agreed to accept it but they have given a charter of demands for next year on behalf of union. So you can understand that they are working. Secondly, as regards the introductionof 'slip system' it is not in I.A.C. and not in the Air India. Slip system has already been introduced there since yesterday. Details are being awaited. But these are two different things.

श्री एस०एम० बनर्जी : अपने लम्बे उत्तर के दौरान उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ कमियां हैं। मैंने न उन कमियों का अनुचित लाभ उठाया है और न मैं उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

किन्तु प्रश्न बहुत साधारण है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत तालाबन्दी की घोषणा की जानी है अथवा कुछ अन्य कार्यवाही की जानी है । इस मामले में तालाबन्दी की घोषणा की गई । मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि यह तकनीकी व्यक्तियों से सम्बन्धित थी अथवा गैर-तकनीकी व्यक्तियों से । उनकी घोषणा व्यक्तिगत स्तर पर कैसे की जा सकती थी । समझौता होने के बाद भी अभी तक तीन पदाधिकारियों को वापस नहीं लिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि इस तालाबन्दी की घोषणा देश के किस कानून के अन्तर्गत की गई तथा किन विशेष परिस्थितियों में इन तीनों कर्मचारियों को काम पर वापस नहीं लिया गया । क्या इस सम्पूर्ण मामले को एक निष्पक्ष आयोग को सौंपा जायेगा जो इस बात की जांच करेगा कि क्या यह तालाबन्दी सही थी अथवा गलत ?

डा० सरोजिनी महिषी : जैसा कि मैंने पहले बताया था इस तालाबन्दी की घोषणा उस समय की गई थी जब यूनियनों ने पारी-प्रणाली में कुछ परिवर्तनों तथा उन बातों को मानने से इनकार कर दिया था जिन्हें कार्यकरण में इष्टतम कार्यकुलशता लाने के लिये आरम्भ किया जाना था । बाद में यूनियनों के कुछ श्रमिक काम पर वापस आना चाहते थे । उन्होंने सोचा कि उनके लिये यह एक दण्ड था इसलिए वे वापस आना चाहते थे तथा उनमें से बहुत से श्रमिक काम पर वापस भी आये । उसके पश्चात भी वहां तालाबन्दी की स्थिति जारी ही मानी जाएगी ।

माननीय सदस्य को ज्ञात है कि प्रत्येक कानून में कुछ पर आरोप भी सम्मिलित हो गई हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे ज्ञात है कि माननीय मंत्री के पास कानून में डाक्टरेट है ।

डा० सरोजिनी महिषी : शास्त्राद् रुढिर्बलीयसी । लिखित कानूनों से रीति-रिवाज और परम्परायें अधिक शक्तिशाली होती हैं । अत : इस क्षेत्र में भी कुछ बातें आ गई हैं ।

विदेशी पर्यटकों का सरकारी होटलों में ठहरना

***182. श्री रामचन्द्रन कडन्नापल्ली :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कुल कितने विदेशी पर्यटक सरकारी होटलों में ठहरे तथा उनसे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इन होटलों में इसी अवधि में ठहरे अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या के साथ इन आंकडों की तुलनात्मक स्थिति क्या है तथा इन होटलों की कुल कितनी आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों में 1973-74 के दौरान ठहरे विदेशी पर्यटकों की संख्या, कुल आय, विदेशी मुद्रा उपार्जन के बारे में सूचना ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरे व्यक्तियों की संख्या	विदेशी पर्यटकों की संख्या	कुल आय	सीधी अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा की राशि
			(लाख रुपयों में)
224660	109382	779.86*	124 63**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : विवरण के अनुसार इन होटलों में ठहरने वाले भारतीयों की संख्या विदेशी पर्यटकों की संख्या से अधिक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कालाधन खर्च कर रहे हैं तथा कम्पनियों के खर्च पर इन होटलों में ठहरते हैं। और इस प्रकार कर का अपवंचन कर रहे हैं। अतः क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन होटलों में केवल विदेशी पर्यटक ही ठहरें ?

डा० सरोजिनी महिषी: अतिथियों की कुल संख्या लगभग 2.25 लाख है और विदेशी पर्यटकों की संख्या 109382 थी। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि जब भारतीय तथा विदेशी दोनों ही भुगतान करते हैं तो इस सम्बन्ध में कोई विभेद नहीं किया जा सकता। अब केवल यही प्रतिबन्ध लगाया गया है कि विदेशी व्यक्तियों तथा विदेशी पर्यटकों को, कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य रूप से विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या अपर्याप्त संख्या में विदेशी पर्यटकों द्वारा होटलों का उपयोग किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अन्य फाईव स्टार होटलों का निर्माण बन्द करेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : सरकार ने फाइव स्टार होटलों का निर्माण बन्द कर रखा है। केवल दिल्ली में अकबर होटल और बंगलौर में अशोक होटल, उन दोनों होटलों के विस्तार कार्य के अतिरिक्त इस योजना में कोई फाइव स्टार होटल नहीं बनाया जाएगा।

*संख्या अनन्तिम है तथा अभी लेखा परीक्षा होनी है।

**इस संख्या में यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा किया गया व्यापार तथा छूट प्राप्त विदेशियों से भारतीय मुद्रा में प्राप्त भुगतान सम्मिलित नहीं है।

Shri Sarjoo Pandey : In the list of facilities provided to the Tourists by the Government item 8 reads as follows :

"Bilateral agreements have been made with west Germany, Yugoslavia, Nordic countries and Bulgaria for the abolition of visas for stay up to 90 days."

May I know the reasons for not providing the same facility to the tourists of the other countries? May I know why Government have not provided exemption from visa for 90 days to other countries ?

डा० सरोजिनी महिषी : यह व्यवस्था उन देशों के साथ हुए पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है ।

श्री वयालार रवि : विवरण से यह स्पष्ट विदित होता है कि उन होटलों में विदेशी नागरिकों की तुलना में भारतीय ही अधिक ठहरते हैं । हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि के नाम पर देश में ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को देश में 106 होटल बनाये जाने की अनुमति दी है जिसमें कुछ विदेशी कम्पनियां भी सम्मिलित हैं विवरण से यह स्पष्ट विदित होता है कि देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फाइव स्टार होटलों में अधिकतर भारतीय ठहरते हैं क्या सरकार ग़ैर-सरकारी कंपनियों को होटल बनाने के लिये दी गई मंजूरी को वापस लेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : जो होटल निर्माणाधीन हैं उनका निर्माण जारी रहने दिया जायेगा । इस योजना में सरकार ने यह नीति नहीं अपनाई है कि फाइव स्टार होटलों का निर्माण किया जाये अथवा इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन दिया जाये । मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है ।

श्री वयालार रवि : हाल में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इण्डियन टोबैको तथा अन्य बड़ी फर्मों सहित कुछ पार्टियों को 106 होटल बनाने के लिये लाइसैंस दिये गये हैं । यह भी कहा गया है कि इस कारण विदेशी पर्यटकों की अधिक संख्या है . . .

अध्यक्ष महोदय : बार-बार एक ही बात को कहा जा रहा है ।

श्री वयालार रवि : विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं । मंत्री स्वयं को बहुत होशियार न समझें वह उत्तर नहीं देना चाहतीं ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं । फाइव स्टार होटलों के बारे में उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री वयालार रवि : मैं रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं ।

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य फाइव स्टार होटलों के बारे में पुछ रहे हैं । सरकार ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में अथवा सरकारी क्षेत्र में ऐसे होटलों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अचानक खड़े हो जाते हैं तथा उत्तर सुने बिना आरोप लगा देते हैं। कुछ साधारण शिष्टाचार का पालन किया ही जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या सरकार ने फाइव स्टार होटलों में पर्यटकों के लिये सुविधाए उपलब्ध कराये जाने के बारे में आगामी पांच वर्षों के लिये कोई अध्ययन किया है तथा पर्यटन यातायात में वृद्धि दर्शायी है ? यदि उन्होंने पर्यटन यातायात में वृद्धि बताई है तथा सरकार फाइव स्टार होटलों का निर्माण नहीं करेगी तो क्या सरकार की नीति यह है कि केवल ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में फाइब स्टार होटलों के निर्माण की अनुमति दी जाये जिससे सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा का लेन-देन जो गुप्तरूप से किया जाता है, ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में चला जाये।

डा० सरोजिनी महिषी : जिन होटलों के लिये अनुमति दी जा चुकी है अथवा जो निर्माणाधीन हैं उनको उसी श्रेणी में रहने दिया जाएगा। दूसरे, जब तक वर्गीकरण समिति इन होटलों के बारे में जांच नहीं करती तब तक इनको श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। अतः तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कोई होटल फाइव स्टार होटल है अथवा फोर स्टार। कभी-कभी इन होटलों का स्तर फोर स्टार रह जाता है। जब इनकी देखभाल कुछ कम्पनियों अथवा पार्टियों द्वारा की जाती है और स्वयं सरकार द्वारा इनका प्रबन्ध किया जाता है। कभी-कभी इनका स्तर तीन स्टार भी रह जाता है।

माननीय सदस्य को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि सरकार ने कहा है कि फाइब स्टार होटलों को निर्माण नहीं किया जायेगा अथवा इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। प्रोत्साहन का सम्बन्ध ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से है। जिन होटलों के लिये अनुमति दी जा चुकी है अथवा जो निर्माणाधीन हैं उनके अतिरिक्त होटलों का निर्माण नहीं किया जाएगा।

माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि पश्चिमी तथा अमरीकी देशों से आने वाले पर्यटक तीन स्टार होटलों में ठहरना अधिक पसंद करते हैं। पांच स्टार होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी होती जा रही है। यह लोग सफाई तथा अच्छे भोजन की अपेक्षा रखते हैं। कभी कभी वे होटलों में भोजन भी नहीं खाना चाहते। अतः वे निम्न श्रेणी क होटलों की तलाश में रहते हैं।

Shri Madhu Limaye : Is the hon. Minister aware of the fact that there is considerable Competition in the field of international tourism and that foreign countries are making propaganda to the effect that due to the declared lock out air service is stopped in India. May I know whether it has affected the arrival of foreign tourists in India ?

Dr. Sarojini Mahishi : Shri Madhu Limaye has put the same question as was put by Shri Samar Guha. The information of the hon. Member is false. Before coming here we have consulted several travel agents. No body thinks that there is lock out here and that the operation of Air lines is stopped.

श्री पी० आर० शिनाय : इस तथ्य को देखते हुये कि दक्षिण भारतीय होटल उपयुक्त मूल्य पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराते हैं क्या सरकार का विचार उनको प्रोत्साहन देने का है ?

डा० सरोजिनी महिषी : दक्षिण भारतीय अथवा उत्तर भारतीय जैसे कोई बात नहीं है। दो प्रकार के भोजन होते हैं आमिष और निरामिष, दोनों के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. speaker, Sir, this statement shows the figrues relating to the Indians and foreigners occupying these Hotels. May I know the percentage of the government officers and the ministers among these Indians? If these figures are made available this question can be considered useful in real sense.

Dr. Sarojini Mahishi : It has not been worked out as yet.

ग्रहमदाबाद में ग्रसैनिक हवाई ग्रड्डे पर 'टर्मिनल' इमारत का निर्माण

*184. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रहमदाबाद में ग्रसैनिक हवाई ग्रड्डे पर टर्मिनल इमारत बनाने तथा वहां ग्रन्य सुविधाग्रों ग्रौर उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है ; ग्रौर

(ख) क्या उक्त परियोजना पांचवीं पंच वर्षीय योजना ग्रवधि में क्रियान्वित की जायेगी ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ग्रौर (ख) : ग्रहमदाबाद का विमान क्षेत्र के टर्मिनल भवन का हाल ही में नवीकरण एवं विस्तार किया गया है। एक नया एप्रन बनाया जा चुका है तथा सहायक धावनपथ के एक भाग ग्रौर लिंक टैक्सी ट्रैक को मजबूत करने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। ग्रावश्यक टर्मिनल सुविधाग्रों तथा नेवीगेशनल एप्रोच ग्रौर ग्रवतरण सम्बन्धी उपकरण पहले से विद्यमान हैं।

पांचवी योजनावधि के दौरान बढ़ते हुये यातायात सम्बन्धी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिये एक नये टर्मिनल भवन ग्रौर तत्सम्बद्ध एप्रन एवं टैक्सी ट्रैक के निर्माण का प्रस्ताव है। विमानक्षेत्र पर ग्रन्य सुविधाग्रों एवं उपस्कर में ग्रौर ग्रधिक वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस वचन से मुझ प्रसन्नता है कि पांचवी योजना में ग्रहमदावाद में एक नई टर्मिनल इमारत वनाई जाएगी। इस वात को ध्यान में रखते हुऐ कि वर्तमान टर्मिनल इमारत 20 वर्ष से भी ग्रधिक पुरानी है मैं जानना चाहता हूं कि इस नई इमारत को जल्दी से जल्दी कब तक बनाया जाएगा। यद्यपि मंत्री महोदया ने बताया है कि इमारत में कुछ परिवर्तन तथा नवीकरण किया गया है तथापि यह प्रबन्ध ग्रस्थाई हैं। इसमें ग्राधुनिकतम ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिये उपकरण नहीं लगाये गये हैं तथा डा० कर्णसिंह, जब वह पर्यटन मंत्री थे, ने ग्रहमदाबाद हवाई ग्रड्डे की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया था। इसमें किये गये ग्रधिक विलम्ब को देखते हुये क्या मंत्री महोदया यह ग्राश्वासन देंगी कि इस इमारत का निर्माण पांचवी योजना के ग्रारम्भिक काल में हो जाएगा जिससे ग्रहमदाबाद में बढ़ते हुय पर्यटन यातायात क लिये ग्राधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें ?

डा० सरोजिनी महिषी : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातों की सराहना करती हूं। यह इमारत पुरानी है तथा यात्रियों को ग्रधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये ही हवाई ग्रड्डा

लांज बनाया गया है। रेस्टोरेंट की क्षमता दोगुनी कर दी गई है तथा आने वाले और जाने वाले यात्रियों के लांज की पूर्व क्षमता को तीन गुना कर दिया गया है। अतिरिक्त टैक्सी ट्रैक को भी मजबूत कर दिया गया है। नये टर्मिनल काम्पलेक्स पर लगभग 35 लाख रुपया खर्च किया जायेगा तथा मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि इस पूरे मामले को शीघ्रता से पूरा किये जाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : इस समय अहमदाबाद हवाई अड्डे का उपयोग वकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है तथा करेवैल और 707 विमान ही वहां आपतकालीन स्थिति में उतर सकते हैं। 747 विमान वहां नहीं उतर सकते क्योंकि धावनपथ मजबूत नही किया गया तथा उसकी लम्बाई भी नहीं बढ़ाई गई। लोग बड़ी संख्या में अहमदाबाद से विमान यात्रा आरम्भ करते हैं तथा अध्ययन, व्यापार के लिये विदेश जाते ह। बहुत से गुजराती अफ्रीका में तथा विश्व के अन्य भागों में रहते हैं। अहमदाबाद से भारी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात आरम्भ होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगीं कि इसको नियमित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा जिससे वहां 747 जम्बो विमान भी उतर सकें ?

डा० सरोजिनी महिषी : जम्बो विमानों क उतरने की सुविधायें कवल चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध हैं। यह एक वकल्पिक हवाई अड्डा है। इसको अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसलिये कहा जाता है कि वहां पश्चिमी देशों से होने वाली कुछ उड़ानों, अनिर्धारित उड़ानों वाले विमानों को उतारा जाता है तथा वहां उनके उतरने की व्यवस्था की गई है तथा वहां सीमा शुल्क आदि के बारे में अस्थाई व्यवस्था कर दी गई है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि आन्तरिक सेवाओं के लिये इसको मजबूत बनाया जाये तथा इसका विकास किया जाये और वहां इंस्टरूमेंट लेंडिंग, विजुअल एड्स जैसी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये अन्य बातें बाद में उत्पन्न होती हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : 35 लाख रुपयों में से चालू वर्ष के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा धीमी गति से प्रगति किये जाने के क्या कारण हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : यदि इस प्रगति की गति को धीमी माना जाये तो इसका कारण धनराशि की कमी है। नया हवाई अड्डा लांज बनाया गया है तथा इसकी क्षमता भी दो गुनी कर दी गई है। मंत्री महोदय ने निर्धारित धनराशि जाननी चाही है। इस कार्य के लिय 20 लाख रुपया निर्धारित किया गया है तथा यदि कोई वित्तीय संकट अथवा धन की कमी न हुई तो इस राशि का उपयोग किया जाएगा।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों और रेस्टोरेंटों के लाभ-हानि की स्थिति

***185. श्री डी० के० पंडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितन होटल और रेस्टोरेंट चलाय जा रहे हैं और वर्ष 1973-74 क दौरान उनके लाभ-हानि की स्थिति क्या रही ; और

(ख) भारत पयटन विकास निगम के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि नयित की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय 12 होटल तथा 8 रस्टोरेंट चला रहा है। 1972–73 के दौरान इन होटलों तथा रैस्टोरेंटों ने कुल मिला कर 28.96 लाख रुपये का लाभ कमाया। वर्ष 1973–74 के लिये इन होटलों तथा रेस्टोरेंटों के लेखाखाते अभी अन्तिम रुप से तैयार नहीं किये गये हैं। तथापि, अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1973–74 कुल मिलाकर लगभग 29 लाख रुपये का लाभ होने की आशा है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के लिए पांचवी योजना में 34 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

श्री डी० के० पंडा : वर्ष 1972–73 में सब मिलाकर कुल लाभ 28.96 लाख रुपये था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चार लाख से अधिक पर्यटकों ने भारत की यात्रा की जिनकी संख्या 1972 की तुलना में 19.5 प्रतिशत अधिक है, लाभ का अनुमान लगभग 29 लाख रुपये लगाने का क्या कारण है ? लाभ में वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य को यह विदित है कि गन्तव्य देश क रूप में हमारे देश में पर्यटकों के यातायात में वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 4,60,000 तक पहुंच गई है। भारतीय पर्यटक विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों की संख्या 12 है। लेकिन पर्यटक कवल इन्हीं ह टलों में नहीं ठहरते हैं बल्कि विभाग द्वारा स्वीकृत गर-सरकारी क्षेत्र में स्थित होटलों में भी ठहरते हैं जिनकी संख्या लगभग 200 है। कुल उपलब्ध कमरों की संख्या 12,678 के लगभग है जिनमें से भारतीय पर्यटक विकास निगम के 1816 कमरे हैं। उक्त लाभ भारतीय पर्यटक विकास निगम के रैस्टोरेंटो और होटलों और पर्यटक गृहों से प्राप्त हुआ है। अशोक होटल को चालू वर्ष में 30 लाख रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन चूंकि लाभ में चालू वर्ष में गृहों, मोटल, और होटलों रेस्टारटों को होने वाला लाभ भी शामिल किया जाता है, अत: उक्त लाभ 29 लाख रुपये हो जाता है।

श्री डी० के० पंडा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यदि सरकारी क्षेत्र में स्थित होटलों में पयटकों की संख्या में वृद्धि हुई होती तो उक्त लाभ 29 लाख रुपये कैसे रहता ? गैर सरकारी क्षेत्र के होटलों को अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है।

मेरा प्रश्न बहुत सरल है। कभी सरकारी क्षेत्र में स्थिति पयटक होटलों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो लाभ उतना ही रहने के क्या कारण हैं ? मेरा प्रश्न बहुत सरल है।

डा० सरोजिनी महिषी : जहां तक भारतीय पर्यटक विकास निगम का सम्बन्ध है, पयटकों के आने सम्बन्धी कोई बात नहीं है। पर्यटक हमारे देश में आते हैं। उनमें से कुछ होटलों में ठहरते हैं और कुछ होटलों में हीं ठहरते हैं। पर्यटक, रेल, जहाज और विमान से आते हैं। पर्यटकों के कुल

श्रांकड़ों में ये सब बातें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पर्यटक विकास निगम के होटल तथा रेस्टोरेंट बहुत सीमित संख्या में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह कह रही हूं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्या इन दो बातों को कैसे जोड़ा जा सकता है?

श्री बी0 पी0 नायक : भारतीय पर्यटक विकास निगम और इसके मुख्य एकक उदाहरणतया नई दिल्ली स्थिति अशोक होटल द्वारा 38 लाख रुपये का लाभ अर्जित करने के बाद क्या उसके विरुद्ध वित्तीय सम्बन्धी तथा ठेके देने और टेंडर आमंत्रित करने के के बारे में विशेषकर अशोक होटल उपभवन के निर्माण के बारे में अनेक आरोप लगाये गये हैं और यदि हां तो, उक्त आरोप क्या हैं और सरकार ने उन आरोपों की सत्यता की जांच करने तथा उनका समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

डा0 सरोजिनी महिषी : मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है। उपभवन का निर्माण बहुत समय पूर्व किया गया था। जहां तक इसको नया रूप देने का सम्बन्ध है, गत तीन वर्षों में अनेक ठेके दिये गये थे। लेकिन इस सम्बन्ध में जहां तक मुझ जानकारी है सब बातें प्रक्रिया अनुसार की गई हैं। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में किसी विशेष मामले का उल्लेख करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करूंगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि देश में पर्यटकों के यातायात में वृद्धि हुई है और माननीय पर्यटक विकास निगम के होटल लाभ अर्जित कर रहे हैं। सरकार ने जब ग़ैर सरकारी क्षेत्र में 106 होटलों का निर्माण करने की अनुमति दी है तो उसके द्वारा सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण न करने के निणय के में पीछे क्या औचित्य है?

दूसरे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन होटलों में विदेशों से आने वाले पर्यटकों के देशों में स्थित होटलों की तुलना में भोजन और निवास व्यय बहुत कम है, क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों से तथा भारतीय पर्यटकों से भिन्न-भिन्न दरों पर शुल्क लेने का है?

डा० सरोजिनी महिषी : मैंने यह कभी नहीं कहा कि सरकार ने कोई भी होटल न बनाने का निर्णय किया है। मेरा अभिप्राय '5 स्टार' होटलों से था। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य श्रेणी के होटलों का निर्माण भी नहीं किया जायगा।

दूसरे, जहां तक शुल्क दर का प्रश्न है, शुल्क दर उत्पादन लागत तथा अन्य बातों, जिसमें भूमि आदि भी शामिल हैं, पर निर्भर करता है। अन्य देशों की तुलना में, जहां से पयटक आते हैं, हमारी शुल्क दर कम हो सकती है। जहां तक आवास का सम्बन्ध है, सरकार का विचार भारतीय और विदेशियों के बीच कोई भेद करने का नहीं है। जैसा कि मैं सदन को पहले ही बता चुकी हूं, विदेशियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है।

Shri Ram Kanwar : The hon. Minister had stated that the number of tourists has increased and the Government has earned a profit of Rs. 29 lakhs as a result of it. I want to know whether the Government has received some such complaints that the hotel staff do not show the rooms as vacant and then they surreptitiously give those rooms on rent to other and pocket the rent money, without showing that in the hotel accounts, as is being done by railway staff in the matter of booking of seats.

Mr. Speaker : How you have brought in this matter. It is not relevant.

श्री एस० ए० कादर : सरकारी क्षेत्र में स्थित होटल विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने, बकिंग, रिजवशन तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों की तुलना में कहां तक सफल रहे हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : जहां तक सरकारी क्षेत्र में स्थिति पांच-स्टार होटलों की तुलना ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में स्थिति पांच-स्टार होटलों से करने का प्रश्न है, वास्तव में जब तक वे कुछ निश्चित शर्तें, नियम और विनियमों का पालन नहीं करते और पयटकों को कुछ विशेष सुविघाएं प्रदान नहीं करते, वे पांच-स्टार होटलों की श्रेणी में नहीं आते। अत: जहां तक उनके रख-रखाव का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पूरी सतकता आवश्यक है : मुझे पता नहीं कि क्या माननीय सदस्य किसी विशेष होटल को ध्यान में रखकर ऐसा कह रह हैं, लेकिन जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है दोनों ही क्षेत्रों—ग़र-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र म इस बारे में प्रयास किये जा रहे है, क्योंकि उनका व्यापार देश में आनेवाले पर्यटकों के विश्वास पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन, श्री चन्द्र गौडा, श्री चन्द्रप्पन और श्री मघुकर सभा में उपस्थित नहीं हैं।

Finance Minister's Visit to USSR and Czechoslovakia

***188 Shri K.M. Madhukar :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :—

(a) whether he recently paid a visit to USSR and Czechoslovakia; and

(b) if so, the agreements entered into with them for financial cooperation ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। यू० एस० एस० आर० और चैकोस्लोवाकिया की यात्राएं निश्चित रूप से 'सद्भावना' यात्रा के रूप म थीं। फिर भी इन देशों से आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के उदेश्य से बातचीत कर इस मौके का फायदा उठाया गया। यह बातचीत जानकारी हासिल करने के रूप में हुई। इस बारे म आगे बातचीत की उम्मीद है।

Shri K.M. Madhukar : I want to know whether as a result of it the dependence of India on foreign capital market is going less or not. If so, to what extent. I want to know the assistance Government will get from the foreign countries in her investment in her Fifth Five Year Plan ?

Shri Yaswantrao Chavan : As I have already stated some things have been kept before them, but no decision has been taken in this matter. This discussion was of exploratory nature. But no decision was taken in it.

Shri Jharkhande Rai : The hon. Finance Minister has stated that Government is intended to have further discussion with U.S.S.R and Czechoslovakia. I want to know whether this discussion will be held in Delhi as we have to go abroad for this purpose ?

Shri Yaswantrao Chavan : Some of their delegations may come here. There may be discussions between ours' and their's, joint Commission and the matter may by further discussed.

"डिस्कवर इंडिया एयर टिकट्स फार टूरिस्टस" पर्यटकों के लिए भारत देखिए वायुयान टिकट जारी करना

***189. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह† :**

श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "डिस्कवर इंडिया एयर टिकट्स फार टूरिस्टस" (पर्यटकों के लिए भारत देखिए' वायुयान टिकट) जारी करने का निर्णय किया है ;

(ख) इससे भारत में पर्यटन यातायात पर कितना प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां। विदेशी मुद्रा में देय ये नए अभिवृद्धिपरक किराए 1 सितम्बर 1974 से लागू होंगे। ये किराए इंडियन एयरलाइन्स के देशीय क्षेत्रों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के 15 दिवसीय तथा 21 दिवसीय यात्रा के लिए क्रमश: 200 अमरीकी डालर तथा 275 अमरीकी डालर हैं।

(ख) भारत के लिए पर्यटन यातायात पर इस उपाय के प्रभाव की सीमा का अभी इतने जल्दी अनुमान लगाना कठिन है, परन्तु आशा की जाती है कि इस उपाय के परिणामस्वरुप पर्यटक यातायात की वृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है। (देखिए ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 8112/74)

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : I want to know the amount of foreign exchange Government will earn annually as a result of it. I also want to know the days for which landing permit is granted in other parts of the world and the days for which same is given in our Country ?

Dr. Sarojini Mahishi : The landing permit depends on bilateral agreement. It is granted on the basis of agreement between the two countries.

So far as the question of foreign exchange is concerned, we cannot say anything in this matter. Promotional air freights have been introduced in other countires also. We also propose to introduce it as on experimental basis.

पश्चिम बंगाल में संकट ग्रस्त चाय बागानों को अधिकार में लेने के लिये एक नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनी की स्थापना

*190. **श्री टुना उरांव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य के संकटग्रस्त चाय बागानों को अधिकार में लेने के कार्य को सुगम बनाने के लिये एक नियंत्रक कम्पनी आरम्भ करने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के अन्तर्गत कितने संकटग्रस्त चाय बगान आते हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बन्द पड़े तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के प्रबन्ध को नियंत्रण में लेने की शक्तियां प्रदान करने की प्रस्थापना भेजी थी ताकी उनके उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित किया जा सके। अन्तग्रस्त चाय बागानों की संख्या का उसमें संकेत नहीं था।

Shri Tuna Oraon : What are the details concerning proposals sent by the West Bengal Government ? Also when would the sick and closed tea-gardens be re-started. ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने पहले ही कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव कुछ बीमार तथा बन्द हुए चाय बागान संबंधी स्थिति का मुकाबला करने से संबंधित हैं। उनके सुझावों के अनुसार चाय अधिनियम की पुनः गोर करनी होगी। इसके लिये हमने एाक 'टास्क फोर्स' नियुक्त की हैं और सरकार उसके प्रतिवेदन पर विचार कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया था कि कुछ चाय बागानों को परीक्षण के तौर पर भारत रक्षा नियमों के अधीन अधिकार में ले लिया जाये और हम उस सुझाव पर विचार कर रहे हैं।

Shri Tuna Oraon : When would the tea gardens be started ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि मैं इसके लिये कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकूंगा। इस सम्बन्ध में कई समस्यायें हैं। यह एक कृषि सम्बंधी मामला है और इस समस्या के कई पहलुओं पर गहराई से विचार करना है हमें यह देखना है कि वस्तुतः यह संभाव्य भी है अथवा नहीं। अधिक संभाव्यता की दृष्टि से इस की जांच करनी है, ये सब बातें इस समय विचाराधीन हैं।

श्री पी० के० दास चौधरी : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीमार तथा बन्द पड़े चाय बागान को अधिकार में लेने हेतु एक नियंत्रक कम्पनी या ऐसा कोई निकाय बनाने सम्बंधी प्रस्ताव को देखते हुए मैं, मंत्री महोदय से यह विशिष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार का मन्शा क्या है और क्या यह सच है कि सरकार इन बीमार तथा बन्द चायबागानों को गैर-सरकारी प्रबंधकों तथा चाय बागान उद्योगपतियों को तथा उनको जिन्होंने हाल ही में यह उद्देश्य के लिए एक कम्पनी खोली है सोंप देना स्वीकार कर लेंगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किसी नियंत्रक कम्पनी का सुझाव नहीं दिया है। इस सम्बंध में वाणिज्य मंत्रालय तथा भारत सरकार 'टास्क फोर्स' की सिफारिशों पर इस दृष्टि से विचार कर रही है कि क्या बीमार चाय बगानों का प्रबंन्ध अपने हाथ में लेने के लिये अपने उचित शक्ति प्राप्त करने हेतु कोई चाय अधिनियम या अन्य उपयुक्त कानून बनाया जाये। ये शक्तियां वर्तमान औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के सिद्धान्तौनुसार होनी चाहिये अर्थात् अपने कारखाने रखने वाले चाय बागानों जिन्हें निर्धारित मापदंड के अनुसार बीमार माना जाता है, के कार्यकरण की जांच करने के लिये कानूनी अधिकार प्राप्त किये जायें। जैसा कि मैंने कहा है, इस संदर्भ में संभाव्यता तथा अधिक गुंजाइश के पहलुओं पर विचार करना होगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने पूछा था कि क्या वह उन्हें गैर सरकारी प्रबंधकों को सौंप देंगे। इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री ए० सी० जार्ज : ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

डा० सरोजिनी महिषी : मुअत्तिल लोगों की संख्या के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि तालाबंदी से पहले तीन व्यक्ति मुअत्तिल थे और उसके बाद चार की सेवाएं समाप्त कर दी गई। जिनका तालाबंदी से कोई सम्बंध नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka): With your permission, I want to raise a point of order regarding admissibility of questions, you said that you would look into it later. I obeyed you and sat down.

Mr. Speaker : I will let you know about it. Yestreday, you said that you had given notice. I looked into that and it was received at 11·45 A.M.

Shri MadhuLimaye : My notice was old. If I send a reminder you take that itself as the notice. How is that ? I will stop giving reminders.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

वेतनमानों में कुछ असंगतियों के सम्बन्ध में काफी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

*183. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के कर्मचारी संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित करते समय वेतनमानों की कुछ असंगतियों को दूर करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) जी हां। (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बंध में सरकार के निर्णय को देखते हुये काफी बोर्ड के कर्मचारियों के पुराने वेतनमानों में विद्यमान असंगतियों को यथासम्भव दूर करते हुये उपयुक्त संशोधित वेतनमान पहले ही नियत किये जा चुके हैं। कतिपय श्रेणियों के पदों के संबंध में उच्चतर वेतनमान के लिये काफी बोर्ड कर्मचारी संघ का इस बीच जो अभ्यावेदन मिला है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है।

नागर विमानन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र दुर्घटना जाँच आयोग की स्थापना करने का निर्णय

***186. श्री रानेन सेन :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नागर विमानन दुर्घटनाओं की जांच तथा अध्ययन के लिये एक स्वतंत्र दुर्घटना जांच आयोग स्थापित करने के सम्बंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है तथा निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

भारतीय मजदुर संघों की इण्टरनेशनल कन्फडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स द्वारा भेजा गया दान प्राप्त करन की अनुमति न दिया जाना

***187. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें भारतीय मजदूर संघों को इण्टरनेशनल कन्फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स द्वारा भेजे गये उस दान को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी थी जो हाल ही की रेलवे हड़ताल के सम्बंध में उत्पीड़ित रेल कर्मचारियों को राहत देने क लिये एकता निधि (सालिडेरिटी फण्ड) थी, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मजदूर संघों को दान प्राप्त करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी, नहीं। (ख) यह सवाल ही नहीं होता।

छोटी बचत योजनाओं को लोक-प्रिय बनाना

***191. श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पुरूषोतम काकोडकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार रुपय के घटत हुय मूल्य को ध्यान म रखकर छोटी बचत योजनाओं को अधिक आकषक बनान की योजना बना रही है, और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) छोटी बचतों की विभिन्न योजनाओं पर बराबर नज़र रखी जाती है और उनमें समय-समय पर आवश्यक फेर बदल

किये जाते हैं। छोटी बजत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से, 23 जुलाई, 1974 से इन सिक्योरिटियों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी गई हैं।

पटसन निर्यातकों द्वारा कम राशि के बीजक बनाये जाने के कारण विदेश मुद्रा को हानि

*192. **श्री एस० एन० सिंह देव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में, जून 1974 में हुई पटसन हितों की बैठक में उनके द्वारा व्यक्त इस विचार का आधार क्या था कि कम राशि के बीजक बनाने की हेराफेरी से सरकार को पटसन की वस्तुओं के निर्यात से पूरी विदेशी मुद्रा की आय नहीं हो पाती है ;

(ख) निर्यातकों द्वारा कम राशि के बीजक बनाने की हेराफेरी के कारण वर्ष 1972–73 से सरकार को प्रत्येक वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(ग) हानियों का पता लगाने और दोषी पक्षों को दण्डित करने के लिय क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चूंकि पटसन के निर्यात सट्टेबाजी के अधीन हैं, इसलिये इसका आशय उद्योग पर यह दबाव डालना था कि वे स्वस्थ व्यापारिक प्रणालियां अपनायें।

(ख) विदेशी मुद्रा की हानियों का कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा टैस्ट चैक किये जाते हैं। ऐसी हानियों को रोकने के लिये सरकार ने निर्यात संविदाओं के पंजीकरण की प्रणाली शुरू की है।

बड़े व्यापार गृहों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना

*193. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने बड़े व्यापार गृहों को तुलनात्मक रुप से कम ब्याज दर पर पुनः वित्तीय सहायता देना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो, क्या बड़े व्यापार गृहों के साथ बैंकों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के लिये सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त की गयी थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋणकर्ताओं को जिस दर पर ब्याज देते हैं वे दरें बैंक द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणों के लिए ब्याज की दरों के बारे में समय समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार तय की जाती हैं। किसी भी बैंक द्वारा किसी ऋणकर्ता को, उसकी किसी समूह विशेष के साथ सम्बन्ध देखकर तरजीह नहीं जाती। बैंकों द्वारा अलग अलग ऋणकर्ताओं के लिए लागू की जाने वाली ब्याज की दरें ऋण की किस्म, उसकी मात्रा और उससे अर्थ व्यवस्था को होने वाले लाभ आदि को ध्यान में रखते हुए तय की जाती हैं।

(ख) यह सवाल नहीं होता।

वित्त मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

*194. **श्री आर० वी० बडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कितने देशों का दौरा किया ; और

(ख) इसके परिणामस्वरुप उन देशों के साथ हुए करारों का क्या सार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) (क) पिछले 3 महीनों के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 3 देशों की यात्रा की। इन देशों की यात्रा में उनके साथ कतिपय अधिकारीगण थे। उसी अवधि में, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने 15 अन्य देशों की भी यात्रा की है।

(ख) किए गए करारों के सारांश का एक विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है।

किये गये करारों का सारांश

1. वर्ष 1974–75 के लिए आर्थिक सहायता के सम्बंध में सम्मत-कार्यवृत तथा स्वीडन के साथ किए गए अन्तर सरकारी करार का प्रारुप ।

2. हालैंड के साथ वर्ष 1974–75 के लिए संपन्न आर्थिक सहायता की सम्मत-कार्यवृत्त ।

3. आयात किये गये मुद्रा-कागज के लिए हुए सौदे को अन्तिम रूप दिया गया तथा फ्रेंच एवं जर्मन फर्मों को आशय-पत्र जारी किये गये। न्यू सिक्यूरिटी पेपर मिल के लिए योजना-खाका तथा मशीन सम्बंधी विशिष्टताओं पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

4. वर्ष 1974–75 के लिए पूंजी सहायता तथा तकनीकी सहायता के बारे में जर्मन गणतंत्र संघ के साथ अंतर सरकारी करार को अन्तिम रूप दिया गया ।

5. ट्राम्बे उर्वरक परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से 5 करोड़ डालर के ऋण के लिए समझौता वार्ता सम्पन्न। यह ऋण अब भारत को उपलब्ध करा दिया गया है।

6. कर्नाटक दुग्धशाला परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से 3 करोड़ डालर के ऋण के लिए समझौता-वार्ता संपन्न। यह ऋण अब भारत को उपलब्ध करा दिया गया है।

7. चम्बल तथा राजस्थान नहर कमान क्षेत्र परियोजनाओं के लिए क्रमश: विश्व बैंक से 5.2 करोड़ डालर के ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से 8.3 करोड़ डालर के ऋण के लिए समझौता वार्ता संपन्न। चंबल परियोजना के लिए 5.2 करोड़ डालर का ऋण अब उपलब्ध हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने राजस्थान नहर परियोजना के लिए शीघ्र ही 8.3 करोड़ डालर का ऋण देना स्वीकार किया है।

8. सयुंक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की प्रशासी परिषद् ने भारत को, परिवार नियोजन क्षेत्र में पंचवर्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 4 करोड़ डालर देना स्वीकार किया।

9. सी-20 की बैठक में कतिपय ऐसे अंतरिम उपायों—जैसे एस०डी०आर० का मूल्यांकन, ऋण जारी करने के नियम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शासक—बोर्ड की स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई, जिनका सम्बंध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के कार्यचालन से है।

नोट :—इस विवरण-पत्र में अन्य मंत्रालयों द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमंडलों द्वारा किये गय ऐसे करार शामिल नहीं हैं, जिनमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल किए गये थे।

अमरीकी फर्म द्वारा आयकर का अपवंचन

***195 श्री सतपाल कपूर :**

श्री शशि भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारी बिजली के उपकरणों का व्यापार करने वाली वैस्टिंग हाउस नायक एक अमरीकी फर्म द्वारा करोड़ों रुपयों के आयकर के कथित अपवंचन की जांच कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) और (ख): आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ली गयी तलाशियों के आधार पर, वेस्टिंगहाउस ट्रेडिंग कारपोरेशन (एशिया) लिमिटेड, उसके वाईस प्रेजिडेंट तथा क्षेत्रीय निदेशक श्री जान ड्रोबोट एवं उसकी मुख्य कम्पनी मेसर्स वेस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कारपोरेशन आफ यू०एस०ए० के मामलों में कर-अपवंचन सम्बंधों कुछ जांच-पड़ताल की जा रही है।

वेस्टिंगहाउस ट्रेडिंग कारपोरेशन (एशिया) लिमिटेड, मेसर्स वेस्टिंगहाउस इलक्ट्रिक इंटर नेशनल (एस०ए०)की एक सहायक कम्पनी है,जब कि यह परवर्ती कम्पनी भी मेसर्ज वेस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कारपोरेशन आफ यू०एस०ए० की सहायक कम्पनी है ।

तलाशियों में बहुत से दोषारोपणीय दस्तावेज पकड़े गये थे जिनसे प्रथम-दृष्टया उक्त कम्पनियों द्वारा तथा श्री जान ड्रोबोट द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम विनियमों को भंग करने और आयकर का अपवंचन करने के कुछ मामलों का पता चला है ।

परामर्श दात्री सेवाओं का निर्यात

***196 डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को विशेष कर तेल उत्पादक देशों को परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात में विशेषकर विदेशी मुद्रा परमिटों के सम्बंध में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात में बाधक बातों की मुख्य बातें क्या हैं

(ग) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में परामर्शदात्री सेवाओं का कितना निर्यात किया गया; और

(घ) इन बाधाओं को दूर करने और परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आंकड़ों के अभिलेख की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परामर्श सेवाओं के निर्यात स सम्बन्धित आंकड़े रिकार्ड नहीं किये जाते । फिर भी, उपलब्ध जानकारी के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कतिपय परामर्श एककों के निर्यात निम्नलिखित हैं :

1972–73 के दौरान 13 परामर्श-एककों का निर्यात	1,36,45,000 रु० (अनुमानित)
1972–73 के दौरान 13 परामर्श-एककों का निर्यात	73,31,000 रु० (अनुमानित)
1973–74 के दौरान 7 परामर्श-एककों का निर्यात (प्रत्याशित)	95,39,000 रु० (अनुमानित)

(घ) पहले भाग के सम्बंध में प्रश्न नहीं उठता । परामर्श-सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के यहां पंजीयित परामर्श-सेवाओं को विपणन विकास निधि से निम्न-लिखित रूप में वित्तीय सहायता देने का हाल ही में निर्णय लिया गया है :

(क) विदेशों में बाजार अध्ययन करने के लिए 60 प्रतिशत ।

(ख) विदेश कार्यालय खोलने के लिए आवास तथा अमले पर होने वाले व्यय का पहले वर्ष के लिए 25 प्रतिशत दूसरे वर्ष 20 प्रतिशत ।

(ग) प्रचार अभियान

(1) विदेशों में प्रयोग के लिए प्रकाशन, जिनमें पत्रिकाएं, डायरेक्टरीयां, ब्रोशर पैमफ्लेट फोल्डर आदि शामिल हैं प्रकाशित करने के लिए निवल व्यय का 50 प्रतिशत, बिक्री तथा विज्ञापनों से हुई आय हिसाब करने के बाद, और

(2) ब्रांड प्रचार पर हुए व्यय का 25 प्रतिशत ।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

*197 **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा की गयी विभिन्न कार्यवाहिया घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिये कहां तक सफल रही हैं और इस दिशा में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) चालू वित्तिय वर्ष के प्रथम चार महीनों में सरकार द्वारा घाटे की कुल कितनी अर्थ-व्यवस्था की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) सरकार का घाटे की वित्त व्यवस्था की रोक-थाम के लिए जिन अनेक उपायों को बरतने का विचार है उनके परिणामों के धनराशि के रूप मे बताना अभी समय से बहुत पूर्व है। 31 जुलाई को घोषित किये गये उपायों के अलावा कुछ और उपाय पहले ही किये जा चुके हैं स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही हैं।

(ख) प्राप्तियां और खर्च माह दर साथ-साथ नहीं होते और बजट में वर्ष के अंत में जो घाटा होने का अनुमान लगाया जायेगा वह किसी खास समय के बजट के घाटे के समानुपात में नहीं होगा। जुलाई के अंत तक के बजट के घाटे की रकम अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विभिन्न मंत्रालयों को वित्तीय प्रशासन प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन

*198 **श्री डी० पी० जदेजा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों की वित्तीय प्रशासन प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

(क) जी हां।

(ख) इन परिवर्तनों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(i) सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वित्तीय प्रबंध में अधिक क्षमताओं का विकास तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने का प्राधिकार परिणाम दिखाने के उत्तरदायित्व के अनुरूप हो ; तथा

(ii) सरकारी विभागों तथा अभिकरणों के आन्तरिक कार्य करने तथा नागरिकों एवं कर्मचारियों के साथ उनके लेन-देन को अधिशासित करने वाली कार्याविधियों का सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण।

कम्पनियों द्वारा बार-बार बोनस शेयर जारी किये जाने पर प्रतिबन्ध

*199. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री के मालन्ना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा बार-बार बोनस शेयर जारी किये जाने पर अग्रेतर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इन प्रतिबन्धों की मुख्य-मुख्य बातें ये है :-

(i) किसी कम्पनी द्वारा बौनस शेयर जारी करने की दो लगातार होने वाली घोषणाओं के बीच कम से कम चालीस महीने का अन्तर होना चाहिए।

(ii) (अगर कम्पनी के शेयरों के दाम स्टाक एक्सचेंज में दिखाये जाते है, तो) जारी किये गये बौनस शेयरों की सूची में दिखाने के छतीस महीने बाद या शेयर सर्टिफिकेट भेज दिये जाने का काम पूरा हो जाने के बाद कम्पनी दुबारा बौनस शेयर जारी करने के लिये अर्जी दे सकती है ।

मशीनरी की सप्लाई के लिए जनरल मोटर्स (अमरीका) तथा जे० के० ग्रुप (भारत) के बीच करार

*200 **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मशीनरी की सप्लाई के लिए क्रयादेश देने के अतिरिक्त अमरीकी फर्म जनरल मोटर्स और भारतीय फर्म जे० के० ग्रुप के बीच एक सहयोग करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारी उद्योग मंत्रालय और औद्योगिक विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी से यह पता चलता है कि अमरीका के मैसर्स जनरल मोटर्स और जे० के० समूह के बीच कोई सहयोग करार नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तेल के आयात के लिये संयुक्त राष्ट्र निधि से सहायता का उपलब्ध होना

1373 **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तेल के आयात पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये विकासशील देशों की सहायता करने हेतु बनायी गयी संयुक्त राष्ट्र की नई निधि में से भारत की कितनी सहायता उपलब्ध होगी ; और

(ख) यह सहायता किन शर्तों पर उपलब्ध की जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) इस विषय में जो सूचना मिली है उसके अनुसार औद्योगिक देशों और अन्य अंशदाताओं के बीच आपस में सलाह की जा रही है कि वे सयुंक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के हाल के प्रस्ताव में कि गयी सिफारिश के अनुसार उन देशों की समय पर सहायता करने के लिए जिन पर हाल के आर्थिक संकट से बहुत बुरा असर पड़ा है, कितना कितना अंशदान दें ताकि ये देश आने वाले 12 महीनों के दौरान अत्यावश्यक आयात को बनाये रख सकें । उन शर्तों के सम्बन्ध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है जिनके अनुसार यह सहायता दी जायगी । इसलिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि भारत को किस सीमा तक किन-किन शर्तों पर यह सहायता मिलेगी ।

Futher hike in the prices of News print.

1374. Shri Shrikrishna Agrawal :

Will the minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether prices of newsprint are likely to increase further in the world market in the coming few years ;

(b) if so, its likely impact on the country ; and

(c) the efforts proposed to be made by Government to stabilise its prices in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George).

(a) to (c) : there is acute world shortage of newsprint on account of spurt in the consumption of newsprints on the one hand and production remaining stagnant on the other, resulting in rise in the prices of newsprint in the world market. Efforts are being made by newsprint producing countries to increase their capacity for production but it will take sometime before world production picks up and prices of newsprint get stabilised.

सरकार, रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी संगठनों से व्यापार पाने वाली लेखा परीक्षक फर्में

1375 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी लेखा परीक्षक फर्मों को सरकार, रिजर्व बैंक तथा सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकायों जैसे सरकारी स्वामित्व के अन्य संगठनों से व्यापार मिल रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक लेखा परीक्षक कंपनी को लेखा परीक्षा फीस के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) सरकारी सूची में कितनी लेखा परीक्षा फर्मों के नाम पंजीकृत हैं ;

(घ) कितनी फर्मों को कोई भी व्यापार नहीं दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार सूची में सम्मिलित प्रत्येक फर्म को आवर्ती रूप से व्यापार देने का हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा की जाती है—उदाहरणार्थ सरकारी कंपनियों के बारे में कंपनी-कार्य विभाग द्वारा, स्टेट बैंक के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, सम्बंधित बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक के मामले में बैंकिग विभाग द्वारा, विभिन्न स्वायत्त निकायों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इत्यादि इत्यादि । इन प्राधिकरणों से सूचना एकत्रित की जानी है । ऐसा किया जा रहा है और सूचना उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर विवरण पत्र रख दिया जायगा ।

(ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा एक सूची रखी जाती है तथा आवेदन करने वाली सभी फर्मों को इस सूची में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है । इस सूची में नाम शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और संख्या में घट-बढ़ होती रहती है । फिलहाल 1981 (भागीदार तथा एकमात्र मालिकाना) फर्मों का नाम सूची में दर्ज है, जिन्होंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक को आवेदन किया है ।

(घ) चूंकि नियुक्ति विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा की जाती है, जैसा कि उपर (क) में बताया गया है, अतः यह सूचना उनसे एकत्रित करनी होगी और जब यह उपलब्ध हो जायगी तो सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) तथा (च) सरकारी कंपनियों आदि के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के बिषय में सलाह देते समय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आवर्तन के सिद्धांत का ध्यान अवश्य रखते हैं ।

रबड़ के बागान पुनः लगाने के लिए आर्थिक सहायता की दर

1376. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रबड़ के बागान पुनः लगाने के लिये आर्थिक सहायता की वर्तमान दर का पुनरीक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : रबड़ पुनर्रोपण के लिये आर्थिक सहायता की विद्यमान दर में संशोधन करने पर विचार लागत अध्ययन के आधार पर किया जाएगा, जिस पर गौर हो रहा है ।

कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाना

1377 **श्री वी० मायावान** :

श्री प्रसन्नाभाई मेहता क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को 1596 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की है, और

(ख) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय ने 18 मई, 1974 को जो प्रैस विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 कम्पनियों को 1596.65 लाख

ए

पये तक की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गयी थी (3596 करोड़ रुपये की नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) :–

कम्पनी का नाम	मंजूर की गई रकम (लाख रुपयों में)
1. मैसर्स भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि०	900.00
2. मैसर्स क्रौम्पटन ग्रीव्स लि०	240.00
3. मैसर्स क्लोराईड इण्डिया लि०	188.80
4. मैसर्स बोम्बे सबखन इलैक्ट्रिक सप्लाई लि०	100.00
5. मैसर्स प्रकाश ट्यूब लि०	75.00
6. मैसर्स कन्सोलिडेटेड न्युमैटिक टूल्स कम्पनी (इण्डिया) लि०	58.95
7. मैसर्स शाह मैटलेव्ल कास्टिंग लि०	15.00
8. मैसर्स शेरवानी शुगर सिण्डीकेट प्राइवेट लि०	7.99
9. मैसर्स श्री वालसुब्रामनिपा मिल्स लि०	6.41
10. मैसर्स मलनकारा रबड़ ऐण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि०	4.50
जोड़	1596.63

राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

1378 **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारयों को दिये गये महंगाई भत्ते में वृद्धि के समाचार की ओर दिलाया गया है, ताकि इसको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर लाया जा सकें ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनेक राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते में अभी भी अन्तर है ;

(ग) क्या गृह मंत्रालय का विचार उनके मंत्रालय से परामर्श करके सभी राज्य सरकारों को यह निदेश जारी करने का है कि वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के मामले में ऐसा ही करें ताकि वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के समान हो सके ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता या अनुदान देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) :

(क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक राज्य में स्थिति भिन्न-भिन्न है। सभी राज्य सरकारों द्वारा दिये गये महंगाई भत्ते की दरों के संबन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ग्रौर इस पर ग्रावश्यक निर्णय लेना उन्हीं का कार्य है।

(घ) जी नहीं।

राष्ट्रीय व्यावहारिक ग्रार्थिक ग्रनुसंधान परिषद का पर्यटन विषयक प्रतिवेदन

1379 **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक ग्रार्थिक ग्रनुसंधान परिषद ने, जिसका गठन पर्यटन के महत्व का मूल्यांकन करने के लिये किया गया है, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसके ग्रध्ययन की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ग्रौर (ख): पर्यटन विभाग में पर्यटन के प्रभाव के संबंध में लागत-लाभ ग्रध्ययन का कार्य राष्ट्रीय व्यावहारिक ग्रार्थिक ग्रनुसंधान परिषद को, जो कि सोसाईटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के ग्रन्तर्गत स्थापित एक स्वशासी एवं स्वतंत्र संगठन है, सौंपा है। ग्रध्ययन संबन्धी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद को मंजूर की गई ग्रनुदानें

1380 **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री ग्ररविन्द एम० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की मंडियों के विकास के लिये ग्रनुदानें मंजूर की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1973–74 में कितनी राशि का ग्रनुदान दिया गया ; ग्रौर

(ग) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि ग्रनुदानों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है जिसके लिये वे मंजूर किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) जी हां।

(ख) 1973–74 के दौरान 34,51,500 रु० का ग्रनुदान 'खाते पर' दिया गया है ग्रौर शर्त यह है कि इसे उस वर्ष के संपरीक्षित लेखाग्रों के प्राप्त होने पर ग्रन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ग) जी हां, वर्ष के दौरान दिये गये अनुदानों को परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है और यह देखा जाता है कि अनुदान का उपयोग सरकार द्वारा अनुमोदित की गई योजनाओं/परियोजनाओं के लिये ही किया गया है ।

रीजनल डिजाइन सेन्टर के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को नौकरी से निकालना

1381 **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन रीजनल डिजाइन सेन्टर ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम कर रहे अर्हताप्राप्त डिजाइनरों, ड्राफ्टमैनों और क्राफ्टमैनों को हाल ही के महीनों में नौकरी से निकाला गया है अथवा क्या उन्हें बर्खास्त किया गया है ;

(ख) क्या उन्हें पदमुक्ति प्रमाणपत्र (रिलीविंग स्लिप) भी नहीं दिये गये हैं जिससे कि वे सम्बद्ध प्राधिकार्यों से अपनी भविष्य निधि राशि ले सकें ;

(ग) क्या उन्हें बहाल किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के रीजनल डिज़ाईन सेन्टर, दिल्ली में काम इस प्रकार का है कि कुछ कर्मचारियों को दैनिक मजूरी पर भर्ती करने की आवश्यकता होती है। उन्हें काम पर रखना समय-समय पर डिजाइनों के विकास से सम्बन्धित काम की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अभी हाल ही में ऐसे कुछ कर्मचारियों को हटाना पड़ा ।

(ख) दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि के भुगतान के मामले में, उन्हें भविष्य निधि की राशि निकालने का फार्म भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से लाना होता है जिस पर तत्पश्चात निदेशक, रीजनल डिजाइन सैन्टर, ओखला, नई दिल्ली द्वारा पृष्ठांकन किया जाता है। जो फार्म ले आये थे, उनके सम्बन्ध में भविष्य निधि राशि के भुगतान की सिफारिश कर दी गई है।

(ग) तथा (घ) कर्मचारियों को पुनः काम देना फिर कार्य की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

तेल संकट के कारण सेवा में न लिए गये विमानचालक

1383. **श्री मधुलिमये** :

क्या **पर्यटन और नागरविमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन 27 विमान चालकों के मामले के बारे में कोई पत्र मिला है, जो विद्यमान तेल संकट के कारण सेवा में नहीं लिये गये थे; और

(ख) तालिका को कुछ और समय तक न बनाये रखने के क्या कारण हैं ताकि स्थान रिक्त होने पर तालिका से रिक्तियों को भरा जा सकता ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 27 विमान चालक प्रत्याशियों के बारे में अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। प्रशिक्षु विमान चालकों के रूप में नियुक्ति के लिये बनाये गये 27 प्रत्याशियों के पेनल की अवधि 31 जनवरी, 1974 को समाप्त हो गयी थी। तथापि, इण्डियन एयरलाइंस ने पेनल के जीवन काल को 31 दिसम्बर, 1975 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

मिश्रित धागे और कपड़ों का निर्यात

1384. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगा देव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित धागे एवं कपड़ों के हमारे निर्यात इस समय विश्व की मंडियों में मुकाबले के स्तर के नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को कृत्रिम फाइवर धागे के निर्यात के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं;

(घ) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। हमारे मिश्रित धागे व फैब्रिक्स इस समय स्वदेश में उत्पादित किये जाने वाले पोलिस्टर फाइवर और रंजक व रसायन सामग्री की ऊंची कीमतों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ हैं।

(ग) से (ङ) मानव निर्मित फाइवर धागे के निर्यात पर, घरेलू मांग की तुलना में कम सप्लाई और ऐसे धागों से बनने वाले उपेक्षाकृत उच्च इकाई मूल्य वाले वूवन तथा निटिड फैब्रिक्स और तैयार वस्त्रों के निर्यात को प्रदान किये गये अधिमान के कारण 5–3–1974 से रोक लगी हुई है। मानव निर्मित फाइवर धागे के निर्यात की अनुमति दिये जाने के लिये इस समय कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अधिवर्षता तथा उपदान निधियों के पूंजी निवेश की एक समान पद्धति

1385. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगा देव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिवर्षता और उपदान जैसी सभी मान्यता-प्राप्त निधियों के पूंजी-निवेश के लिये कोई एक समान पद्धति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या इस पद्धति से पूंजी-निवेश अधिकतम निधि प्राप्त होगी; और

(घ) क्या इस नई पद्धति को बनाते समय सार्वजनिक संगठनों से परामर्श किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) मान्यता-प्राप्त अधि-वार्षिकी निधियों तथा मान्यता-प्राप्त उपदान निधियों के पूंजी-निवेश की पद्धति आयकर नियमावली 1962 के क्रमशः नियम 85 और 101 के अधीन विनियमित होती है। उक्त नियमों में संशोधन अब विचाराधीन है।

हवाई अड्डों का विस्तार

1386. श्री डी० डी० देसाई :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री वसंत साठे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन संकट को देखते हुये सरकार का किन्हीं हवाई अड्डों को बन्द करने अथवा अनेक हवाई अड्डों के विस्तार में विलम्ब करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने हवाई अड्डे वायु-मानचित्र में से निकाले जाने हैं; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) किसी भी विमान-क्षेत्र को बन्द करने का कोई इरादा नहीं है, तथापि, विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और विमान-बेड़े की तंग-स्थिति के फलस्वरूप इण्डियन एयर लाइंस द्वारा कुछ स्टेशनों के लिये विमान सेवाओं को रद्द किये जाने के कारण, कुछ विमानक्षेत्रों पर कर्मचारियों की संख्या को कम करना पड़ सकता है। वित्तीय परिसीमाओं तथा विमान सेवाओं के संशोधित परिचालनात्मक ढांचे के कारण कुछ विमानक्षेत्रों का विकास भी अस्थगित करना पड़ सकता है।

Seizure of adulterated tea in Ganganagar

1387. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of tea suspected to have been heavily adulterated was seized from some traders in Ganganagar in the first fortnight of June, 1974; and

(b) the quantity of tea seized, the value thereof in Indian currency and particulars of the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George).

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच हुआ समझौता

1388 **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1973 और 1974 में अपने-अपने संगठित श्रमिकों के साथ किए गए समझौतों के लिये सरकार से मंजूरी मांगी है;

(ख) प्रत्येक मामले में मंजूरी देने में सरकार नें कितना समय लिया; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच हुये समझौतों को मंजूरी देने के लिये कोई सिद्धांत निर्धारित किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह सूचना विवरण में दी गयी है।

(ख) जब सरकारी उद्यम अपने संगठित श्रमिकों के समक्ष कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उससे पहले उस पर सरकारी अभिकरणों और उद्यमों के बीच निरन्तर परामर्श किया जाता है । इस समझौता-वार्ता के बीच मण्डलों (बोर्डों) द्वारा भी मामले पर विचार किया जाता है। इसमें किसी भी अवस्था में प्रस्तावों में परिवर्तन कर दिये जाते हैं। अत: ऐसी स्थिति में यह निश्चित करना कठिन है कि किया गया समझौता किस तारीख को सरकार को भेजा गया तथा सरकार ने अपनी मंजूरी देने में कितना समय लिया। फिर भी, सरकार का यही प्रयास रहा है कि ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी कर दी जाये।

(ग) सरकार इन प्रस्तावों की, सुविचारित प्रतिमानों एवं सिद्धांतों के आधार पर जांच करती है ताकि एक जैसे उद्योगों और क्षेत्रों के वेतन-स्तरों में विरूपता न आने पाए। सरकार ने सरकारी उद्यमों में मंहगाई एवं अन्य भत्तों की मात्रा नियमित करने के लिये पहले ही मार्ग-निर्देश भी जारी कर दिये हैं।

विवरण

1973 और 1974 के दौरान मजदूरी सम्बन्धी समझौतों के लिये सरकार को आवेदन करने वाले प्रमुख सरकारी उद्योगों के नाम।

1. भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड।
2. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड।
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ।
4. भारत स्वंण खान प्राईवेट लिमिलेड।
5. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ।
6. भारतीय काजू निगम लि० ।

7. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ।
8. कोयला खान प्राधिकरण लि० ।
9. कोचीन शिपयार्ड लि० ।
10, निर्यात ऋण एंव प्रत्याभूति निगम लि० ।
11. फर्टिलाइज़र एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० ।
12. भारतीय उर्वरक निगम लि० ।
13. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि० ।
14. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० ।
15. भारी इंजीनियरी निगम लि० ।
16. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० ।
17. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० ।
18. हिन्दुस्तान कापर लि० ।
19. हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लि० ।
20. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लि० ।
21. हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लि० ।
22. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० ।
23. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ।
24. हिन्दुस्तान टैलिप्रिंटस लि० ।
25. हिन्दुस्तान जिंक लि० ।
26. भारतीय पर्यटन विकास निगम ।
27. भारतीय होटल निगम लि० ।
28. इण्डियन एयरलाइन्स ।
29. भारतीय तेल निगम लि० ।
30. इण्डियन रेअर अर्थस लि० ।
31. इण्डियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज लि० ।
32. भारतीय मशीन औज़ार निगम लि० ।
33. माझगाव डाक लि० ।
34. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० ।
35. माडर्न वेकरीज़ (इण्डिया) लि० ।
36. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० ।
37. नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० ।

38. तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग ।

39. भारतीय परियोजना एंव उपस्कर निगम लि० ।

40. रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लि० ।

41. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ।

42. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि० ।

43. भारतीय यूरेनियम निगम लि० ।

विदेश गये शिष्ट मण्डल

1389 **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक, शैक्षणिक शिष्टमंडलों सहित कितने शिष्टमंडल जनवरी, 1974 के बाद विदेश गये और उन्होंने कौन-कौन से देशों का दौरा किया तथा प्रत्येक शिष्टमंडल पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए शिष्टमंडलों को विदेश भेजने पर अग्रेतर प्रतिबंध लगाने का है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्वन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों पर व्यय में अधिकतम संभव किफायत हासिल करने की आवश्यकता पर सरकार सतत रुप से विचार करती रही है । वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए, सभी मंत्रालयों को हाल ही में इस आशय के अनुदेश दुबारा जारी किये गये हैं कि विदेश यात्राओं में सख्त कटौती की जाये तथा विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों की संख्या, उनको बार-बार भेजे जाने तथा उनके आकार में भारी कटौती की जायें । मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का निपटान करने के लिए एक कठोर कार्यविधि विनिर्धारित की गई है । सरकारी अधिकारियों के मामले में वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा तथा मंत्रियों के मामलों में वित्त मंत्री/प्रधान मंत्री के स्तर पर, इनकी छानबीन की जाती है । विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कठोरतम मानदण्ड लागू किये जाते हैं तथा व्यय के अनुमानों की बारीकी से छानबीन की जाती है तथा उन्हें न्यूनतम रखा जाता है ।

भारत को निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

1390 **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और 1974 (जुलाई तक) के दौरान भारत को विदेशों को निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) 1 जुलाई, 1974 को व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यातों से विदेशी मुद्रा की आय के बारे में आंकड़े भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण अभिलेखों के आधार पर संकलित व प्रकाशित किये जाते हैं। निर्यातों से विदेशी मुद्रा की आय से सम्बन्धित नवीनतम आंकड़े 1972 की प्रथम छमाही के लिये हैं। निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा भी सीमा शुल्क अभिलेखों के आधार पर संकलित व प्रकाशित किये जाते हैं। इसके बाद वाले आधार पर नवीनतमन आंकड़े मई 1974 के लिये हैं। 1972, 1973 और जनवरी-मई, 1974 के दौरान निर्यात (पुनर्निर्यातों सहित) क्रमशः 1859 करोड़ रुपये, 2262 करोड़ रुपये और 1153 करोड़ रुपये के हुए।

(ख) जनवरी-मई, 1974 के दौरान भारत का व्यापार सन्तुलन 90.3 करोड़ रुपये तक प्रतिकूल रहा।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट की राशि के भुगतान के लिये बिहार द्वारा मांगा गया ऋण

1391. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट की राशि का भुगतान करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 50 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को यह बता दिया गया है कि उनको इस प्रकार का ऋण देना मुमकिन नहीं है। राज्य सरकार के साथ उनकी चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पर्यटकों को लद्दाख की यात्रा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

1392 श्री कुशोक बाकुला : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या पर्यटकों को लद्दाख यात्रा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय द्वारा 4 जून, 1974 को जारी की गयी अधिसूचना द्वारा लद्दाख के कुछ भागों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूती कपड़े के निर्यात कर्ताओं के लिये अधिक नकद सहायता

1393. श्री भान सिंह भौरा :
श्री सुखदेव प्रसाद बर्मा :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष से सूती कपड़े के निर्यात कर्ताओ का अधिक नकद सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1974 तक सूती कपड़े के निर्यातकों की सहायता के रुप में कितनी राशि दी गई है और किन-किन फर्मों को वह राशि दी गई है; और

(ग) सूती कपड़े के निर्यात सें हुई आय के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)

(क) तथा (ख) सरकार सूती कपड़ें कें निर्यातकों को कोई नकद सहायता नहीं देती है परन्तु भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ कुछ श्रेणियों के सूती कपड़े कें निर्यातों पर नकद सहायता देता है। इस सहायता की दर में हाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में 1-10-1973 से सहायत की दरें घटा दी गई थीं।

(ग) 1972 से सूती कपड़े क निर्यात से हुई आय निम्नांकित प्रकार थी :

वर्ष	करोड़ रुपये
1972	150.0
1973	219.53
1974 (जनवरी से जून)	118.98

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि

1394 श्री भान सिंह भौरा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) पूर्वी यूरोप के प्रत्येक देश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार का गत 10 वर्षों से निरन्तर विस्तार हुआ है। भारत तथा इन देशों के बीच कुल व्यापार 1963 में लगभग 302 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ कर 1973 में 700 करोड़ रुपयें हो गया। प्रत्येक देश के साथ व्यापार वार्षिक व्यापार योजनाओं के आधार पर किया जाता है जो उनके साथ दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करारों के ढांचे के भीतर तैयार की जाती हैं। सभी भुगतान गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाता है तथा व्यापार द्विपक्षीय तथा सन्तुलित होता है। व्यापार की पद्धति, इन सभी देशों के साथ बहुत कुछ एक सी हैं। हमारे आयात की प्रमुख वस्तुएं ये हैं : उर्वरक, इस्पात तथा इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं, गंधक, एस्वैस्टो आदि जैसा औद्योगिक कच्चा माल, पैट्रोलियम उत्पाद, रसायनिक पदार्थ, मशीनें तथा उपस्कर आदि। इन देशों को हमारे निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं : खली, पटसन, चमड़ा, सूती वस्त्र, तम्बाकू, काजु की गिरियां, चाय, काफी, मसाले, विभिन्न मशीनी मदें, मशीनी पुर्जे, जूते, औषध तथा भेषज, साधित अभ्रक आदि।

भारत और मलेशिया के बीच नई विमान सेवाएं

1395. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलेशिया दोनों देशों के बीच नई विमान सेवायें चलाने के लिये सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रुप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): मलेशिया के साथ 22 मई, 1974 को एक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर हुए जिसमें यह व्यवस्था की गई कि भारत तथा मलेशिया की नामित विमान कम्पनियों में से प्रत्येक प्रति सप्ताह अपनी इच्छा के विमान से, करार के साथ संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर, दो सेवाओं तक परिचालित कर सकती है। इस समय एयर-इंडिया कुआलालम्पुर होते हुए एक सेवा तथा मलेशियन एयरलाइन्स सिस्टम मद्रास के लिये प्रति सप्ताह एक सेवा का परिचालन करती है।

चमड़ा उद्योग के लिये कच्चे माल का उपलब्ध न होना

1396. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री सी० के० जफर शरीफ : } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चा माल उपलब्ध न होने से चमड़े की वस्तुएं बनान वाले उद्योग के काम में रुकावट पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार चमड़े के निर्यात-कार्य से सन्तुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उद्योग के सुधार करने के लिये इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। चूंकि सरकार ने कच्ची खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर रोक लगा दी है तथा अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात पर भी 1 अगस्त, 1973 से कोटा प्रतिबन्ध लगा दिया है, इसलिए तैयार चमड़ा उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धि में कोई दिक्कत नहीं होगी।

(ख) अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यात की मात्रा तो संतोषजनक है, पर तैयार चमड़ का निर्यात पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है।

(ग) सरकार ने उद्योग के सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं। अर्ध-साधित खालें तथा चमड़ियां तैयार करने के लाइसेंस धारियों को तैयार चमड़े का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई और उन्हें इसके लिये किसी संशोधन या नये लाइसेंस की अपेक्षा नहीं होगी। तकनीकी विकास महानिदेशालय से क्लीयरेंस के पश्चात् मशीनों की एक सूची अधिसूचित की गई है ताकि उत्पादक आसानी से आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा पूर्ण रूप से केवल चमड़ा उद्योग के लियें एक गहन कार्यक्रम चलाया गया है। सरकार अन्य उपायों पर भी सक्रिय रुप से विचार कर रही है।

Directions given by RBI to Its Bangalore office in regard to Cheques Issued by Kerala and Karnataka Governments

1973. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India has directed its Bangalore Office not to honour cheques issued by the Kerala and Karnataka Governments ;

(b) whether many cheques presented to the Bank after 3rd May, 1974 by the said State Governments could not be encashed;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) why timely action was not taken to normalise the situation in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) and (b) : On account of the persistence of their overdrafts, the Reserve Bank of India had to suspend payments for three working days in the case of Kerala and one working day in the case of Karnataka, between the 4th and 8th May, 1974, before the States could clear the overdrafts with the help of assistance from the Centre.

(c) and (d): In terms of the procedure on this subject, formulated and advised to all State Governments, from 1st May 1972, the State Governments are not allowed to use overdraft with the Reserve Bank of India as a budgetary resource, and the payments of the State Governments are liable to be suspended if overdrafts persisted for more than seven consecutive days. The Kerala and Karnataka Governments were running overdrafts for longer periods with the Reserve Bank of India. In spite of being advised to take steps for clearing their overdrafts, they failed to do so. Their payments were therefore suspended with effect from 4th May, 1974. But following discussions with the State Governments, when they undertook to improve their financial position advance releases of funds due to them from the Centre in the current year were made to enable the States to clear their overdrafts. The payments were accordingly resumed by the Reserve Bank, on 6th May, 1974 in the case of Karnataka and 8th May, 1974 in the case of Kerala.

Recovery of fake currency Notes in Belari and Kakinara in Karnataka

1398. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether a large number of hundred rupee fake currency notes have been recovered in Belari and Kakinara in Karnataka and various places in Andhra Pradesh during May-June, 1974; and

(b) The number of persons against whom action has been taken indicating the nature thereof and the future scheme and policy of Government to check the circulation of fake currency notes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) and (b): The information is being collected from the State Governments concerned and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Central loan outstanding Against States

1399. **Shri Hukam Chand Kachwai:** } Will the Minister of **Finance** be
Shri H.M. Patel : } pleased to state :

(a) the total amounts due from the State Governments at present on account of the loans advanced by the Central Government to State Governments statewise; and

(b) the steps being taken to recover these loans ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) A statement having Central Loans outstanding against each state as at the end of 1972-73, the latest year upto which the final accounts are available, is placed on the Table of the House.

(b) The recovery of the outstanding loans is being made in accordance with the terms prescribed for each loan.

Statement

Central loans outstanding against States as on 31st March, 1973

	Rs. Lakhs.
1. Andhra Predesh	689,99
2. Assam	369,15
3. Bihar	688,35
4. Gujarat	296,97
5. Haryana	213,53
6. Himachal Pradesh	117,57
7. Jammu & Kashmir	285,98
8. Karnataka	423,60
9. Kerala	344,21
10. Madhya Pradesh	414,83
11. Maharashtra	628,14
12. Manipur	34,25
13. Meghalaya	3,92
14. Nagaland	23,35
15. Orissa	468,21
16. Punjab	247,83
17. Tamil Nadu	415,23
18. Rajasthan	703,19
19. Tripura	33,61
20. Uttar Pradesh	821,53
21. West Bengal	752,74
Total	7,976,18

रूई के आयात को प्रोत्साहन न देना

1400. **श्री महेंद्र सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कठोर उपाय करके रुई के आयात को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि देश में रूई का उत्पादन बड़े, अधिक उर्वरकों के आयात सहित कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने रुई की स्वदेश में प्राप्यता का पूरा हिसाब लगाने के बाद रुई के सीमित आयातों की अनुमति दी है।

(ख) रुई सहित सभी फसलों की आवश्यकता और स्वदेशी स्रोतों से उर्वरकों की प्राप्यता को ध्यान में रखते हुये उर्वरक के आयात की व्यवस्था की जाती है।

पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात बढ़ाना

1401. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात बढ़ाने की गंजायश इतनी अधिक नहीं है जितना पहले अनुमान लगाया गया था जब कि निर्यात के लिये द्रुत योजना बनाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे म सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात बढ़ाने की गुंजायश अब भी बहुत है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा के ढंग का परीक्षण करने हेतु समिति का गठन

1402. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या फसल बीमा के अत्याधिक व्यवहार्य ढंग का गहराई से परीक्षण करने हेतु सामान्य बीमा निगम के शासी निकाय के सदस्यों वाली एक समिती का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त होगा ;

(ग) क्या सामान्य बीमा निगम ने कुछ राज्यों में पहले से ही चंयनात्मक आधार पर फ़सल बीमा आरम्भ कर दिया है : और

(घ) यदि हां, तो चयन किस आधार पर किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारण बीमा निगम बोर्ड ने प्रायोगिक फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वियन की जांच करने और उस पर रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिये एक समूह का गठन किया है।

(ख) आशा है कि यह समूह सितम्बर में किसी समय साधारण बीमा बोर्ड को अपनी रर्पोट प्रस्तुत कर देगा।

(ग) जी, हां। चालू खरीफ के मौसम में निम्नलिखित प्रायोगिक फसल बीमा योजनायें लागू की जा रही हैं :

(1) कपास पर तीन योजनायें—जिला बड़ौदा (गुजरात), ज़िला जलगांव (महाराष्ट्र) और जिला कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में एक एक योजना,

(2) मूंगफली पर दो योजनायें—जिला प्रकाशम् (आंध्र प्रदेश) और राजकोट तथा जिला अमरेली (गूजरात) में एक एक योजना।

(घ) कपास और मूंगफली देश की मुख्य वाणिज्यिक फसलों में से हैं। इन प्रायोगिक योजनाओं को चलाने के लिये उपर्युक्त चुनींदा क्षेत्रों में अपेक्षित-आधारभूत सामग्री (इंफ्रां-स्ट्रक्चर) उपलब्ध थी।

ईरान से ऋण के लिए पेशकश

1403 **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिये दस खरब (एक बिलियन) डालर का ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस राशि का उपयोग जिस कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा उसकी मूख्य बातें क्या हैं ; और इसका भूगतान किस प्रकार किया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : ईरान ने कुछ परियोजनाओं के लिये ऋण देने की सहमती दे दी है। कितनी सहायता दी जायेगी और उसकी शर्ते क्या होंगी, इस पर अभी बातचीत की जा रही है।

भारत में कपड़े का मूल्य

1404. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में कपड़े के मूल्य विश्व के मूल्यों से अधिक हैं ;

(ख) क्या भारत की नई कपड़ा नीति से कपड़ा उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ग) कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये गयें हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस प्रकार का अनुमान लगाने के लिये कोई तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) नई एकीकृत वस्त्र नीति की घोषणा अभी की जानी है । तथापि, सरकार उद्योग की उत्पादन क्षमता और उपभोक्ता के लिये कपड़े की प्रयाप्त बढ़ाने के लिये बराबर कदम उठा रही है ।

(ग) 1 अप्रैल 1974 से सरकार ने कंट्रोल के कपड़े की, जो कानूनी तौर से विनियमित कीमतों पर बेचा जाता है, मात्रा प्रति वर्ष 40 करोड़ मीटर से बढ़ा कर 80 करोड़ वर्ग मीटर कर दी है । गैर-नियंत्रित किस्मों के कपड़े की कीमतें मुख्य कच्चा माल जैसे रुई व अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों के साथ ही मजूरी की लागत के आधार पर निश्चित की जाती हैं । ये लागतें बराबर बढ़ती जा रही हैं किन्तु सरकार लगतों में इस वृद्धि को रोकने के लिये यथासंभव उपाय कर रही है ।

विदेशी यात्रियों के लिए लैंडिंग परमिट में ढील देना

1406. **श्री बनमाली बाबू :**
श्री वीर भद्र सिंह : } क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए 'लैंडिंग परमिट' की अवधि में ढील देकर 21 दिन से 28 दिन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ख) यह सुविधा पर्यटन विभाग के अनुरोध पर दी गयी है ताकि पर्यटक 6 मास में एक बार 28 दिन की अवधि के लिये बिना बीज़ा के भारत की यात्रा कर सकें । पर्यटन विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरुप अवतरण परमिट सुविधा मूलत : नवम्बर 1967 में नवम्बर 1969 में 7 दिन की यात्रा के लिए प्रारंभ की गयी थी । हाल ही में 28 दिन तक का विस्तार इस आधार पर किया गया था कि यात्रियों का औसतन ठहरनें का समय अब 21 दिन से 28 दिन तक हो गया है । अवतरण परमिट सुविधा भारत के लिए पर्यटन अभिवृद्धि में बहुत सहायक हुई है ।

Export of equipment manufactured by Indian Telephone Industries

1407. **Shri Shrikrishna Agrawal :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether the export of equipments manufactured by the Indian Telephone Industries has yielded huge profits during 1973-74;

(b) if so, the facts thereabout ;

(c) whether the equipments are exported only after meeting the domestic needs; and

(d) if so, equipments of what value were manufactured during 1973-74 and the extent to which it was in excess of the domestic needs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. Exports are nominal.

(d) Equipment worth about Rs. 47 crores in value was manufactured in 1973-74 by the Indian Telephone Industries. Export in 1973-74 was of the order of Rs. 43·7 lakhs. The question of exporting excess equipment of the domestic needs does not arise.

Import of Rifles by National Rifles Association

1408. Shri Shrikirshna Agrawal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether National Rifle Association has made an application for importing rifles ;

(b) if so, the total amount of expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George)

(a) No Sir. No application for the import of Rifles by the National Rifle Association during the licensing period 1974-75 has so far been received in the office of the Chief Controller of Imports & Exports.

(b) & (c) Do not arise.

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा जारी किये गए 'ट्रैवलरर्स चैकों' का भुगतान

1409. **श्री एम० कता मुत्तु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीयकृत बैंक के 'ट्रैवलर चैक' का भुगतान दूसरा बैंक नहीं करता है और क्या भारतीय बैंकों के 'ट्रेवलर चैक' विदेशी बैंको द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और

(ग) क्या इन कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु कोई नई प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गये यात्री चैक दूसरे उन्हीं बैंकों द्वारा भुनाये जाते है जिनके साथ उस बैंक ने इन चैकों के भुनाये जाने के बारे में परस्पर प्रबन्ध कर रखा हो। परस्पर-प्रबन्ध न होने पर भी बैंक अन्य बैंकों के यात्री चैक भुना देते है, यदि वे उन व्यक्तियों को जानते हों जिनके नाम चैक हो या उस व्यक्ति का उनसे उपयुक्त रूप से परिचय करा दिया जाय । हो सकता है कि राष्ट्रीकृत बैंक विदेशी बैंकों के साथ उनके यात्री बकों को भुनाने के बारे में कोई प्रबन्ध करना जरूरी न समझते हों क्योंकि भारत में विदेशी बैंकों की शाखायें अधिकांशतः उन्हीं स्थानों पर हैं जहां चैक जारी करने वाले बैंक अथवा एजेंसी बैंकों की शाखायें हैं ।

सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी उपक्रमों में रूसी विशेषज्ञ

1410. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का ब्योरा क्या है जिनमें इस समय परामर्शदाताओं/सलाहकारों के रूप में सभी विशेषज्ञ नियुक्त हैं ;

(ख) इन विशेषज्ञों की योजनावार संख्या कितनी है; और

(ग) वे किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ख) : आवश्यक सूचना इकट्टी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

भारत से चाँदी की तस्करी

1411. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चांदी की तस्करी करने के लिये देश के विभिन्न भागों में कई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हैं क्योंकि इस धातु का विदेशों में उंचा मूल्य मिलता है :

(ख) क्या सोने के व्यापारी देश में चांदी की तस्करी कर रहे हैं और इसके बदले में विदेशों स सोना ले रहें है जिसका यहां मूल्य अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रकाश में लाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है और तस्करी को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुछ अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह देश से चांदी के तस्कर -निर्यात में लगे हुए हैं।

(ख) कुछ मामलों में, सोना चांदी के कुछ व्यापारियों के भी अन्तर्ग्रस्त होने की रिर्पोट मिली है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी लेकिन, चांदी के अखिल भारतीय अभिग्रहणों के व्यौरे निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मूल्य लाख रू० में
1973	38
1974 (मई तक)	165

तस्कर-व्यापार जिसमें चांदी का तस्कर-निर्यात भी शामिल है को रोकने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

योजनाबद्ध सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना। जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों और वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट के साथ-साथ तथा भुसीमाओं पर सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की तलाशी लेना । मार्ग में ही प्रभावी तौर पर पकड़ने और रोकने के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच नौकांये और वाहनों की व्यावस्था की जाती है । अन्नय रूप से तस्करी विरोधी कार्यों की देखभाल के लिये, सुगमता सें पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में, सीमा शुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता और सौमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ट अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। भारत के पश्चिमी तट से 50 कि० मि० अंदर तक फैले विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पूर्वी समुद्र तट के उस भाग में जो तामिल नाडु और पांडीचेरी के अन्तर्गत आते है, नियामक उपायों की व्यवस्था करने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित कर दिया गया है। इन विनियमों में, परिसरों की सीमाशुल्क विभाग को घोषणा करना, वाउचर के अन्तर्गत चांदी को ले जाना, निर्धारित हिसाब किताब रखना और जाली व्यक्तियों के नाम पर विक्री को रोकने के लिये उपयुक्त उपायों की व्यवस्था की गयी है । इस स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाती है ।

तस्करी-विरोधी बेड़ा बनाने के लिये, सर्वप्रथम, तेज रफतार से चलने वाली 20 लांच नौकाओं की खरीद के आदेश दे दिये गयें हैं । बड़-बड़ पत्तनों और हवाई अड्डों पर तस्करी रोकने के लिये और पश्चिमी समुद्र -तट तथा तामिल नाडू तट पर तस्करी को रोकने क लिये बड़ी संख्या में तस्करी-विरोधी कर्मचारियों की स्वीकृति दे दी गयी है । एक बेतार- संचार तंत्र भी स्थापित किया जा रहा है ।

नियंत्रित कपड़े की वितरण व्यवस्था में किये गए अतिरिक्त प्रबन्ध

1412 **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों से खुदरा एजेंसियों के पास कपड़ा कहीं पर किसी समय तक स्टाक बिना जमा हुए आ रहा है ;

(ख) इसी अवधि की स्टाक की गत वर्ष की स्थिति की तुलना में स्टाक की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या फेडरेशन आफ आल इंडिया क्लाथ मर्चेन्टस एसोसियेशन ने नियंत्रीत कपड़े के वितरण कार्य में भाग लेने के लिये प्रस्ताव रखें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1973 व 1974 में अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिये कपड़ के स्टाक की स्थिति दर्शायी गयी है ।

(ग) फैडरेशन आफ आल इंडिया मर्चेन्टस एसोसियशन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आंकड़े हजार गांठों में

मास	1974		1973	
	अनबिका स्टाक	बिका स्टाक (बिना उठाया)	अनबिका स्टाक	बिका स्टाक (बिना उठाया)
अप्रैल	66.3	83.9	86.4	101.2
मई	82.0	99.1	87.1	102.1
जून	75.8	99.7	76.1	94.8

(ग) कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण के संबंध में फैडरेशन आफ आल इंडिया क्लाथ मर्चेंटस एसोसियेशन द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे :—

(1) विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कपड़े के पनहा, बनावट व पीस लैंग्थ में उपयुक्त परिर्वतन करके प्रत्येक श्रेणी में कपड़े की मानक किस्मों का उत्पादन किया जायेगा ।

(2) अनावश्यक प्रोसैसिंग को निरूत्साहित किया जायेगा और अनियंत्रित कपड़े से अन्तर रखने के लिये कपड़े के एक किनारे पर एक उपयुक्त रंग का पहचान धागा लगाया जाएगा ।

(3) फैडरेशन, अर्ध-थोक स्तरीय वर्ग को नियंत्रित कपड़े का वितरण करने के लिये विभिन्न वस्त्र व्यापार संघों के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा । उसके बाद कपड़े का वितरण अनुमोदित खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जायेगा जिन्हें सिविल सप्लाई विभाग और समाज सेवा संगठनों की सहायता से स्थानीय वस्त्र व्यापार संघ द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है ।

(4) मिलों को 83 प्रतिशत अधिक कीमतों की स्टाम्प लगानी चाहिये और माल की सुपुर्दगी एफ० ओ० आर० गन्तव्य स्थान आधार पर करनी चाहिये । जब तक इस पर सहमति न हो जाये, फैडरेशन 3 प्रतिशत का उपयोग भाड़ा समानीकरण निधि और शीर्ष निकाय के व्यय के लिये करेंगी ।

(5) खुदरा विक्रेता को 9 प्रतिशत के न्यूनतम मार्जिन की अनुमति दी जायेगी मिल से निकलते समय की कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच शेष मार्जिन अन्य माध्यमों के बीच वितरित होगा ।

हंगरी को निर्यात तथा वहां से आयात

1413. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी के बीच हुए द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत गत वर्ष के दौरान हंगरी को किये गये निर्यात तथा वहां किये गये आयात के विवरण क्या हैं :

(ख) क्या हंगरी को किये जाने वाले अपने निर्यात को बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां तो वे विशेष मद क्या है जिनमें उसकी रूची है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973 में हंगरी को निर्यातों का मूल्य लगभग 20.80 करोड़ रू० था। हमारे निर्यातों की मुख्य मदें ये थीं : तेल रहित मूंगफली की खली, चाय, काफी, पटसन माल, वस्त्र, मसाले, विभन्न इंजीनियरी माल आदि । इसी अवधि में हंगरी से लगभग 11.20 करोड़ रू० मूल्य के आयात हुए। आयात की मुख्य मदें ये थीं : इस्पात तथा इस्पात के उत्पाद, रासायनिक पदार्थ तथा मशीनरी की मदें ।

(ख) तथा (ग) : हंगरी के प्राधिकारियों के साथ उनके देश को भारत से निर्यात बढ़ाने के लिये बातचीत की गई है । हंगरी ने भारत से विभिन्न अपरम्परागत मदों जैसे तैयार चमड़ा, वस्त्र तथा विभिन्न इंजिनियरी की वस्तुएं आयात करने में अपनी रूचि प्रगट की हैं ।

बैंकों से लिये गये सावधि ऋणों को चुकाने के मामलों में दोषी

1414. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से लिये गय सावधि ऋणों को चुकाय न जान तथा इस राशि को कार्यकारी पूंजी में लगाये जाने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ;

(ख) क्या सट्टेबाजी तथा दुर्लभ वस्तुओं की जमाखोरी के लिये भी इन ऋणों का दूरूपयोग हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो सावाधि ऋणों के इस अप्राधिकृत उपयोग को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : बैंकों द्वारा दिये जाने वाले धम के मौजूदा तरीकों में बैंक इस बात की काफी छानबीन और देखरेख करते हैं कि दिये गये ऋणों का अन्तिम रूप से क्या उपयोग किया जाता है जिससे कि इस बात की निगरानी की जा सके कि किसी और काम में रूपया लगाकर या ऋण के बारे में अनुचित चूक करके ऋण सुविधाओं का दूरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है । जहां कहीं भी धन के दुरुपयोग किये जाने के खास मामलों का पता चलता है या वे बैंकों के ध्यान में लाये जाते हैं, वहां बैंक उस गलती को सुधारने के समुचित उपाय करते हैं । इसके अलावा, संवेदनशील वस्तुओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर रिर्जव बैंक कड़े श्रृण नियंत्रण लगाता है ताकि उन वस्तुओं की जमाखोरी या सट्टेबाजी के लिये बैंक ऋण की रकम का इस्तेमाल न किया जा सके ।

इंडियन एयरलाइंस के विमानों द्वारा माल को लाने ले जाने में विलम्ब

1415. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिमानों द्वारा माल विशेषकर जीवन को बचाने वाली औषधियों तथा प्रैस संबंधी सामग्री जैसी मदों को लाने ले जाने में विलम्ब होता है जबकि इनके लिये इंडियन एयरलाइन्स की विशिष्ट नीति के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है :

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : इंडियन एयरलाईन्स द्वारा जीवन को बचाने वाली औषधियों तथा प्रैस संबंधी सामग्री को लाने ले जाने के लिये उच्च प्राथमिकता दी जाती है ; दुर्भग्यवश, निकट भूतकाल में अनजाने में विलम्ब की तीन घटनायें हुई ।

भविष्य में देरियों को बचाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने उपयुक्त अनुदश जारी कर दिये हैं ।

भारत का भुगतान-शेष

1416. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भुगतान-शेष की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिर्जव बैंक के मई, 1974 के महीने के सब से हाल के बुलेटिन के अनुसार, विदेशी मुद्रा के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे केवल अप्रैल-जून 1972 तक के हैं चालू राजस्व वर्ष की पहली तिमाही में, रिर्जव बैंक की विदेशी परिसम्पति (सोना, एस० डी० आर० तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गयी रकम के अलावा) 61.33 करोड़ रूपये कम हो गयी है जिससे यह पता चलता है कि प्राप्तियों के मुकाबले अदायगियां अधिक की गयी ।

(ख) थोड़े समय की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ रकम निकाली है। देश की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति को मजबूत करने के लिये लम्बे अर्से तक लगातार प्रयत्न करने होंगें । इन प्रयत्नों में निर्यात प्रोत्साहन और बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों के स्थान पर देश में वैसी ही चीजें तैयार करने का बड़ा महत्व है ।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग

1417 **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 1974–75 के दौरान भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विर्मश करने हेतु टोकियो का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां तो दौरे के दौरान किन-किन विषयों पर विचार विर्मश हुआ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव मई 1974 में टोकियो गये थे।

(ख) और (ग) : जापान सरकार के साथ जो बातचीत की गयी उस का सम्बन्ध 1974–75 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एड इण्डिया कंसौर्शियम के तत्वाधान में जापान द्वारा भारत को दी जाने वाली विकास सहायता से था ।

बाद में जून 1974 में पैरिस में हुई एड इंडिया कंसौर्शियम के बैठक की जापान सरकार ने 1974–75 के चालू वर्ष में ऋण राहत के रूप में 12 अरब येन (32.52 करोड़ रुपये) एक उर्वरक परियोजना की सहायता के रूप में 11 अरब येन (29.81 करोड़ रूपये) और

वस्तु सहायता के रूप में 7 अरब येन (18.97 करोड़ रूपये) की रकम देने का वायदा किया था । पाद टिप्पणी : यैनों में दी गयी रकमों को 1 येन = 0.0271 रूपये की चालू विनिमय दर के हिसाब से रूपये में बदला गया है ।

मध्यम दर्जे क रेशे वाली रूई का आयात

1418 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम दर्जे के रेशे वाली रूई का आयात करन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० चार्ज) : (क) तथा (ख) : घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिये मध्यम दर्जे के रेशे वाली रूई का आयात करने की संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है ।

बिक्री के लिये काफी का पर्याप्त मात्रा में न दिया जाना

1419. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड भारतीय काफी डिपुओं तथा सहकारी समितियों के माध्यम से देश में बेचे जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में काफी की सप्लाई नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या इस से निजी व्यापारियों को कदाचार के लिये प्रोत्साहन मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो कदाचारों को रोकने के लिये जो कदम उठाने का विचार है उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

काफी का काफी बोर्ड के माध्यम से निर्यात करना

1420 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी का निर्यात व्यापार निजी व्यापारियों पर छोड़ने के वजाये काफी बोर्ड के माध्यम से करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उठाये जा रहे कदमों की मुख्य बातें क्या हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): इस संबन्ध में एक सिफारिश लोक लेखा समिति द्वारा अपनी 130 वीं रिर्पोट में की गई है । काफी बोर्ड

ने 1972 से निर्यातों हेतु सीधे तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बिक्रियों की शुरूआत कर दी है । काफी बोर्ड द्वारा और कदम उठाये जाने के संबंध में भी विचार किया जा रहा है ।

बिहार में 'अहित्यास्थान' 'गौतम कुंड' आदि स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने संबंधी प्रस्ताव

1421. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में जोगियारा ब्लाक में 'अहित्यास्थान' और 'गौतम कुंड' विसौल जो तीर्थ स्थान है और जहां राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र ठहरे थे और **बिसफी** जो विद्यापति और राजबलीगढ़ का जन्मस्थान है तथा बिहार के मधुबनी जिले में पुरातत्वीय खुदाई का प्रसिद्ध स्थल है, को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : साधानों के सीमित होने के कारण इन स्थानों का केन्द्रीय क्षेत्र में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

1422. **श्री भोगन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीलपुर, सहरसा, बेगुसराय जिलों और अन्य जिलों में बैंकों की विद्यमान शाखाओं और चालू वित्तीय वर्ष में खोली जाने वाली शाखाओं के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान विद्यमान शाखाओं में कितनी राशि जमा कराई गई और उन्होंने कितना ऋण दिया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उत्तर बिहार के जिलों के जिन केन्द्रों म 31 मई 1974 को बैंक की शाखाएं थीं उनके नाम अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं । उसी तारीख को बिहार के उत्तरी जिलों में शाखाएं खोलन के लिये वाणिज्यिक बैंकों के पास 20 लाइसेंस 1 आबटंन पत्र थे । इन केन्द्रों के नाम अनुबन्ध 11 में दिये गये हैं ।

दिसम्बर 1971, दिसम्बर 1972 और जून 1973 के अन्त में उत्तर बिहार के जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों के पास जमा रकमों और उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों सम्बन्धी आंकड़े अनुबन्ध 111 में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखे गये । दखिये संख्या एल० टी० 8113/74)

बिहार में कम्पनियों के नाम आयकर की बकाया राशि

1423 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री बिहार में कम्पनियों के नाम आयकर की बकाया राशि के बारे में 26 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि को एकत्र करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है और कितनी बकाया राशि को वसूल कर लिया गया है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विशेष जांच और कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : (i) 26 अप्रैल, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर में दिये गये विवरणपत्र 'क' में उल्लिखित दो विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में बकाया रकम को वसूल करने/कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड (ग्रेट ब्रिटेन) :

(क) अपीलीय आदेशों को लागू करने की कार्यवाही की गई है।

(ख) अपीलीय आदेशों के कारण होने वाली वापसी को बकाया रकम में समायोजित किया गया है।

इन उपायों के फलस्वरूप, बकाया में से 1 अप्रैल, 1974 से 30 जून, 1974 तक की अवधि म 5,28,837 रुपये तक की रकम वसूल/कम की गई है।

मसर्स जोन माइल्स एण्ड पार्टनर्स (लंदन) लिमिटेड :

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण से निवेदन किया गया है कि अपील की सुनवाई उसकी बारी से पहले की जाय। बकाया रकम म से कोई वसूली/कमी नहीं हुई क्योंकि मांग विवादग्रस्त है।

(ii) 26 अप्रैल, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 862 उत्तर में दिये गये विवरण-पत्र 'ख' में 14 देशी कम्पनियों के नाम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की तरफ 31 दिसम्बर, 1973 को एक लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया थी। 1 जनवरी 1974 से 30 जून 1974 तक की अवधि में, बकाया रकम को वसूल/कम करने के लिये इन 14 देशी कम्पनियों के विरुद्ध विभिन्न उपाय किये गये थे जिनम निम्नलिखित उपाय शामिल थे :–

(क) अपीलीय आदेशों को तत्परता से अमल में लाया गया।

(ख) इस बात का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि दण्ड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिये।

(ग) अपीलीय सहायक आयुक्तों/आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण से निवेदन किया गया कि अपीलों की सुनवाई उनकी बारी से पहले की जाय ।

(घ) यथोचित मामलों में बकाया रकम को किस्तों में अदा करने की सुविधा दी गई ।

(ङ) बकाया रकम के भुगतान के लिये सरकारी परिसमापक के पास दावा भेजा गया ।

1 जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974 तक की अवधि में इन चौदह कम्पनियों की तरफ बकाया में से 15,36,753 रुपये की रकम वसूल/कम की गयी ।

(iii) किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेष जांच अथवा/गैर कारवाई करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेष जांच और/अथवा कारवाई नहीं करने का कारण यह है कि इन मामलों में कर की बकाया रकम को वसूल करने में किसी अधिकारी ने लापरवाही नहीं की । फिर भी, आयकर-आयुक्त ने वसूली क लिए मुस्तदी से कारवाई करने और अपीलीय आदेशों को अमल में लाने के निमित्त आय-कर अधिकारियों/कर-वसूली-अधिकारियों को खास हिदायतें दी हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

1424 **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपनी समूची प्रथम ऋण व्यवस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 226 करोड़ रुपये का ऋण लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो 226 करोड़ रुपये के नये ऋण पर औसत ब्याज दर संबंधी विवरण क्या है और ऋण की वापसी की अवधि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत ने मई 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 23.50 करोड़ एस० डी० आर० (221.40 करोड़ रुपये) के बराबर विभिन्न मुद्राओं में धनराशि ली है ।

(ख) इस ऋण पर $\frac{1}{2}$% के हिसाब से एक बार सेवा शुल्क लगेगा और पहले तीन महीनों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, उसके बाद के 15 महीनों के लिए 2% शुल्क लगेगा और उसके बाद प्रत्येक छः महीन की अवधि के लिए शुल्क में 1/2% की वृद्धि होगी । यह ऋण सामान्यतः उसे 5 वर्षों की अवधि में वापस किया जायगा । अगर इसका भुगतान 3 वर्ष के अन्दर कर दिया गया, तो सेवा-शुल्क सहित औसत ब्याज दर 2.5 प्रतिशत बैठेगी ।

केरल के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना ।

1425 **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने बताया है कि मई 1974 के अन्त तक केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास निम्नलिखित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए 20 लाइसेंस/आवंटन थे ।

जिला	केन्द्र का नाम
कन्नाबूर	पन्नामरण
	चौकली, शैयानकोडी
एर्नाकुलम	ओडकल्ली
	मलायंत्तर
इडिकि	राजक्काडु
	राजकुमारी
कोझीकोड	पुल्लापल्ली
	थमरसैरी
मलाप्पुरम	इडाक्कारा
पालघाट	रागाली
क्विलौन	चवारा (थैक्कुम्भागांम)
	रानी-पजवानगडी
त्रिवेन्द्रम	वट्टीयुरकावु
	वैम्बयम
	मदाबूर
एलप्पी	मुहम्ना
	अरूर
	थमराकुलम
त्रिचूर	औल्लैंकर

केरल में पर्यटन का विकास

1426. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान केरल में पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु सरकार को हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख) सबरीमाला के विकास के लिये केरल सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि साधनों के सीमित होने के कारण इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय क्षेत्र में विचार नहीं किया जा रहा है। सबरीमाला में आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये केरल पर्यटन विकास निगम की पांचवी योजना में 5.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का कार्यकरण

1427. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टैट बैंक आफ इंडिया की कुल कितनी शाखाएं चल रहीं हैं और भविष्य में कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है ; और

(ख) नई शाखाएं खोलने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) 30 जून, 1974 को केरल राज्य के ग्रामीण केन्द्रों में स्टैट बैंक आफ इंडिया की 13 शाखाएं और उसके सहायक बैंक अर्थात् स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर की 108 शाखाएं कार्य कर रही थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस तारीख को केरल के ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के पास 8 लाइसेंस/आवंटन थे।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नयी शाखाएं खोलने के लिए स्टैट बैंक आफ इण्डिया ने जो कसौटी अपनायी हैं उसम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास को लाने और तेज करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने, बचत करने की गुंजाइश का पता लगाने, स्थानीय लोगों म बैंकिंग की आदत डालने और लम्बे अर्से में बैंकों की शाखाओं की लाभ कमाने की क्षमता जैसी बात शामिल हैं।

दक्षिण-पर्व एशिया के देशों के साथ संयुक्त उद्यम

1428. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत द्वारा एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को इस सम्भावना का पता लगाने क लिये भेजा गया था कि क्या वहां संयुक्त उपक्रम शुरु किये जा सकते हैं : और

(ख) यदि हां, तो उसने किन देशों की यात्रा की थी और सरकार ने वहां पर किन उद्योगों स्थापित करने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्ष 1974 के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय से एक प्रतिनिधिमंडल उस मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में मलेशिया तथा सिंगापुर गया और उसने इन देशों में संयुक्त उद्यम में स्थापित करने की अच्छी संभाव्यताओं की सूचना दी । इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा पता लगायी गयी संभाव्यताओं के विषय में आगे कार्यवाही करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने विशेषज्ञों का एक दल मलेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैण्ड के लिए प्रायोजित किया । संयुक्त उद्यमों के लिए मालूम की गई परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । इन देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा ।

विवरण

संयुक्त उद्यमों के लिए मालूम किये गये उद्योग

मलयेशिया

1. मशीनी औजार
2. शीरे पर आधारित उद्योग
3. कल्शियम कार्बोनेट
4. दस्ती औजार
5. मोटरगाड़ियों क फालतू पुज
6. रबड़ उत्पाद
7. एच० टी०/एल० टी० इन्सुलेटर्स
8. ताड़ के तेल को साधित करना ।
9. ऊंचे मूल्य वाली इमारती लकड़ी के उत्पाद ।
10. समाकलित इस्पात संयंत्र } दूरगामी अन्वेषण की परियोजनाएं ।
11. पत्तन विकास }

सिंगापुर

1. अति सूक्ष्म मशीनी औजार उप साधन
2. विद्युत स्टैम्पिग
3. सेनिटरी फिटिंग्स
4. कांट्रैक्ट इंजीनियरी संगठन

थाईलैंड

1. शीरे पर आधारित उद्योग
2. फ्लोराइड पर आधारित उद्योग
3. रबड़ इन्सुलेटिड केबल्स
4. दानेदार उर्वरक संयंत्र
5. खेत के औजार
6. सुरमा पेंसिलें
7. टेल्कम पाऊडर
8. फलों तथा सब्जियों को डिब्बों में बंद करना।
9. राक नमक पर आधारित उद्योग
10. समाकलित इस्पात संयंत्र
11. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
12. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं

(11–12) } दूरगामी अवेषण की परियोजनाएं।

Number of Tourists Visiting Bihar

1429. Shri Chandra Shekhar Singh :

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of tourists who visited Bihar during the last three years :

(b) the names of the sites visited by these tourists and whether some part of the money earned by Government from tourists was spent on those tourist spots; and

(c) if so, the extent thereof ?

The Minister of State in The Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. (SMT) Sarojini Mahishi) :

(a) The Department of Tourism maintains a record of foreign tourists arrivals on an all-India basis and not on State-wise basis. The figures pertaining to domestic tourist movements, however, are not being collected by the Department of Tourism.

Foreign tourist arrvivals in India during the last three years were as follows :—

Year					Foreign Tourist Arrivals in India
1971	..	..	..	..	300,995
1972	..				342,950
1973					409,895

(b) Places of tourist interest in Bihar visited by foreign tourists are mainly Patna, Bodhgaya, Rajgir and Nalanda.

The income earned from tourists from the facilities provided at the above places accrues to the agencies operating these facilities. The Central Government therefore does not earn any direct revenue from these facilities.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय करों से राजस्व में कमी

1430 श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व में लगभग 110 करोड़ रुपये की राशि की कमी हुई है ।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 में करों से कुल कितनी राजस्व एकत्र हुआ ;

(ग) क्या बजट पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा बताये गये आंकडे अब बताये जा रहे आकड़ों से भिन्न हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) वर्ष 1974–75 का बजट पेश करते समय निगम-कर को मिला कर आयकर, धन-कर, दान-कर, सम्पदा-शुल्क, सीमाशुल्क और कोयले, रबड़, नमक और कच्चे लोहे पर उप-कर को छोड़कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के वर्ष 1973-74 के जो बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान दिये गये थे, उनक आँकड़े निम्नलिखित

तालिका में दिये गये हैं। इन करों और शुल्कों से वर्ष 1973-74 में प्राप्त शुद्ध राजस्व के अन्तिम तथा गैर-तस्दीकशुदा आंकड़े भी नीचे की तालिका में दिखाये गये हैं :–

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान 1973–74	संशोधित अनुमान 1973–74	राजस्व संग्रह (अन्तिम) 1973–74	कालम (1) और (2) के बीच अंतर	कालम (1) और (3) के बीच अंतर
5,005.92	4,937.45	4,994.77	–68.47	–11.15

वर्ष 1974–75 का बजट पेश करते समय, 1973-74 के संशोधित अनुमानों के आधार पर घाटे का अनुमान 68.47 करोड़ रुपये का था। परन्तु 1973–74 में संग्रह (अन्तिम आंकड़ों) के आधार पर शुद्ध कमी 11.15 करोड़ रुपये की ही रही है।

(घ) यह कमी केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों में गिरावट के कारण हुई है। यह कमी मुख्यत: निम्न कारणों से हुई हैं :–

मुख्यत: बिजली और कच्चे माल की कमी तथा अपर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धि के कारण अल्युमीनियम, लोहे और इस्पात के उत्पादन, सीमेंट, संश्लिष्ट धागे और वस्त्र तथा साबुन जैसे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगने योग्य कुछ खास वर्गों के माल के उत्पादन और विकास में कमी ; तेल शोधक कारखानों के उत्पाद मिश्रण के प्रतिमानों में परिवर्तन होने से मिट्टी के तेल के उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव ; निर्धारित से न्यून दरों पर चाय बागानों द्वारा शुल्क अदा किये जाने की परवानगी की उच्च न्यायालय की निशषेधाज्ञा।

भारत-श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता

1431. बीर भद्र सिंह :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 में भारत-श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। आर्थिक सहयोग के लिए भारत-श्रीलंका उप समिति की पांचवी बैठक 3 जून से 7 जून, 1974 तक कोलम्बो में हुई थी।

(ख) उपरोक्त बैठक के दौरान भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापार का पुनर्विलोकन किया गया। विचार-विमर्श के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने, औद्योगिक सहयोग तथा पर्यटन आदि का विस्तार करने आदि से संबंधित विषय लिए गए। आपसी व्यापार का विशेषत: भारत द्वारा श्रीलंका से विशिष्ट वस्तुओं का आयात किये जाने के बारे में व्यापार का विस्तार करने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई।

सूती कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन

1432. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान देश में सूती कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े का कुल कितना उत्पादन किया गया ; और

(ख) वर्ष 1970–71 के उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन कितना कम या अधिक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्ष 1973–74 के दौरान देश में सूती वस्त्र मिलों का कपड़े का कुल उत्पादन 408.3 करोड़ मीटर था, जबकि 1970–71 में 405.5 करोड़ मीटर उत्पादन हुआ था।

गोविन्द सागर झील (हिमाचल प्रदेश) में मोटर नौकाएं चलाना

1433. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बलाउपुर जिले की गोबिन्द सागर झील में पर्यटकों के लिए दो मोटर नौकाएं चलाये जाने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा० श्रीमती सरोजनी महिषी) लांचों का निर्माण किया जा रहा है।

राज्यों की राजधानियों का नई दिल्ली के साथ विमान सेवाओं द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव

1434. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कौन-कौन सी राजधानियों का अभी भी विमान सेवाओं द्वारा नई दिल्ली के साथ सम्पर्क नहीं है ;

(ख) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में ऐसी सभी राजधानियों का नई दिल्ली के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो क्या क्रमबद्ध ढंग से विमान-सेवाओं द्वारा सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से इस सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता सूची तैयार की गई ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्नलिखित राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राजधानियां विमानसेवा से नहीं जुड़ी हुई हैं :–

हिमाचल प्रदेश	(शिमला)
मेघालय	(शिलांग)
नागालैंड	(कोहिमा)
अरुणाचल प्रदेश	(इटानगर)
दादरा तथा नागर हवेली	(सिलवस्सा)
लक्षद्वीप	(कवारेटी)
मिज़ोरम	(एज़ल)
पांडिचेरी	(पांडिचेरी)

(ख) से (घ) यद्यपि निकट भविष्य में इन सभी राजधानियों को वायुमार्गों से जोड़ना संभव नहीं है तथापि शिलांग के निकट बारापानी में एक हवाई अड्डे का निर्माणकिया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट किसी उपयुक्त स्थान के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है। नागर विमानन सुविधाओं का विस्तार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस के लिए विविध बातों पर विचार करना पड़ता है जिन में संभावित यातायात, विमान बेड़े की स्थिति तथा साधनों की उपलब्धता सम्मिलित हैं ।

शिमला के निकट एक हवाई अड्डा बनाया जाना

1435. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के निकट हवाई अड्डा बनाने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले

(ग) परियोजना कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है; और

(घ) शिमला का नई दिल्ली के साथ विमान द्वारा सम्पर्क स्थापित करना कब तक संभव हो सकेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) : शिमला के निकट जाभर-हट्टी में स्थल का सर्वेक्षण अभी अभी पूरा हुआ है तथा रिपोर्ट की नागर विमानन विभाग में जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ) : अभी इस समय कोई संकेत देना सम्भव नहीं है ।

भैंस के मांस का निर्यात

1436. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भैंस के मांस का निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों क दौरान कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया और इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मांस के परिष्करण के लिये एक कारखाना स्थापित करने का है और यदि हां, तो कहां ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये भैंस के मांस की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार है :–

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु० में)

1971–72		1972–73		1973–74	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
148	3.81	1065	31.67	1573	81.00

(ख) जी नहीं, केरल तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों के स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऐसे उत्पादन एकक स्थापित कर रहे हैं ।

पटसन निर्यात संबंधी संयुक्त नीति के बारे में भारत बंगलादेश शिखर सम्मेलन

1437. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए भारत-बंगला देश शिखर सम्मेलन में पटसन निर्यात संयुक्त नीति पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप क्या-क्या निर्णय किये गये और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पटसन के बारे में एक संयुक्त आयोग गठित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

बोलगा रेस्टोरेन्ट के नाम आयकर तथा धन-कर की बकाया राशि

1438. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 को बोल्गा रेस्टोरेंट, नई दिल्ली और इसे चलाने वाले ग्रुप के नाम आयकर और धन कर की कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) उनके विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में कितनी अपीलें विचाराधीन हैं और इनमें कितनी धनराशि अन्तग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बोल्गा रेस्टोरेंट, नई दिल्ली और उसको चलाने वाले सांझीदारों की तरफ 31 मार्च 1974 को आयकर और धनकर की बकाया रकम नीचे लिखे अनुसार हैं :–

	31–3–1974 को बकाया रकम (लाख रुपयों में)
आयकर	10.09
धनकर	0.17

(ख) बोल्गा रेस्टोंरट, नई दिल्ली और उसके साझीदारों के मामलों में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विभाग/कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई अपीलों में से निणयाधीन अपीलों की संख्या और उनमें ग्रस्त कर की रकम नीचे लिखे अनुसार है :–

	निर्णयाधीन अपीलों की संख्या	ग्रस्त कर (लाख रुपयों में)
कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई अपीलें	2	1.01 (आयकर)
विभाग द्वारा दायर की गई अपीलें	4	0.35 (आयकर)

आन्ध्र के बुनकरों द्वारा सूत की मांग

1439. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र के बुनकरों ने चालू वर्ष के लिये अपनी सूत की मांग को सरकार के समक्ष रख दिया था;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग के अनुसार उन्हें सूत की सप्लाई कर दी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) : आंध्र प्रदेश के हथकरघा तथा वस्त्र निदेशक ने 21–6–74 को आंध्र प्रदेश की कतिपय एसोसिएशनों और सहकारी समितियों से संबंधित बुनकरों की यार्न संबंधी मांगों की सूचना वस्त्र-आयुक्त को दे दी थी ।

(ख) तथा (ग) : ये मांगे भारतीय सूती मिल परिसंघ को मिलों से सीधे यार्न की सप्लाई के लिये व्यवस्था कराने के लिये भेज दी गई हैं । परिसंघ आवश्यक व्यवस्था कर रहा है ।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को सांविधिक संगठन में परिणित करना

1440. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को संविधिक संगठन में परिणत करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कायवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी नहीं । किन्तु यह दिसम्बर, 1973 में गठित किये गये हथकरघा उद्योग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक है । इस टीम द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

इलाहाबाद बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को दिया गया ऋण

1442. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को बहराइच जिले में नौ नल-कूपों पर बिजली सम्बन्धी कार्य-सम्पन्न करने के लिये इलाहाबाद बैंक के माध्यम से कोई ऋण दिये गये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में अभी तक कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड इलाहाबाद बैंक की एक असामी है । बैंकरों में प्रचलित परिपाटी तथा प्रथा के अनुसार और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार किसी बैंक की असामियों के खातों के बारे में विस्तृत सूचना नहीं दी जा सकती ।

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा नलकूपों के लिए धनराशि देना

1443. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले में इलाहाबाद बैंक द्वारा क्रियाशील बनाये जाने के लिये कन्जाशियम के आधार पर पांच सौ नलकूप मंजूर किये गये थे ;

(ख) क्या पक्के कुयें तथा नलकूप बनाने और रहट लगाने की योजना की प्रगति के लिये बहराइच म राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं को धनराशियों का नियतन किया गया था; और

(ग) क्या लीड बैंक अर्थात् इलाहाबाद बैंक द्वारा इसमें रुचि तथा उत्साह न दिखाये जाने के कारण प्रगति अत्याधिक धीमी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदश कृषि ऋण परियोजना के अन्तर्गत बहराइच जिले के छोटे सिंचाई कार्यक्रम को एक स्वीकृत बैंकिंग योजना के अधीन तीन वाणिज्यिक बैंकों अर्थात इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और पंजाब नशनल बैंक तथा उत्तर प्रदश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को सौंप दिया गया है। बहराइच जिले में इन बकों को लकिग योजना के अन्तर्गत सौंपे गये और कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कायक्रम की प्रगति में जो देर हो रही है वह अंशत: बिजली और डीजल-तेल की कमी के कारण हुई है जिससे छोटे सिंचाई कार्यों के लिये दिये जाने वाले कर्जे बांटने का काम रूक गया। यह भी सच है कि बैंको के लिये यह एक नया क्षेत्र है, इससे भी शुरू में काम की रफतार कुछ धीमी रही है। फिर भी बैंक "लीड बैंक' के सहयोग से, अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये हर मुमकिन कदम उठा रह हैं।

विवरण

बैंक का नाम	जिले में शाखाओं की संख्या	वास्तविक लक्ष्य				
		मौजूदा कुओं को गहरा करना और वहां रहट लगाना	पक्के कुऐं	पक्के कुओं की खुदाई और रहट लगाना	पम्प सेट	डीजल के नलकूप या बिजली के नलकूप
इलाहाबाद बैंक	4	—	—	—	195	305
पंजाब नेशनल बैंक	1	5	10	5	100	100
से ट्रल बक आफ इण्डिया	4	25	100	25	300	500
राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक	3	70	190	70	655	1295

न्यूयार्क में भारतीय पर्यटन अधिकारियों का सम्मेलन

1444 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में न्यायार्क में भारतीय पर्यटन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था, और

(ख) यदि हां तो वहां पर किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई थी और इस संबंध म सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई थी :

(1) गत वर्ष के दौरान पर्यटन अभिवृद्धि संबंधी नीतियों का प्रभाव ।

(2) विदेशों में हमारे अभिवृद्धिपरक कौशल, भारत में पर्यटन की अभिवृद्धि में बाधक समस्याओं का अभिनिर्धारण एवं समाधान ।

निम्न महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी :

पश्चिम एशिया जैसी नयी समृद्ध मार्किट में एक पर्यटक कार्यालय खोलना ; पर्यटक कार्यालयों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के विदेशी भाषाओं, यथा, अंग्रेजी जर्मन, फ्रैंच, स्पैनिश, जापानी तथा अरबी में पर्याप्त पर्यटन साहित्य का उत्पादन तथा उपलब्धता : कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारत के लिये विशिष्ट अभिवृद्धिपरक किराए लागू करना ; चार्टर विनियमों का सरलीकरण ; इंडियन एयरलाइंस तथा रेलवेज़ पर रियायती किराए ; भारत में होटल क्षमता में वृद्धि ; अतिसघन सड़क मार्गों पर स्थल मार्गीय पर्यटकों के लिए मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था ; युवा यातायात को प्रोत्साहन ; समुद्र-तटीय बिहार-स्थलों का विकास, तथा वीज़ा एवं सीमा-शुल्क औपचारिकताओं का सरलीकरण ।

पर्यटन विभाग ने इन सिफारिशों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है । कुछ सिफारिशों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है । इंडियन एयरलाइंस ने अपने अंतर्देशीय मार्गों पर विदशी पर्यटकों तथा युवा यात्रियों के लिए रियायती किरायों की घोषणा की है । कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है । बिना वीज़ा भारत आने वाले यात्रियों के लिंए 28 दिवसीय बहुल-प्रविष्टी अवतरण परमिट सुविधा की अनुमति दे दी गयी है ।

Arrears of Income tax Against Industrialists in Bihar

1445. Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether many industrialists in Bihar have to pay a large amount of Income Tax arrears to Government; and

(b) if so, the reasons for not recovering arrears from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) :

(a) and (b) : For the purpose of levy of income-tax, assessees are not classified according to their source of income, profession or vocation. Therefore, the requisite information in respect of industrialists in Bihar is not available. However, if the Hon'ble Members decided to have information about any particular assesse, the same will be collected and furnished.

Information readily available in respect of assessees in Bihar charge with arrears exceeding Rs. 1 lakh as on 30-6-1974 is as under :—

Arrears exceeding Rs. 1 lakh	Total No. of assessees
Arrears between Rs. 1 lakh and Rs. 5 lakhs.	68
Arrears between Rs. 5 lakhs and Rs. 10 lakhs	1
Arrears of Rs. 10 lakhs and above	11

अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीती की प्रवृत्ति पर मुद्रा प्रसार का प्रभाव

1446 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मुद्रा की सप्लाई में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्ष वार आंकड़े क्या हैं, और इसके क्या कारण है; और

(ग) हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीती की प्रवृत्ति पर इस मुद्रा प्रसार का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान मुद्रा उपलब्धि में हुई घट बढ़ और मुद्रा उपलब्धि पर प्रभाव डालने वाले कारणों का विवरण संलग्न है। 1971-72 और 1972-73 में मुद्रा उपलब्धि पर प्रभाव डालने वाला बड़ा कारण सरकार को दिये गये निवल बैंक ऋण में हुई वृद्धि था ; 1973-74 में मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि प्रमुख रूप से बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को अधिक ऋण दिये जाने के कारण हुई।

(ग) मुद्रास्फीति की इस प्रवृत्ति का मूल कारण यह है कि एक ओर तो मुद्रा की अधिक उपलब्धि से प्रभावी मांग उत्पन्न हो गयी है और दूसरी ओर माल की सप्लाई नाकाफी है जिससे उनके बीच असंतुलन हो गया है।

विवरण

मुद्रा उपलब्धी म हुई वृद्धि का विश्लेषण

(करोड़ रुपयों में)

	1971-72	1972-73	1973-74
(क) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	+998 (+14.0 प्रतिशत)	+1274 (+15.7 प्रतिशत)	+1346 (+14.3 प्रतिशत)

(ख) मुद्रा उपलब्धी में होने वाली घटबढ़ पर प्रभाव डालने वाले कारण (1+2+3+4+5)			
1. सरकार को दिये गये निवल बैंक ऋण	+1181	+1324	+956
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण	+848	+1117	+1453
3. बैंकिग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति	+61	−37	+107
4. जनता को सरकार का मुद्रा सम्बन्धी निवल दायित्व	+27	+45	+39
5. बैंकिंग क्षेत्र का मुद्रा-भिन्न दायित्व	+1120	+1175	+1209

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों में पिछले वर्ष से हुई प्रतिशत वृद्धि दिखायी गयी है ।

राज्यों के ग़ैर योजना खर्च में कटौती

1447 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ राज्य अपने गैर-योजना खर्च में कटौती करने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस कटौती का राज्यों की उन परियोजनाओं; योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो पहले ही आधी पूरी हो चुकी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ गैर-आयोजना खर्च को कम करने और आयोजना के लिए धन जुटाने की आवश्यकता पर जोर देने की बाबत बातचीत कर रही है यह बातचीत असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के साथ पूरी हो चुकी है । इन सुझावों के बारे में राज्यों की प्रतिक्रिया प्राय: अच्छी ही रही है । चूंकि राज्यों को अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय को कम करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए नि:संदेह उनकी विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर कोई बुरा भाव नहीं पड़ेगा ।

Loans by Nationalised Banks in Ratlam District (Madhya Pradesh)

1448. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks in Ratlam district (Madhya Pradesh) have stopped advancing loans to professionals and prectising dcctors;

(b) if so, the reasons therefore ; and

(c) if not, the reasons why the United Commercial Bank has taken this step ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan).

(a) to (c) : The information is being collected, to the extent possible, and will be laid on the Table of the House.

ऋण पर रोक लगाने संबंधी नई मौद्रिक नीति

1449. श्री इसहाक सम्भली :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण पर रोक लगाने संबंधी नई मौद्रिक नीति लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या गत व्यस्त अवधि में लागू की गयी ऋण पर रोक संबंधी नीति प्रभावी नहीं रही थी और यदि हां, तो उसके क्या करण हैं तथा नई नीति लागू करने के लिए क्या पूर्वोपाय अपनाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) और (ख) अर्थव्यवस्था में इस समय गम्भीर रूप से जो मुद्रा स्फीति की स्थिति चल रही है, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित ऋणनीति के उपायों का मुख्य लक्ष्य इस बात की पक्की व्यवस्था करना रहा है कि जहां एक ओर तो ऋण के कुल विस्तार से मुल्यावृद्धिकारी दबाव न बढ़े और दूसरी ओर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को माल के आवागमन और निर्यात सहित उत्पादन को सहारा देने के लिये धन की सभी उचित आवश्यकताएं पूरी होती रहें ।

अप्रैल, 1974 में कम कामकाज के मौसम के लिए नीति विषयक उपायों की घोषणा करते समय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी थी कि उन्हें कम कामकाज के मौसम में इस ढ़ंग से ऋण का नियमन करना चाहिये जिससे कि सम्पूर्ण कम कामकाज के मौसम में, उस अवधि के दौरान जमा की गई रकमों की वृद्धि के लगभग एक तिहाई के बराबर ऋण में निवल वृद्धि हो । बैंकों को यह सलाह भी दी गयी कि अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में, कानूनी रूप से पूर्वाधिकृत रकमों को हिसाब में लेते हुए, सम्पूर्ण वर्ष में जमा की रकमों में हुई वृद्धि के 65 प्रतिशत तक की सीमा के अन्दर ही ऋणों में वृद्धि की जाए । बैंकों को यह सलाह भी दी गयी है कि वे बिलों को फिर

से भुनाने के लिए स्वीकृत कुल सीमा को अप्रैल 1974 के अंत में विद्यमान स्तर के 40 प्रतिशत तक कम करें। इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिये कि कम कामकाज के मौसम में ऋण का प्रवाह रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थूल परिधियों के भीतर रखा जाये, कानूनी अनुपात और नकद-प्रारक्षित राशि अनुपात और व्याज की दरों के बारे में कुछ परिवर्तन घोषित किये गये थे।

अप्रैल में घोषित किये गये उपायों को और अधिक कारगर बनाने के लिये रिज़र्व बैंक ने निम्न लिखित अतिरिक्त उपायों की घोषणा की जो 22-7-74 को कारोबारी बंद होने के बाद लागू हुए थे:–

(1) बैंक दर में 2 प्रतिशत अर्थात् 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक वृद्धि।

(2) मियादी जमा पर दिये जाने व्याज की दरों में वृद्धि।

(3) विशेष रूप से मुक्त श्रेणियों को छोड़कर बाकी के मामले में उधार देने की न्यूनतम दर को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना।

(4) बिलों द्वारा धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ड्राअर बिल के लिये न्यूनतम बट्टे की दर 9.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 11 प्रतिशत और ड्राइज़ बिल के लिये यह दर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना।

(5) चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों के व्याज की न्यूनतम दरों को 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत करना और पृथक पृथक वस्तुओं व पार्टियों के लिये विशिष्ट दरें 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करना।

(6) विलम्बित अदायगी के आधार पर लिये जाने वाले ऋणों को छोड़ कर अन्य निर्यात ऋणों के लिये व्याज दर को 9 प्रतिशत से बढ़ा कर 10.5 प्रतिशत करना।

(7) अन्न की सरकारी खरीद करने वाली एजेंसियों को दिये जाने वाले अग्रिमों कर व्याज की दरों को भारतीय खाद्य निगम के मामले में 9 प्रतिशत से बढ़ा कर 11 प्रतिशत करना और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों के मामले में 9 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत करना।

(8) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले ऋणों पर अधिकतम व्याज की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करना।

(9) बैंकों को यह सुझाव दिया गया है कि वे अपने असामियों खास तौर से अधिक ऋण पाने के हकदार असामियों, द्वारा लिये गये अग्रिमों का ऋणों के प्रयोजनों के अनुसार ही उपयोग किये जाने की बाबत पूरी निगरानी रखें।

(ग) मई, 1973 से रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों पर नियंत्रण रखने के लिये जो उपाय बरते जा रहें हैं उनसे कुछ मात्रा में उन पर अंकुश रखने और मोटे तौर पर निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही चयनात्मक आधार पर ऋण दिये जाने में मदद मिली है ।

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के लागू करने के परिणामस्वरूप

केन्द्रीय सचिवालय सेवा वरिष्ठ संवर्गों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव

1450 **श्री एन० ई० होरी :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ संवर्गों के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव बरता गया है ;

(ख) क्या उनमें से ऐसे कर्मचारियों को जो पहली जनवरी, 1973 के एक वर्ष पूर्व अपने वेतन मान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं और उस तिथि से पूर्व किसी समय अगले वेतन मान से पदोन्नत हो गए हैं; केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये मूल वेतन के संदर्भ में अपने उन कनिष्ठ सहयोगियों की तुलना में हानि उठानी पड़ी है जो उसी तिथि पर अपने वेतनमान के अधिकतम पर थे तथा तब से पदोन्नत किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति का निराकरण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : 18 जुलाई, 1974 को इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि जिन मामलों में 1 जनवरी, 1973 से पूर्व उच्चतर पद पर पदोन्नत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी, तीसर वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गए संशोधित वेतनमानों में, अपने उस कनिष्ठ सहयोगी की अपेक्षा कम वेतन पाता है, जिसे उस तारीख के बाद उच्चतर पद पर के संशोधित वेतनमान में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को, कनिष्ठ अधिकारी के पदोन्नति की तारीख से, बढ़ाकर उस बेतन-स्तर तक कर देना चाहिये जो कनिष्ठ अधिकारी के लिये उच्चतर पद में नियत किया गया है, बशर्ते कि मुख्यत: निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :—

(क) कनिष्ठ अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी दोनों को एक ही संवर्ग का होन चाहिये तथा जिन पदों पर वे पदोन्नत किये गये हैं वे उसी संवर्ग में समरूप हों;

(ख) जिन निचले तथा उच्चतर पदों में वे वेतन लेने के हकदार हैं, उनके गैर-संशोधित तथा संशोधित वेतनमान समरूप होने चाहिये; तथा

(ग) यह विसंगति संशोधित वेतनमान में मूल-नियम 22-सी के उपबंधों को लागू करने के प्रत्यक्षत: परिणामस्वरूप होनी चाहिये ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण पर रोक की नीति

1451. श्री एन० ई० होरो :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत व्यस्त अवधि (26 अक्तूबर, 1973 से 29 मार्च, 1974 तक) में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लागू की गई ऋण पर रोक की नीति वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के विस्तार पर रोक लगाने के अपने मुख्य उद्देश्य में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में उपरोक्त अवधि के दौरान बैंक ऋण का कितना विस्तार हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिजर्व बैंक ने 1973–74 कि अधिक काम-काज के दिनों में ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये जो कदम उठाये थे उनके प्रभाव पर उक्त अवधि में अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली असामान्य स्थिति को ध्यान में रख कर ही विचार करना होगा। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि जहां एक ओर, ऋणों का कुल मिलाकर इतना विस्तार न हो जाय जिससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति कारी दबाव अधिक बढ़ जाय वहां दूसरी ओर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में उत्पादन बनाये रखने, सामान के लाने ले जाने और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऋण विषयक नीति के उपायों से ऋणों पर कुछ हद तक रोक लगाने में निश्चय ही सहायता मिली है और इससे निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार मोटे तौर पर चुने हुए क्षेत्रों के लिये ऋण का वितरण करने में भी सहायता मिली है।

(ख) 1972–73 के अधिक काम काज के दिनों में दिये गये ऋणों की तुलना में 1973–74 के इन्हीं दिनों में दिये गये ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा, संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

विवरण

ऋण विस्तार का क्षेत्रवार उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

	1973-74 के अधिक कामकाज के दिनों में (अक्तूबर, 1973 के अंत से अप्रैल, 1974 के अंत तक)* ऋण विस्तार		1972-73 के अधिक कामकाज के दिनों में (अक्तूबर, 1972 के अंत से अप्रैल, 1973 के अंत तक) ऋण विस्तार	
	रकम	प्रतिशत वृद्धि	रकम	प्रतिशत वृद्धि
1. कुल बैंक ऋण (फिर से भुनायी गयी हुंडियां को छोड़कर)	931	14.4	897	17.1
2. फिर से भुनायी गयी हुंडियां	244		19	
3. फिर से भुनियां गयी हुंडियों समेत सकल ऋण	1175	18.1	916	17.4
1. खाद्य ऋण	190	80.9	6	2.1
2. निर्यात ऋण	214	34.7	114	26.3
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	125	19.7	86	21.3
4. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात् कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यापार, सड़क परिवहन आदि क्षेत्रों को ऋण	219	14.0	122	9.5
5. बाकी क्षेत्र (मुख्यत: गैर सरकारी क्षेत्र के दरमियाने और बड़े उद्योग, थोक व्यापार)	427	12.4	588	20.6
6. सकल ऋण (फिर से भुनायी गयी हुंडियों समेत)	1,175	18.1	916	17.4

*अप्रैल, 1974 के आंकड़े उन बैंकों के हैं जिन्होंने कुल ऋण के लगभग 99 प्रतिशत ऋण दिये हैं।

धवन समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय

1452 श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धवन समिति के प्रतिवेदन की जांच के पश्चात् एवरो वायुयान क भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) डा० एस० धवन की अध्यक्षता में नियुक्त एक-सदस्यीय एवरो मूल्यांकन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कोलम्बो योजना के अन्तगर्त विदेशों को भारत की सहायता

1453. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के अंशदान के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा विभिन्न देशों को अपने विशेषज्ञों की सेवाओं सहित की गई आर्थिक सहायता सम्बन्धी विवरण क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1972 से लेकर द्विपक्षीय सहायता तथा तकनीकी सहायता के रूप में कोम्लबो योजना के अन्तर्गत भारत द्वारा कितनी सहायता प्राप्त की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) नेपाल और भूटान को छोड़कर जिन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है, भारत कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत मुख्यत: तकनीकी सहायता देता है ।

इन दो देशों को 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के वर्षों में जितनी सहायता देने के वचन दिये गये, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

देश	1970–71	1971–72	1972–73
नेपाल	9.36	9.12	7.50
भूटान	6.60	8.00	9.90

भारत ने कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत विभिन्न देशों को विशषज्ञों की सेवाओं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में तकनीकी सहायता दी है । 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के वर्षों में जितने विशेषज्ञ बाहर भेजे गये और जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गयीं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1970–71	1971–72	1972–73
विशषेज्ञ	20	12	9
प्रशिक्षण के स्थान	261	323	414

कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत भारत को मुख्यत: विशषज्ञों, प्रशिक्षण की सुविधाओं तथा थोड़े से उपकरणों के रूप में तकनीकी सहायता प्राप्त हुई । 1972 में भारत को 94 लाख डालर के मूल्य की ऐसी सहायता प्राप्त हुई थी । 1973 के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

तटीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिये की गयी कार्यवाहियां

1454. श्री के० मालन्ना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी क विरुद्ध कोई जबर्दस्त अभियान चलाया है ;

(ख) क्या तटीय क्षेत्रों में तस्करी के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) किये गये तस्करी-विरोधी उपायों के परिणामत: पूरे भारत में पकड़े गये माल के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1971	20.8
1972	25.4
1973	33.5
1974 (मई तक)	24.8

संश्लिष्ट वस्त्र और धागे, घड़ियां, सोना, ह्विस्की, ब्लेड, टेप-रिकार्डर, विद्युत संगणक, प्रसाधन-सामग्री, सिगरेट तथा विलासिता की अन्य वस्तुओं का देश में तस्कर-आयात होता है । चांदी, नशीले पदार्थों, पुरातत्व वस्तुओं, मसालों तथा फिल्मों का देश से तस्कर-निर्यात होता है ।

(घ) सुव्यस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापारी होने का संदेह हो उन पर निगरानी रखना जिन स्थानों अथवा वायु-यानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा भू-सीमाओं पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाना । प्रभावी ढंग से मार्ग में रोकने, उसका पकड़ने आदि के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच नौकाओं तथा मोटर-गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है । सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क के अतिरिक्त समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अन्यरूप से तस्करी विरोधी कार्यों की निगरानी करने के लिये, सुगमता से पार किये जा सकने वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है । सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में हाल ही में अतिरिक्त संशोधन किया गया है ताकि तस्करी संबंधी अपराधों के लिये अधिक कठोर दण्डों की व्यवस्था की जा सके और उसमें विद्यमान कमियों को दूर किया जा सके ।

तस्करी-विरोधी बेड़ा बनाने के लिये सर्वप्रथम, तेज रफ्तार से चलने वाली 20 लांच-नौकाओं की खरीद के आदेश दिये गये हैं । बड़े-बड़े पत्तनों तथा हवाई अड्डों पर तस्करी रोकने के लिये और पश्चिमी समद्र तट तथा तमिल नाडु तट पर तस्करी को रोकने के लिये बड़ी संख्या में तस्करी-विरोधी-कर्मचारियों की स्वीकृति दे दी गई है । एक बेतार-संचारतंत्र भी स्थापित किया जा रहा है ।

Proposal to Increase Price of Jute

1455. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the price of jute to give incentive to the jute cultivators ; and

(b) if so, the price of jute proposed to be fixed by Government keeping in view the rising prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) and (b) An increased minimum support price on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission for the 1974-75 season has already been announced by Government. This price which is Rs. 125 per quintal for the Assam bottom variety at the upcountry market constitutes a substantial improvement over the previous year's prices.

Starvation among Weavers of Naugachiya and Vihpur (Bihar) due to non-availability of Yarn

1456. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether two thousand weavers of Naugachiya and Vihpur Division in Bhagalpur District of Bihar State are on the verge of starvation due to non-availability of yarn ;

(b) whether Government propose to formulate any scheme to make it easily available to the weavers of Mirzafri, Milki and Vihpur; and

(c) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) The Central Government have no such information.

(b) and (c) Do not arise.

मोतिया खान, नई दिल्ली में पाया गया लावारसी इस्पात बिलेट तथा धातु पिंड

1458 **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत रूप से प्राप्त किया गया लगभग 10 लाख रुपये मूल्य का इस्पात बिलेट तथा पिंड जून, 1974 के प्रथम सप्ताह में मोतियां खान नई दिल्ली में लावारिस पड़ा पाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि इतना अधिक माल मोतिया खान, नई दिल्ली में कैसे पहुंच गया ; और

(ग) इस प्रकार पाये गये इस्पात का निपटान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर विभाग द्वारा जून 1974 में ली गई तलाशियों में कोई 2,60,000 रुपये मूल्य का इस्पात 6 जून 1974 को मोतिया खान के सार्वजनिक मार्ग पर पहले से ही पड़ा पाया गया था और उस दिन किसी भी पार्टी ने उसकी मालिकी का दावा नहीं किया। बाद में, इस माल में से लगभग 2,50,000 रुपये के मूल्य के इस्पात पर उन पार्टियों में से एक पार्टी ने मालिकी का दावा किया, जिनके स्थानों की तलाशी ली जा रही थी। लगभग 10,000 रुपये मूल्य के इस्पात पर अभी तक किसी पार्टी ने दावा नहीं किया है।

(ख) इस्पात की प्राप्ति के स्रोत के बारे में जांच की जा रही है।

(ग) इस प्रकार पाये गये इस्पात को आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश द्वारा, जांच होने तक अपने अधिकार में ले लिया है। लावारिस माल के सम्बन्ध में, लोहा तथा इस्पात का क्षेत्रीय नियंत्रक भी आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। आगे की कार्यवाही कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार की जायेगी।

Restrictions on persons Visiting Taj Mahal Hotel Bombay

1459. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether it is legally forbidden to enter the Taj Mahal Hotel, Bombay wearing dhoti and kurta and if so, the reasons therefore ; and

(b) whether Government propose to take any action in regard to restrictions on persons visiting the Taj Mahal Hotel in dhoti and Kurta; and if so, what and if not, the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi)(a) & (b)

No, Sir.

The only restriction imposed by the Management of the Hotel is in respect of Rendezvous Restaurant where at dinner time, clients are required to be either in suit or national dress.

व्यापार विकास प्राधिकरण के माध्यम से निर्यात की गयी वस्तुएं

1460 **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण के स्थापित होने से लेकर अब तक इसके माध्यम से किन किन उत्पादों का निर्यात किया गया ;

(ख) निर्यातित उत्पादों का मूल्य क्या था और किन किन देशों को इनका निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा नयी मंडियों का पता लगाया गया है और किन किन मदों के निर्यात किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) क्योंकि व्यापार विकास प्राधिकरण एक सेवा संगठन मात्र है अत : उसके मार्फत निर्यात किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों द्वारा पश्चिम यूरोप, अमेरिका, कनाडा तथा जापान के लक्ष्य बाजारों को 1972-73 तथा 1973-74 के वर्षों में क्रमश: 23.28 करोड़ रुपये और 45.33 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया।

(ग) व्यापार विकास प्राधिकरण के लक्ष्य बाजारों में अभी हाल में आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है और इन बाजारों में निर्यात संवर्धन हेतु चुनी गई मदें हैं जो अन्य लक्ष्य बाजारों के लिए हैं। (सुची संलग्न है)।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए हाथ में लिए गए उत्पादकों की सूची

इलैक्ट्रानिक उपकरण तथा संघटक

सिलाई की मशीनें तथा संघटक

बाईसिकलें तथा संघटक

मोटरगाड़ी अनुषंगी सामान

औद्योगिक फांसनर

उद्योगों में प्रयोग के लिये लोहे का ढला तथा गढ़ा हुआ माल

स्टेनलेस स्टील के छुरी-कांटे आदि

थर्मो-प्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का सामान

डिब्बा बंद फल तथा रस

लकड़ी का फर्नीचर जिसमें (पूर्ण तथा अलग अलग हिस्सों में) फर्नीचर के परिमाप स्टाक।

चमड़े का माल तथा परिधान

चुना हुआ उपभोक्ता माल

चुनी हुई हस्तशिल्प की वस्तुएं

खेल कूद का सामान

छोटे औजार तथा दस्ती औजार

डिब्बा बंद (निर्जलीकृत सब्जियों के उत्पाद क्रिसमिस के तथा अन्य सजावटी लाइट सेट्स लकड़ी की सजावटी-वस्तुएं जिनमें निकाशीयुक्त शामिल है । धातु की कलात्मक वस्तुएं, औद्योगिक प्रयोगशाला अस्पताल तथा शैक्षणिक प्रयोग के उपकरण	1971-72 के दौरान हाथ में लिये गये ।
घर की सजावट का सामान ताले पैडलाक स्नानागार के धात्विक जुड़नार अगरबतियां	1972-73 के दौरान हाथ में लिये गये ।
फ्लैश लाइट्स सडलरी मदें	1973-74 के दौरान हाथ में लिये गये ।
रसोई के एनेमल वाले बर्तन	1974-75 के दौरान हाथ में लिये गये ।

वर्ष 1974-75 में विदेशी सहायता

1461. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की उपलब्धता की सम्भावना के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) ऐसी सहायता पृथक पृथक कितनी है जिसका (एक) विकासात्मक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाना तथा (दो) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ; और

(ग) (एक) भारत द्वारा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय ऋण (दो) ऐसे ऋण जिन्हें प्राप्त किये जाने की आशा है और (तीन) इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों पर सरकार द्वारा दिये गये तथा दिये जाने वाले ब्याज की कुल धन राशियों के बारे में नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ग) जून, 1974 तक इस वर्ष भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) के साथ 39 करोड़ डालर के ऋण करारों तथा विश्व बैंक के साथ 5.2 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये थे । यदि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों को चौथी बार फिर से जुटाने का काम संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया तो भारत को इस चौथी अवधि के अगले तीन वर्षों में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रकम की सहायता मिल सकती है । इसी तरह भारत को विश्व बैंक से भी पहले से ज्यादा कर्ज मिलने की उम्मीद है ।

(ख) यह सारी सहायता विकास कार्यों के लिए है ।

वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों का एक ही नगर में जमाव का विरोध करते हुए व्यक्त की गई कठिनाइयां

1463. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों के मुख्यालयों के देश के पश्चिमी भाग में ही एक नगर में जमाव का विरोध करते हुए कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं ;

(ग) सरकारी वित्तीय संस्थानों के बारे में अन्य तथ्य क्या हैं तथा इन स्थानों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या वित्तीय संस्थानों के मुख्यालयों के ऐसे जमाव के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा वित्तीय लाभ प्राप्त करने में विषमता उत्पन्न हो गई हैं ;

(ङ) क्या सरकार इन संस्थानों के मुख्यालयों के विकेन्द्रीकरण के मामले पर पुनर्विचार करेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसी क्या व्यवस्था किये जाने का विचार है जिससे विभिन्न राज्यों को वत्तीय सहायता का न्यायोचित वितरण हो सके ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (च) कई बार ऐसे सुझाव मिले हैं जिनमें बम्बई के अलावा और दूसरी जगहों पर नई वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय खने की बात कही गयी है। अधिकतर वित्तीय संस्थाओं के अपने अपने नियम होते हैं और इन संस्थाओं को मुख्यालय समबद्ध नियमों में बतायी गयी जगहों पर होते हैं। कुछ मामलों में, प्रशासनिक सुविधा ही निर्णायक होती है।

उन संस्थाओं के नाम नीचे दिये गये हैं, जिनके मुख्यालय बम्बई में हैं :

1. भारतीय रिजर्व बैंक
2. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
3. सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
4. बैंक आफ इण्डिया
5. बैंक आफ बड़ौदा
6. देना बैंक
7. यूनियन बैंक आफ इण्डिया
8. डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन
9. कृषि पुनर्वित्त निगम
10. भारतीय औद्योगिक विकास निगम
11. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया

12. भारतीय जीवन बीमा निगम

13. भारतीय सामान्य बीमा निगम

भारतीय सामान्य बीमा निगम के मुख्यालय के बारे में तय करते समय कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। यह कम्पनी एक धारक (होल्डिंग) कम्पनी है जिसकी चार सहायक कम्पनियां हैं और यह कम्पनी जनरल इन्शोरेंस बिजिनेस (नेशनलाइजेशन) एक्ट, 1972 की धारा 8 में बताये गये कार्य करती है। अपनी सहायक कम्पनियों की सहायता करने और उन्हें सलाह-मश्विरा देने के अलावा यह कारपोरेशन अपना ध्यान फिर से बीमा करने के कारबार पर अधिक देती है। चूंकि इस कारपोरेशन ने अपना कारबार बिल्कुल नये सिरे से शुरू किया था, इसलिये पूंजी लगाने के लिए इसके नाम कोई बड़ी रकम नहीं थी। पूंजी लगाने के लिए अधिकांश रकमें इसकी चार सहायक कम्पनियों के पास होंगी और इसलिए उन क्षेत्रों का काम भली भांति चल सकेगा जिनमें इनके मुख्यालय होंगे और इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे।

ऐसी बात नहीं है कि इन वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यालय बम्बई में होने के कारण विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने के मामले में कोई अन्तर पड़ा है। ये संस्थाएं आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय खोलती रहती हैं।

अखिल भारतीय संस्थाएं सरकार की इस नीति को भली भांति जानती हैं कि विभिन्न राज्यों में उनके द्वारा लगायी जानेवाली पूंजी का वितरण अपेक्षाकृत अधिक समान होना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा लम्बी अवधि के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं ने पिछड़े प्रदेशों और क्षेत्रों के लेनदारों को कुछ रियायतें दी हैं। इस उद्देश्य से कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली कुल सहायता में पिछड़े हुए राज्यों और प्रदेशों को ज्यादा हिस्सा मिल सके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य सम्बद्ध संस्थाओं की सलाह से इन क्षेत्रों में औद्योगिक सम्भावनाओं का विस्तार से पता लगाने तथा तकनीकी सलाह सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करने जैसे विकास कार्यों को अपने हाथ में लिया है या ले रहा है।

उत्तर बिहार में एक कपड़ा मिल की स्थापना

1464. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के विकेन्द्रीकरण के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

यदि हां, तो क्या उत्तर बिहार में एक कपड़ा मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चौथी योजना की सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी लाइसैंस नीति में विस्तार किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं था। तथापि, पांचवीं योजना अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार की अनुमति देते समय इस

बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा कि कताई क्षमता का सृजन उन क्षेत्रों में हो जहां हथ-करघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों के लिए धागे की अतृप्त मांग हैं तथा उन क्षेत्रों में भी हो जहां रूई पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है लेकिन एककों के लिए उसकी स्थानीय मांग नहीं है या नगण्य है, जिससे धागे का बेहतर वितरण तथा मांग व पूर्ति में संतुलन लाया जा सके।

50 प्रमुख ऋण प्राप्तकर्ताओं के लेखों की जांच के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया का निदेश

1465. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने देश के प्रमुख 50 ऋण प्राप्तकर्ताओं के लेखों की जांच किये जाने के निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बैंकों द्वारा इन ऋण प्राप्त कर्ताओं को कितना ऋण दिया गया तथा यह धनराशि किस प्रयोजन के लिये दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जून, 1970 से लागू होने वाली मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे बैंकों द्वारा किसी एक लेनदार को एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की ऋण सीमा मंजूर किये जाने के सभी प्रस्तावों को विस्तृत प्रपत्र में भर कर भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजें ताकि रिजर्व बैंक इस तरह के प्रस्तावों की आसानी से जांच पड़ताल कर सके। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि 25 लाख रुपये और उससे अधिक रकम की ऋण सीमा के उन प्रस्तावों की जांच पड़ताल इसी तरह की जा सके, जिन्हें रिजर्व बैंक के पास नहीं भेजना पड़ता है, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे उक्त प्रस्तावों के लिए भी इसी प्रपत्र का उपयोग करें। ऋण की मौजूदा कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में 4 जुलाई, 1974 को, रिजर्व बैंक ने, 25 करोड़ रुपये से अधिक की जमा रकमों वाले बकों को यह सलाह दी है कि वे इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि लेनदार अपनी तात्कालिक युक्तियुक्त आवश्यकताओं के लिए कम से कम रकमें निकालें। रिजर्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया है कि शुरू में प्रत्येक बैंक के 50 बड़े ऋण खातों के सम्बन्ध में, बैंक को, इस समय उसके द्वारा अपनायी जाने वाली वर्तमान कार्यप्रणाली के अलावा इन खातों के बारे में कुछ महत्वपर्ण बातों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए जैसे खातों में नामें की भारी रकमों का, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के खाते में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम बकाया रकमें पिछले दो वर्षों में हर तिमाही में लिये गये ऋणों की कुल रकमें, सामान का उत्पादन और बिक्री से सम्बन्ध, देनदारों और लेनदारों की बड़ी मदें, कम्पनियों द्वारा परस्पर लिये और दिये गये ऋण और उनके द्वारा लगायी गयी पूंजी, ऋण के अन्य स्रोतों की तुलना में बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर निर्भरता तथा अन्य ऐसी बातें जिन्हें बैंक इस उद्देश्य से जरूरी समझता हो।

(ग) बैंकों में प्रचलित तरीके और प्रथा तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लागू होने वाले कानूनों के उपबन्ध के अनुसार बैंक के लिए अपनी असामियों के कारबार के बारे में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

विद्युत चालित करघों से कपड़ा मिलों और हथकरघों बुनकरों को हानि

1466. **श्री वसंत साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कुटीर उद्योग क्षेत्र में बड़ी संख्या में चल रहे विद्युत चालित करघे भारी लाभ उठा रहें हैं जिससे कपड़ा मिलों और हथकरघा बुनकरों को भारी हानि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विकेन्द्रित क्षेत्र के शक्ति चालित करघों को कतिपय ऐसे लाभ भी प्राप्त हैं जो मिल क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र को प्राप्त हैं।

(ख) जी हां।

(ग) हथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन दल ने, जिसने 20 जुलाई, 1974 को अपनी रिपोर्ट दी थी, इन मामलों का अध्ययन किया है और कतिपय सिफारिशें की हैं जिनपर सरकार विचार कर रही है।

केरल में हथकरघा उद्योग की समस्याएं

1467 **श्री वयालार रवि :**
श्री एम एम जोजफ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के लिये प्रति वर्ष भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले केरल के हथकरघा उद्योग को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये इस उद्योग की सरकार द्वारा की गई सहायता की रूप-रेखा क्या है तथा इस दिशा में आगे की जाने वाली कार्यवाही की रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

केरल के हथकरघा उद्योग के सामने आने वाली समस्याएं सामान्यतः अन्य राज्यों के हथकरघा बुनकरों की समस्याओं से मिलती जुलती हैं। ये कच्चे माल की सप्लाई, बित्त की प्राप्यता, शक्ति-चालित करघा क्षेत्र से प्रतियोगिता और विपणन की कठिनाइयों से सम्बन्धित है। हाल ही में यह बताया गया है कि केरल के शक्ति चालित करघों ने क्रेप वस्त्र का निर्माण शुरू कर दिया है जिससे हथकरघा बुनकरों को कठिनाई हो रही है। सरकार को केरल के हथकरघा उद्योग के सामने आने वाली किसी अन्य विशिष्ट और या अजीब समस्या के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) उच्चाधिकार प्राप्त एक अध्ययन दल ने हाल ही में हथकरघा उद्योग को समस्याओं का अध्ययन किया है और 20 जुलाई 1974 को अपनी रिपोर्ट दी है। इस पर अभी सरकार द्वारा

विचार किया जाना है और सरकार द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय लिये जाने पर ही आगे उपाय किये जायेंगे। हथकरघा क्षेत्र के लिए क्रेप वस्त्र के उत्पादन को आरक्षित किये जाने के प्रश्न पर वस्त्र आयक्त से परामर्श करके गौर किया गया था और इस प्रकार के आरक्षण को आवश्यक नहीं समझा गया।

वरकला का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1468. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के दक्षिणी भाग की जनता वरकला का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने में विलम्ब किये जाने के कारण बहुत असंतुष्ट है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इस विषय में पर्यटन विभाग में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

दिल्ली के इस्पात व्यापारियों के बैंक लाकरों के निरीक्षण के समय आय-कर अधिकारियों पर हमला

1469. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल नगर दिल्ली में बैंक लाकरों का निरीक्षण करते हुए तीन लाकरों के मालिकों ने, जो इस्पात के व्यापारी हैं, आयकर अधिकारियों के साथ मार-पीट की थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अधिकारियों को क्या सुरक्षा और विशष आधकार दिया जाने का विचार है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ; और

(ग) इस मामले में न्यायालय में ले जाए जाने के अतिरिक्त व्यापारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जो आयकर कर्मचारी 20 जून, 1974 को सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पटेल नगर, दिल्ली में एक इस्पात व्यापारी के परिवार के सदस्यों के तीन लाकरों की तलाशी लेने के लिये गये थे, उन पर आक्रमण किया गया था।

(ख) वर्तमान आयकर अधिनियम में व्यवस्था है कि कोई प्राधिकृत अधिकारी तलाशी लेने के प्रयोजनार्थ किसी पुलिस अधिकारी की सहायता मांग सकता है। यह व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है। सामान्यतः, विभाग के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की सहायता तभी मांगते हैं, जब किसी निवास स्थान अथवा व्यापार स्थान की तलाशी ली जा रही होती है और उस तलाशी में बाधा अथवा हिंसा की भी आशंका होती है। किसी बैंक लाकर की तलाशी के मामले में, सामान्यत : आशा की जाती है कि उसमें कोई हिंसक विरोध नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में अधिकारियों ने पुलिस की सहायता नहीं मांगी थी। आक्रमण होते ही, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और आवश्यक सहायता प्राप्त की गई।

(ग) इस सम्बन्ध में पुलिस में एक शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनको जमानत पर छोड़ दिया। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे कार्यवाही कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार की जायेगी।

इन तलाशियों में पकड़े गये माल की छान-बीन की जा रही है। जहां आवश्यक था वहां आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) के अन्तर्गत, अघोषित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाने के निमित्त आदेश जारी करने के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कर अपवंचन और अभियोजन, दोनों दृष्टिकोणों से आगे जांच की जा रही है।

सीमेंट का निर्यात

1470. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में जून, 1974 के अन्त तक कितने तथा कितने मूल्य के सीमेंट का निर्यात किया गया ;

(ख) सीमेंट का निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं जब कि स्वयं भारत में सीमेंट की कमी है ; और

(ग) इस अवधि में किन देशों को सीमेंट का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972-73, 1973-74 और जनवरी, 1974 के अन्त तक निर्यात किये गये सीमेंट की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित है :–

(हजार रुपये में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1972-73	3,16,811	50,332
1973-74	1,32,569	18,189
(निर्यात के आंकड़े केवल जनवरी, 1974 तक ही उपलब्ध हैं)		

(ख) विशेषतः पड़ौसी देशों के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण तथा विपक्षीय व्यापारिक दायित्वों को पूरा करना।

(ग) बंगलादेश, नेपाल, मालडाई द्वीपसमूह और खाड़ी के देश अर्थात् मस्कत, डबाई आबूधाबी, कुवैत, दोह तथा ईरान, संयुक्त अरब गणराज्य और कीनिया।

जब्त किये गये उस तस्करी के माल में राज्यों का हिस्सा जो उनके अपने-अपने क्षेत्रों में पकड़ा गया

1471. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) केन्द्रिय सीमाशुल्क विभाग अथवा अन्य कोई केन्द्रीय एजेंसी तथा राज्य पुलिस अथवा अन्य राज्य एजेंसी द्वारा जब्त किये गये तस्करी के माल को किस प्रकार बेचा जाता है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में जब्त किये गये तस्करी के माल में अपने हिस्से का दावा कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जब्त किये गये माल के निपटाने का तरीका संलग्न विवरण में बताया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को एक राज्य सरकार से एक ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें जब्त किये गये माल की बिक्री की रकम को उस स्थिति में राज्य सरकारों के साथ बांटने का सुझाव दिया गया है जब संबंधित माल राज्य सरकारों के प्रवर्त्तन अभिकरणों द्वारा पकड़ा गया हो ।

(ग) केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव की जांच कर रही है ।

जब्त किये गये माल की बिक्री तथा निपटान से संबंधित कार्यविधि

जब्त किये गये माल की बिक्री तथा निपटान से संबंधित कार्यविधि नीचे दिये अनुसार है :—

(i) उपभोक्ता तथा विलासिता की वस्तुएं राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली की मार्फत बेची जाती है तथा कैण्टीन स्टोर्स विभाग और (गृह मंत्रालय द्वारा संचालित) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड जैसी कतिपय कैण्टीनों तथा सहकारी समितियों को भी बेची जाती है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं ।

(ii) लौंग तथा मसाले, मै० राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी संस्थाओं तथा कैण्टीनों को बेचे जाते हैं और साथ ही सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी बेचे जाते हैं जो आयात कोटा धारियों तथा औद्योगिक वास्तविक इस्तेमाल कर्ताओं व सहकारी संस्थाओं तक ही सीमित होती है ।

(iii) नायलान तथा अन्य संश्लिष्ट धागे विभाग द्वारा सीधे ही बुनकर संस्थाओं/सहकारिताओं को बाजार भाव पर 10 प्रतिशत की छूट के आधार पर बेचे जाते हैं और प्रमाणित वास्तविक इस्तेमाल कर्ताओं को भी नीलाम किये जाते हैं ।

(iv) हीरे, कीमती तथा मध्यम दर्जे के नगों तथा वाहनों को विभाग द्वारा बेचा जाता है ।

(v) सोना तथा चांदी टकसाल को भेजी जाती हैं ।

(vi) मुद्रा भारत के रिजर्व बैंक में जमा की जाती है ।

(vii) लांच-नौकाएं तथा हथियार एवं गोला-बारूद, तस्करी-विरोधी कार्य के निमित्त विभाग द्वारा इस्तेमाल के लिये रख लिये जाते हैं।

(viii) व्यापार-वस्तुएं विभागीय नीलामियां अथवा निविदाओं के माध्यम से बेची जाती हैं।

देशीय तेल के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम की योजना

1473. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि विश्व के बाजारों में खाद्य तेलों के मूल्य गिर जाते हैं तो क्या सरकार ने सिद्धान्त रूप में उनका आयात करने का निर्णय किया है।

(ख) क्या ऐसा समझा जाता है कि राज्य व्यापार निगम एक ऐसी योजना को अन्तिम रूप दे रहा है जिसके द्वारा विश्व के बाजारों को देशीय तेल का निर्यात किया जायगा और इस प्रकार अर्जित किये गये राजस्व में से सस्ते ताड़ के तेल का आयात किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत सरकार का विचार अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खाद्य तेलों का आयात घरेलू सप्लाइयां बढ़ाने की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(ख) फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीवन पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

1474. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीवन पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार क विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) भारत में वन्य जीव पर्यटन के महत्व को स्वीकार करते हुए पर्यटन विभाग में एक वन्य जीव सैल स्थापति करने का निर्णय किया गया है। सैल के क्रियाकलापों का संबंध भारत में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने से है, तथा उनमें विशष रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होंगें:—

1. शरण-स्थानों के पर्यटन से संबंधित पहलुओं का विकास, जैसे सड़कों, गुमटियों (वाच टावर्ज), जल छिद्रों (वाटर होल्स) आदि का विन्यास ;
2. शरण-स्थानों की संभवतया सैर करने वाले विभिन्न आय वर्गों के पर्यटकों के लिए आवास व्यवस्था, जिसमें विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ;

3. समीपस्थ रेल हैड/विमानक्षेत्र से वन्य जीव लाजों/शरण-स्थानों तक पहुंच तथा परिवहन के प्रबन्धों की सुविधाजनक व्यवस्था ;

4. मिनी बसों, हाथियों, लांचों ग्रादि की व्यवस्था कर के वन्य जीवों के देखने को सुविधाजनक बनाने के लिए शरण-स्थानों के ग्रन्दर पर्याप्त परिवहन व्यवस्था का ग्रायोजन ;

5. फिल्मों, ब्रोशरों, स्लाइड़ों, विज्ञापनों तथा ग्रन्य तत्सदृश प्रचार माध्यमों से भार; के लिए वन्य जीव पर्यटन की ग्रभिवृद्धि के लिए पर्यटन प्रचार साहित्य का उत्पादन;

6. भारत में तथा विदेशों में यात्रा ग्रभिकर्ताग्रों तथा इस क्षेत्र में विशिष्ट-दक्षता प्राप्त यात्रा परिचालकों के सहयोग से विशेष रुचि के पर्यटकों तथा सफारी यात्राग्रों की मार्केटिंग का विकास एवं ग्रायोजन करना ;

7. वन्य जीव शरण-स्थानों की ग्रोर पर्यटकों को ग्राकर्षित करने के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रोत्साही ग्रभियान प्रचालित करना ;

8. वन्य जीव संरक्षण, टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम तथा ग्रन्य विरल जातियों के पशुग्रों के प्रजनन एवं प्रवृद्धि के संबंध में कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के वन विभागों के कार्यक्रमों में उनके साथ ग्रपने क्रियाकलापों का समन्वयीकरण ।

पर्यट सुविधाग्रों की जांच के लिये पृथक ैल बनाये जान का प्रस्ताव

1475. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण भारत में पर्यटन सुविधाग्रों की जांच करने तथा उन्हें बनाये रखने के लिये एक पृथक सैल बनाने का है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बात क्या हैं ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ग्रौर (ख) पर्यटन विभाग में निरीक्षण सैल को यह सुनिश्चित करने के विचार से सक्रिय किया जा रहा है कि पर्यटन उद्योग के विभिन्न पक्ष (सेगमेंट) कार्यकुशलता के स्वीकृत मानकों के ग्रनुसार कार्य करत रहें । इस सैल के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :-

1. निरंतर तथा दीर्घकालिक निरीक्षण क्रियाकलापों को सुनिश्चित करना, जिसमें पर्यटन उद्योग के विशेष करके ग्रावास, खान-पान तथा परिवहन के क्षेत्र से संबंधित समस्त पक्ष सम्मिलित हों ।

2. ग्रन्य उन्नत केन्द्रों में पयटन उद्योग की परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले ग्रनुभव प्राप्त तथा जानकार व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग के विभिन्न पक्षों (सेगमट्स) को बढ़ावा देना ।

निरीक्षण का मूल उद्देश्य सुविधाग्रों, कार्यप्रणालियों, तरीकों, प्रक्रियाग्रों ग्रादि का सुधार करने में उद्योग को रचनात्मक सहायता प्रदान करना है ।

Export of Monkeys.

1476. Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether India proposes to curtail this year the export of monkeys to foreign countries ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether monkeys are used for preparing various kinds of medicines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George)

(a) No, Sir. The quota for export is 30,000 Rhesus Monkeys as last year.

(b) Does not arise.

(c) The monkeys are used for medical research purposes and production of polio and yellow fever vaccines.

Suggestion from Consumer Council of India to check blackmarketing of essential commodities.

1477. Shri Chandu Lal Chandrakar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have acepted and implemented the suggestions given by the Consumer Council of India to check blackmarketing of essential commodities ;

(b) if so, the result thereof; and

(c) whether fixed income group has got some relief thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) :

(a) to (c) : Notwithstanding the suggestions of the Consumer Council of India, adequate provision for taking action against blackmarketeers already exists in the Essential Commodities Act, 1955, and powers under the Act have also been delegated to State Governments/Union Territory Administrations. Further powers are also available under Defence of India Rules. The Government of India have impressed on all the State Governments the need to enforce strictly the various Control Orders. The State Governments have strengthened their enforcement machinery to deal effectively with blackmarketeers and to take action against persons who violate the Control Orders. To make the penal provisions of the Act more stringent, the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 1974 was promulgated on the 22nd June and is proposed to be converted into an Act of Parliament in the current Session.

बम्बई गोदी (डाक) में क्षतिग्रस्त आयातित अखबारी कागज

1478. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अखबारी कागज के कुल 4,000 'रोल्स' में से 1,300 'रोल्स' को, जिनका वजन लगभग 1,350 टन है और जिन्हें जुलाई, 1974 में बम्बई गोदी में उतारा गया था गला हुआ और क्षतिग्रस्त पाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा खुले समुद्र में समाचार पत्रों को बेचे गये तथा बम्बई में उतारे गये अखबारी कागज के कुल 3,355 रोल्स में से 1,300 रोल्स बम्बई में जुलाई 1974 के शुरू में अभूतपूर्व भारी वर्षा होने के कारण क्षति ग्रस्त हो गये । समाचारपत्रों द्वारा क्षतिग्रस्त रोल्स के सर्वेक्षण की व्यवस्था की जा रही है और वे बीमा पोलसियों की शर्तों के आधार पर बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत करेंगे । ठीक ठीक कितनी हानि हुई इसका अनुमान बताना कठिन है ।

Loans from Foreign Countries for Industrial Development

1479. **Shri Dhan Shah Pradhan** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which loans have been taken for industrial development during the last three months and the particulars thereof and

(b) the names of the countries with which agreements for loans for industrial development have been signed or proposed to be signed during the current year ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) External Assistance received from foreign countries consists of Non-Project loans including debt relief and Project loans. Non-Project aid enables meeting the imported raw materials, components and spares requirements of India and thus enables further utilisation of capacity already installed. Project loans would help to augment the capacity of industries in the sectors assisted.

During the last three months, Agreements have been signed with Sweden for an amount of Rs. 29 crores (Swedish Kroner 200 million) for 1974-75 and from West Germany for an amount of Rs. 73·8 crores (DM 360 million). Of this, project aid would be about Rs. 27·3 crores, bulk of which would be utilised for industrial development. It is anticipated that Agreements would be signed with UK, Japan, Netherlands, Denmark, Belgium and Austria during the remaining period of the current year.

Nationalisation of Foreign Banks in India

1480. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether foreign banks make profits out of the deposits made by Indians, whereas Indian banks in foreign countries are not able to earn profit and incur heavy expenditure ;

(b) whether any survey or investigation has been made in this context and if so, the results thereof and the salient features of facts that came to light ; and

(c) the future scheme of Government regarding nationalisation of foreign banks ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) & (b) While it is true that foreign banks in India are making profits, it is not correct to say that the Indian banks in foreign countries are not able to earn profits. Reserve Bank has reported that during the years 1970, 1971 and 1972 the amount of profits remitted by offices of Indian banks abroad are as below :

Year	Remittances (Rs. in crores)
1970	1·09
1971	1·08
1972	1·20

(c) Government's policy regarding nationalisation of foreign banks has been indicated in Parliament on more than one occasion. There is no change in Government's stand in this regard.

इंडियन ऐयरलाइन्स के लिए ग्राउन्ड हेंडलिंग उपकरण की खरीद के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

1481. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस से इंडियन एयरलाइन्स के लिये कैरेवेल 'ग्राउन्ड हेंडलिंग' उपकरण की खरीद में अनियमितताओं के बारे में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में की गयी जांचों पर अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है ।

रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय पटना के आकस्मिक निति के लिए आबंटित धन-राशि

1482. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से अब तक रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, पटना का आकस्मिक निधि के लिये कितनी धन-राशि आवटित की गई है ;

(ख) वर्ष 1972 से अब तक फर्नीचर, हाट वैदर एस्टैब्लिशमैंट, बिजली, टेलीफोन तथा अन्य मदों पर, अलग-अलग कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) किन-किन स्थानों के लिये ट्रंक कालों में अब तक सबसे अधिक व्यय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क)	वर्ष 1972–73	5,01,966 रुपये
	वर्ष 1973–74	4,61,670 रुपये
	वर्ष 1974–75	3,82,000 रुपये

(ख) विभिन्न मदों पर किया गया व्यय निम्नलिखित है :–

	1972–73	1973–74	1974–75 (24–7–74 तक)
	रुपये	रुपये	रुपये
फर्नीचर	37,378	30,332	कुछ नहीं
हाट वैदर एस्टेब्लिशमैंट	6,352	5,933	6,318
बिजली	*	*	*
टेलीफोन	57,474	53,968	17,500
अन्य मदें	3,75,612	3,26,076	1,23,000
जोड़	4,76,816	4,16,309	1,46,818

*रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना को कार्यालय व्यय के लिये आबंटित धन राशि में से बिजली क बिलों के भुगतान पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया ।

(ग) पटना

विशेषाधिकार का प्रश्न
Question of Privilege

भारतीय तेल निगम के श्री सी० आर० दास गुप्ता द्वारा पाईप लाइन जांच आयोग को दिया गया शपथ पत्र

अध्यक्ष महोदय : 30 अप्रैल, 1974 के आई० ओ० के श्री सी० आर० दास गुप्ता के विरुद्ध श्री मधु लिमये विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाना चाहते थे । यह विशेषाधिकार का प्रश्न 8 फरवरी, 1971 को पाइपलाइन जांच आयोग के समक्ष श्री सी० आर० दास गुप्ता द्वारा शपथ पत्र दायर किये जाने के बारे में था । तत्पश्चात् 10 मई, 1974 को पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री डी० के० बरुआ ने सभा-पटल पर एक वक्तव्य पेश रखा, जिसमें श्री सी० आर० गुप्ता की आई० ओ० सी० के अध्यक्ष के रूप में की गई नियुक्ति की पृष्ठभूमि दी गई थी । मैंने तब बताया था कि श्री मधु लिमये द्वारा श्री सी० आर० दास गुप्ता के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के उठाये जाने के बारे में मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था ।

मैंने अब मामले की भली भांति जांच कर ली है और मुझे पता चला है कि उन्होंने 8 फरवरी, 1971 को पाइपलाइन जांच आयोग के समक्ष जो शपथ पत्र दायर किया उसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के विरुद्ध कोई अपमानजनक उल्लेख नहीं था । इसके अतिरिक्त, श्री सी० आर० दास गुप्ता ने शपथ पत्र पाइपलाइन जांच आयोग के समक्ष सर्वश्री पी० आर० नायक तथा एस० एस० खेड़ा द्वारा की गई क्षमा याचना और शुद्धियों के लगभग दो वर्ष पूर्व दायर किया गया था । अतः मेरा विचार है कि इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

श्री श्यामानंदन मिश्र (बेगुसराय) : इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि अध्यक्षपीठ इस मामले को तकनिकी दृष्टि से देखें । पिछली बार भी इस सम्बन्ध में मैंने अपना मतभेद प्रकट किया था ।

Mr. Speaker : Will there be any occasion when you will have no difference of opinion. ?

श्री श्यामानंदन मिश्र जब भी मतभेद वाली बात होगी तो श्री मिश्र अपना मतभेद प्रकट करेंगे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

Pages laid on the Table

गुजरातनहर संशोधन नियम, 1974

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्रपंत) : मैं गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई सिंचाई अधिनियम, 1879 की धारा 70 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात नहर (संशोधन)

नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 14 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या जी/एच०/जे 34–74/बी आई ए 1074/4 पी में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । दखिऐ ; संख्या एल टी 8108/74)

रबड़ बोर्ड (रबड़ उत्पादन आयुक्त तथा सचिव) भर्ती नियम 1974 तथा निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम 1963 क अन्तर्गत अधिसूचनाऐं)

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ बोर्ड (रबड़ उत्पादन आयुक्त तथा सचिव) भर्ती नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 695 में प्रकाशित हुए थे । (**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8109/74**) ।

(2) निर्यात (गुणप्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सूखी मछली का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1164 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुणप्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1165 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) इस्पात ट्यूबों तथा ट्यूबूलरों का निर्यात (गुणप्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1166 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) कीटनाशी दवाइयों तथा उनकी निर्मित्तियों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना सां० आ० 1167 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सिरैमिक उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1168 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) विनाईल फिल्म तथा शीट का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1169 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) बिजली के प्रयोजनों के लिये रबड़ के खस्तानों का निर्यात (निरीक्षण संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसचना संख्या सां० आ० 1170 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) चमकीली इस्पात छड़ों का निर्यात (गुणप्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1171 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) खनिज तथा अयस्क-ग्रुप 1 का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1391 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) खनिज, तथा अयस्क–ग्रुप (2) का नर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1392 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1393 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया ; देखिए संख्या एल० टी० 8110/74)

खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1974

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 509 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गयी / देखिये एल० टी० 8111/74)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :–

(एक) कागज (उत्पादन नियंत्रण) आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 465 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कागज (संरक्षण तथा प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 466 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखा गया ; देखिए संख्या एल० टी– 8114/74)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पंजाब में दानेदार मिट्टी के उर्वरक के रूप में बेचने का कथित घोटाला

श्री हरि सिंह (खुर्जा) : श्रीमान, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

"पंजाब में दानेदार मिट्टी को उर्वरक के रूप में बेचने का कथित घोटाला" ।

औद्यौगिक विकास तथा विज्ञान औद्यौगिकी **कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)**: जुलाई, 1973 में पंजाब सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजाब में किसानों को उर्वरकों की ऐसी बोरियां बेची थी, जिनमें आयातित डाइ-अमोनियम फासफेट बताया गया था, लेकिन उन्होंने यह शिकायत की कि इनमें उर्वरकों की जगह दानेदार मिट्टी पाई गई । इस संबंध में राज्य सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई प्राथमिक जांच से यह पता चला कि प्रत्यक्षत: यह एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ समाज विरोधी तत्वों ने बम्बई में दानेदार मिट्टी प्राप्त की और इसे धोखेघड़ी से भारतीय खाद्य निगम की ओर से भेज कर पंजाब में कुछ प्राइवेट विक्रेताओं को अयातित डाइ-अमोनियम फासफेफेट के तौर पर बेचा । राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने पंजाब में विक्रेताओं के पास उपलब्ध तत्संबंधी रिकार्ड अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही की थी । केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने भी रेल मंत्रालय के परामर्श से बांदरा आर्सलिंग यार्ड रेलवे स्टेशन से तत्संबंधी रिकार्ड कब्जे मे लेने की कार्यवाही की क्योंकि इसकी बुकिंग वही से कराई गई थी । इसके बाद यह मामला अगस्त, 1973 में तफतीश और रिपोर्ट के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया गया था ।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरों से इस संबंध में अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो दो प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार अपराधी व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

3. केन्द्रीय जांच ब्यूरों से अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनसे कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि भारतीय उर्वरक निगम का कोई कर्मचारी इस मामले से संबंद्ध हो ।

4. देश में रासायनिक उर्वरकों की कमी के कारण कुछ समाज-विरोथी तत्व इस स्थिति का नाजायज लाभ उठा रहे हैं और मिलावट, चोर बाजारी आदि जैसे कदाचार कर रहें हैं । इस स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार ने अपराधियों से निपटने के लिये राज्य सरकारों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार दिये हैं जिनमें उन पर संक्षिप्त मुकदमें चला कर दंड देने के अधिकार भी शामिल हैं । राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे अपने गुण-नियंत्रण सम्बन्धी निरीक्षण तेज कर ।

Shri Hari Singh : India is facing food crisis today and the officers of Food corporation of India are playing with the lives of our peasants by adulterating the Fertilizers. It is strange that the officers of Fertilizer Corporation of India kept quite while this racketwas going on. I want to know the names of the

States to which fertilizers mixed with granulated mud were sold and sent. Have the responsibilities been fixed on the concerned officer? Will a Parliamentary Committee be formed for its investigation? I want to ask the Government whether a commission with the representation of farmers will be set up for the proper distribution of imported fertilizers? Finally, I want to know whether the Government will exempt the farmers who used this fertilizer from the payment of taxes?

श्री सी0 सुब्रह्मण्यम् : मैं इस बात से सहमत हूं कि समाज-विरोधी तत्व देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं । इस मामले में भारतीय उर्वरक निगम का कोई हाथ नहीं है । इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया से भी किसी प्रकार के उर्वरक का आयात नहीं किया गया है । अतः हमारे साथ किसी विदेशी चाल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह तो एकदम निराधार बात है । यह तो उर्वरकों की कमी के कारण, कुछ व्यक्तियों द्वारा स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास करने का साधारण मामला है । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें उपयुक्त सजा दी जायेगी । दुर्भाग्यवश, रेल मंत्रालय से कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आया एक अधिकारी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त है । यह घटना ध्यान में आने के बाद हमने उस अधिकारी को रेल मंत्रालय में वापस भेज दिया है । इस घटना में खाद्य निगम या उर्वरक का कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि आयोग स्थापित किया जाय । इस मामले की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो सक्षम है । रेल अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : पंजाब के किसानों को 15 लाख रुपये का उर्वरक बेचा गया और उनके साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई । इस नुकसान के लिये उन्हें कौन मुआवजा देगा । इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की है ।

हमें मालूम हुआ है कि यह मामला जांच के लिये जुलाई 1973 से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास पड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों को कब तक दंडित किया जायेगा । माननीय मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय का अधिकारी इसमें अन्तर्ग्रस्त है । परन्तु वह अधिकारी अन्य अधिकारियों की मिली भगत के बिना कुछ नहीं कर सकता था । इस बारे में भी कोई कार्यवाही की जानी है । उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि होने के बाद लोग इसमें मिलावट करने लग गये हैं । क्या इस प्रसंग में उर्वरकों की खुले बाजार में बिक्री संबंधी प्रश्न पर पुर्नविचार किया जायगा ताकि अन्ततः किसान को लाभ हो ?

श्री सी0 सुब्रह्मण्यम् : यह सच है कि धोखाधड़ी का केवल यही एक मामला नही है । इन मिश्रणों के द्वारा घटिया किस्म के उर्वरकों को सप्लाई करने के भी कई मामले हैं । यह गम्भीर मामला है और हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहें हैं कि इन कदाचारों को कैसे रोक जाए । यह सुझाव नहीं माना जा सकता कि ऐसे मामलों में ठगे गये लोगों को मुआवजा देने के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ।

यह बात गलत है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों इस मामले की जांच में विलम्ब कर रहा है और इसे कोई महत्व नहीं देता है प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति के विरूद्ध जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी ।

Shri B.S. Bhaura(Bhnatida): This case has been taken very lightly by the hon. Minister who says that the adulteration was done by the anti-social elements and that they are not to be blamed for that. Besides, adulterated fertilizers have been sold to the farmers in Punjab through Punjab Agro-Industries Corporation.

Socalled anti-social elements are getting encouragement from their officers.

Punjab is called granary of India but its full requirements of fertilizers have never been met. Last year, Punjab demanded three and half lakh tonnes of fertilizers whereas only three lakh tonnes were allotted to it.

I will suggest that the affairs of Fertilizer Corporation of India should be looked into thoroughly and the distribution should be made through the Govermental agencies.

श्री सी0 सुब्रह्मण्यम् : मैं इस बात से सहमत नहीं हुं कि इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया । जांच के दौरान अब तक यह सिद्ध नहीं हो सका कि भारतीय खाद्य निगम अथवा उर्बरक निगम के अधिकारी इसके वित्तरण से सम्बद्ध हैं । यदि यह सिद्ध हो जाय तो हम उनके विरूद्ध अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

समाज-विरोधी तत्व से मेरा अभिप्राय उन के व्यक्तियों से है जो भ्रष्टाचार करते हैं । अतः मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय खाद्य निगम से सम्वन्धित हो अथवा सरकारी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार करेगा उसकी पुरी जांच की जायगी तथा उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

Shri Madhu Limaye (Banka): The hon. Minister has stated in his reply that 'because of the shortage of chemical fertilizers in the country. some atni-social elements are exploiting the situation and indulging in malpractices like adulteration, black marketing etc.' Thus, had there been no shortage of fertilizers in this country, the anti-social elements would not have found any opportunity to exploit the situation.

In this context, I would like to know from the hon. Minister whether Government will make efforts to secure utilisation of full capacity of the fertilizer plants in the country in the current year to increase the production.

The hon. Minister has also stated that State Governments have also been asked to step up their Quality Control Checks. I would like to suggest that there must be some kind of control over the fertilizers dealers. I also suggest that the distribution of fertilizers should be made through Cooperative societies to avoid black-marketing and other such evils.

May I also know whether Government propose to evolve a procedure of issuing cards to farmers on which they could get minimum quantity of fertilisers at fixed prices? Certain cases of malpractices in respect of seeds have come to our notice. I have written a letter to the hon. Minister regarding the consignment of 2800 tonnes of foodgrains sent to Food Corporation, Calcutta. It is quite strange that this consignment reached Jhanjharpur instead of Calcutta. Considerable quantity of foodgrains has been misappropriated by the employees of F.C.I. and other people. In this context, I would like to sugest that public distribution system should be improved by the Government.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस कमी का मुख्य कारण उर्वरक सयत्रों कि पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना है । इस सम्बन्ध में यथा संभव प्रयास किये जा रहे हैं । मेरे सहयोगी पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री ने यह ग्राश्वासन दिया है कि हमारे देश में स्थित कारखानों से 15 लाख टन उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा । लाइसेंस सम्बन्धी व्यवस्था में कड़ाई कर दी गई है । जिन व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायतें हैं उनसे लाइसेंस वापस ले लिये जाते हैं तथा सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है । विभिन्न कम्पनियों द्वारा देश में उत्पादित उर्वरकों के वितरण को पूर्ण रूप से ग्रपने हाथ में लिये जाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ।

उर्वरकों की सप्लाई के लिये कार्ड दिय जाने का सुझाव महत्वपूर्ण है । यह प्रस्ताव मैंनें स्वयं किया था । इससे किसानों को ऋण तथा खाद-बीज ग्रादि कें बारे में पर्याप्त सुविधा मिल सकती है । ज्ञात हुग्रा है कि तमिलनाडु तथा कर्नाटक ग्रादि राज्य सरकारों नें यह व्यवस्था ग्रारम्भ कर दी है । ग्रन्य राज्यों को भी यह प्रक्रिया ग्रपनानें कें लियें प्रोत्साहित किया जायेंगा ।

जहां तक छोटें किसानों का सम्बन्ध है, उनकें लियें पृथक कोटा दिया जाता है । छोटें किसानों को भी प्राथमिकता के ग्राधार पर खाद-बीज ग्रादि की सुविधायें दी जाती है । माननीय सदस्यों का यह कहना सच है कि यदि उर्वरकों की कमी को दूर कर दिया जायें तो इस सम्बन्ध में होने वाले भ्रष्टाचार स्वत: समाप्त हो सकतें हैं । लोक वितरण प्रणाली में कुछ दोष ग्रवश्य है । मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इन दोषों को दूर करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जायेंगे ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रगला कार्य ग्रारम्भ करने से पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । श्री मधु लिमये ग्रौर श्री वाजपेयी के विशेषाधिकार प्रश्न पर मैंनें विनिर्णय दिया था । उस ग्रवसर पर टिप्पणी से मेरा ग्राशय ग्रपमान जनक टिप्पणी से था ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I have nothing to say against your ruling. I do not claim that Government officers or civilians have no right to differ from the committee of the Parliament. I mentioned about the facts and Shri Das wanted to contradict the facts.

अध्यक्ष महोदय : जहाँ मैंने कहा था 'नो रेफरेंस' उसका तात्पर्य 'नो डेरोगेटरी रेफरेंस' से था। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

10 वाँ प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक प्रक्रिया आरम्भ की थी कि अगले सप्ताह की कार्यवाही की घोषणा के समय नियम 377 के अतंर्गत ध्यान दिलाने वाली सूचना के अवसर पर सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं । नियत समिति के अनुसार प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट का समय मिल सकता है। किन्तु माननीय सदस्यों ने भाषण देना आरम्भ कर दिया है । मेरे लिये यह कठिनाई का विषय है । मैं पहले नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने की अनुमति दूंगा तथा बाद में स्थिति देखूंगा । मै इस परम्परा को जारी नहीं रख सकता ।

Shri Madhu Limaye : Kindly dont discontinue this practice.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में 16 सदस्यों ने सूचना दी है । मैं सभी को किस प्रकार समय दे सकता हूं । सरकार ने भी कहा है कि इस प्रकार गैर सरकारी कार्य के लिये बहुत समय दे दिया जाता है । मैं नियम 377 के अन्तर्गत केवल एक मामला उठाने की अनुमति दूंगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : वक्तव्य देने से पूर्व मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा सभा से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार शुक्रवार को सभा का अधिक समय गैर-सरकारी कार्य पर खर्च हो जाता है । आगामी गुरुवार को परमाणु विस्फोट पर तीन घंटे की चर्चा होगी। सोमवार और बुधवार को 5·30 म० प० पर आधे घंटे की चर्चा की जाएगी। सरकारी कार्य के लिये 3 बजे म० प० से 5.30 बज म०प० तक सप्ताह में केवल तीन दिन मिलते ह । इस प्रकार सरकार कैसे कार्य कर सकती है ?

74M/J(D)6LSS—

5 अगस्त 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित अन्य सरकारी-कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्य-सूची से शेष रहे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. (क) मुख्य पत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 1974
(विचार तथा पास करना)

(ख) हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 1974
(विचार तथा पास करना)

(ग) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974
(विचार तथा पास करना)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मेरा अनुरोध है कि सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को मिलने वाले इस अवसर को समाप्त न किया जाये । आप चाहें तो समय घटाकर दो मिनट कर दीजिये किन्तु इस प्रक्रिया को समाप्त मत करिये ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान बिहार राज्य में नियंत्रित स्टेपल धागे की अपर्याप्त सप्लाई क कारण बुनकरों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इसका सही सही उत्तर दें । मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना बता सकता हूं कि 8,585 गांठें अलाट की गई थी किन्तु केवल 1,611 गांठें ही सप्लाई की गई हैं । भागलपुर में 25,000 हथकरघे हैं तथा इस उद्योग में 2.50 लाख श्रमिक लगे हुये हैं । पर्याप्त मात्रा में धागा न मिलने के कारण वे लोग भूखों मर रहे हैं । धनाढ्य व्यक्ति इस स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस समस्या का शीघ्र ही कोई समाधान निकालें ।

Shri Swami Brahamanandji (Hamirpur): I would like to invite the attention of the hon. Minister to the case of Brahmachari Keshav Ram who is on hunger strike for the last two days. An assurance was given by the Government that aged freedom fighters would be provided with homes. Four homes have been allotted, but the possession has not been given to the freedom fighters. I requested the Government to take suitable steps in this regard.

Shri Ram Kanwar (Tonk): I draw the attention of the hon. Minister to the fact that Rajasthan Government have procured food-grains mostly from the people belonging to Scheduled Castes. They have been threatened to be sent to jails. On the other hand, big farmers have been favoured and foodgrains have not been procured from them. As a result of the forced procurement from the small farmers, there people are facing starvation now. Most of the poor people in Rajasthan are living in a precarious condition. No arrangements to provide them with essential commodities, like kerosene, course cloth, etc. have been made so far by the Government. The hon. Minister should tell us the justification in this regard.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : More than 35 lakhs of people have been affected by the flood havoc in most of the rivers, like Kosi, Mahananda, Manch, etc. in north Bihar. It has caused loss of dozens of human lives and numerous cattle heads. Road as well as Rail transport have stopped. Flood waters have entered the big cities like Darbhanga, Kishanganj, Madhubani, etc. The people of this area have been facing a devastating situation. The relief provided by the State Government is negligible. In this context, I urge upon the hon. Minister that this matter should also be included in the business of the House for the next week for discussion.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I support the point raised by Shri Swamiji. Secondly I draw the attention of the hon. Minister to then dirtiest city of the world, Patna which is the Capital of the State of Bihar. In the absence of adequate drainage system, there people have to lead a life of hell. The Bihar Government have not been able to improve the living conditions of the people there.

The Bihar Government submitted a slum clearance scheme of Rs. 70 lakhs but the Centre has sanctioned Rs. 42 lakhs for the purpose. I am sorry to observe that the Central Government has given a sum of Rs. 20 lakhs to the State. The hon. Minister should make a statement in this regard.

श्री समर गुह (कंटाई) : वृद्ध तथा निर्बल स्वतंत्रता सेनानियों के लिये शरणस्थलों की व्यवस्था की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार ने इण्डिया गेट पर लगाई जाने वाली प्रतिमा के बारे में अभी तक सदन को कोई जानकारी नहीं दी है सभा ने इस प्रस्ताव का एक मत से समर्थन किया था कि वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिये। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सरकार सभा को अपने निर्णय से अवगत कराये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, hundreds of employees working in the various offices under the Auditor General are being suspended or their services terminated. I request that detailed statement should be made in the House in the next week in this connection. Several writ petitions are then against the Congress Candidates for Presidentship, Shri F.A. Ahmed (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : इस अवसर का आप उस कार्य के लिए क्यों उपयोग करते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want a statement from the Government.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

Shri Madhu Limaye : I want that the motion regarding the 'Maruti' should be included in the business of discussion. According to the newspapers, licence for 50,000 automobiles has been given to this firm. In view of the shortage of steel it is a serious matter.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विदिव कुमार चौधरी के इस प्रस्ताव के बारे म वक्तव्य दें कि राष्ट्रपति पद के लिये दोनों प्रत्याशियों को रेडियो और टेलीविजन पर अपने-अपने चुनाव दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अवसर दिया जाये । दूसरे

चीनी आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये समय निर्धारित किया जाये। तीसरे, आज के समाचारपत्रों म 20 लाख रुपये के उत्पादन शुल्क का बड़े अधिकारियों द्वारा घोटाला किये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है। इस सम्बन्ध में भी वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री वयालार रवि (चिरंमिकिल) : हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की केरल स्थित अखबारी कागज परियोजना के चालू होने में बहुत विलम्ब हो गया है। केरल की जनता में अब यह आशंका उत्पन्न होने लगी है कि कच्चे माल की कमी के कारण इस परियोजना को कहीं अन्यत्र अन्तरित न कर दिया जाये।

1958 में केरल के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नम्बूदरीबाद ने बिड़ला बन्धुओं को 33,000 एकड़ भूमि पट्टे पर दी थी, तथा वही लोग अब इस परियोजना में विलम्ब करा रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि वहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। केरल सरकार ने अब यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वहां कच्चे माल की कमी नहीं है। अतः परियोजना में विम्लब नही होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि औद्योगिक विकास मंत्री इस सन्दर्भ में एक वक्तव्य दें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : मैं सरकार का ध्यान केरल में विद्यमान विकट बाढ़ तथा खाद्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां करोड़ों रुपयों की फसल नष्ट हो गई है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल को खाद्यान्न की तुरन्त सप्लाई की जाये तथा मंत्री महोदय इस बारे में सदन में एक वक्तव्य दें।

मुझे खाद्य मंत्री के इस वक्तव्य पर आश्चर्य है कि केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को तब तक अतिरिक्त खाद्यान्न सप्लाई नहीं करेगी जब तक वहां हड़ताल समाप्त न की जाये। एफ० ए० सी० टी० की हड़ताल का खाद्यान्न सप्लाई से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, आपको याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने वचन दिया था कि अप्रैल और जून, 1974 से देय महंगाई भत्ते की दो किस्तों की आदयगी न किये जाने के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो याद नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस सम्बन्ध में चर्चा का अध्यादेशों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये जुलाई में जारी किय गये थे। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री के आश्वासन के बावजूद कन्द्रीय सरकार के कमचारियों को महंगाई भत्ते की दो किस्तें अदा नहीं की गई है।

रेल मंत्री तथा अन्य मंत्री महोदय से हजारों रेल कर्मचारियों और डाक तथा तार विभाग तथा अन्य विभागों के केन्द्रीय सरकार के लगभग उन 2,000 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लने के बारे में वक्तव्य देने को कहा गया था जिन्हें सेवा से हटा दिया गया था या हटाये जाने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने 10 मई को हुई हड़ताल में भाग लिया था। अभी तक वक्तव्य नहीं दिया गया है। यदि 15 अगस्त तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे सभा का कार्य नहीं चल सकेगा।

हम साधारण पारपत्रों के आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते रहे हैं मुझे कहा गया है कि जब तक उप-सचिव के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक संसद सदस्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने हस्ताक्षर करें। हमें अस्थाई राजपत्रित अधिकारी बताया गया है।

इस मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है और मैं श्री सुरेन्द्रापाल सिंह को भी सूचना दे चुका हूं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गृह मंत्रालय या विदेशी मंत्रालय से, जिस किसी का भी इस मामले से सम्बन्ध हो, कहें कि वह आवश्यक अनुदेश जारी करें। मुझे इस बात पर आपत्ति है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अनुचित हस्तगतकरण, शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है जबकि हमें ऐसे मामले उठाने का अवसर सप्ताह में एक बार मिलता है ......

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के समक्ष गत 14–15 वर्षों का इतिहास रखूंगा जिससे इस बात का पता चलेगा कि यह बात कितनी आगे बढ़ गई है।

श्री पी० जी० मावलंकर : 17 अगस्त को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। यद्यपि इस चुनाव के मतदाता केवल संसद सदस्य, विधायक और विधान-परिषदों के सदस्य ही हैं तथापि इस चुनाव का राष्ट्रीय महत्व है। अतः राष्ट्र को इस चुनाव के उम्मीदवारों के विचार सुनाये जाने चाहिए। अतः सरकार को इस बारे में प्रबन्ध करना चाहिये कि दोनों उम्मीदवार आकाशवाणी और टेलीविजन के विभिन्न केन्द्रों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें। मैं आशा करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सरकार वक्तव्य और आश्वासन देगी।

Mr. Speaker : They are personally visiting various States.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Reports have been received from Lucknow that some banks are refusing to except 100 rupee notes . The banks say that the Reserve bank of India has sent a notification to them wherein they have been asked not to accept a certain series of notes. If this is the condition, what is the meaning of the announcement made by the Minister of Finance ?

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorkhpur): It is happening in the whole of U.P.

Shri Atal Bihhari Vajpayee : If Shri Pandey is correct, it is a serious matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to raise a matter about the office of the Comptroller and Auditor General. Action has been taken against hundreds of employees who participated in the symbolic strike on the 10th May. We want the Minister of Finance to take the House into confidence and put an end to the victimisation being done there.

Thirdly, no time has been allotted next week for a discussion on the food situation .. ..

Mr. Speaker : The hon. Members have to do so.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am not in the Business Advisory Committee.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I have received two telegrams. One is from the Secretary to the Brotherhood of the office of the Accountant General, Allahabad in which it is stated 'Resentment caused by arbirary suspension of an active trade union worker'.

The Minister of Home Affairs and the Minister of Finance should make a statement as the police went to the office.

The other telegram is from Shri Abdul Razak. He writes—'Impression for withdrawal of writ against Fakhruddin Ali Ahmed. Help me for safety of my life and family'.

अध्यक्ष महोदय : ये निर्वाचन सम्बंधी मामले हैं। मानवीय सदस्य को निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए। मैं अपना निश्चित विनिर्णय दे चुका हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order. Shri Fakhruddin Ali Ahmed was the Minister of Wakfs. Can any matter be not raised about Wakfs' ?

Mr. Speaker : Now he is contesting election for Presidentship. The hon. Member should have raised this matter when he used to sit here as Minister.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान गंडक परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां वर्तमान स्थिति यह है कि बिहार में गंडक परियोजना के अधिकारियों ने किसानों को सूचित किये बिना एस्केप चैनलों से इतना अधिक पानी छोड़ दिया है कि मक्का और धान की खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं और सैंकड़ों लोग वेघर हो गए हैं। ऐसा किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुआ है अपितु अधिकारियों की असावधानी और निष्ठुर रवैये के कारण हुआ ह।

संसदीय कार्य मंत्री इस परियोजना पर चर्चा के लिये कम से कम दो घंटे का समय रखें।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : जब मैंने उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रश्न उठाया था तो आपने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये निदेश दिया। कल मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया। आपने उड़ीसा में सूखा की स्थिति के बारे में भी वैसा ही निदेश दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सूखा की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लियेतो मंत्री महोदय से नहीं कहा था परन्तु बाढ़ पर जब चर्चा होगी तो सूखे पर भी हो जायेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिये दो बज कर तीस मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch to meet again at thirty Minutes past fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन क पश्चात दो बज कर पैंतीस मिनट म०प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

हरिजनों पर अत्याचार के बारे में
RE: ATROCITIES ON HARIJANS

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूं । गुजरात के सुन्दर नगर जिले के एक गांव मीठाधोडा में डायाभाई मीठाभाई परमार नामक एक 35 वर्षीय हरिजन को इतना पीटा गया कि वह मर गया । इसी जिले के रणमलपुर में पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी । 2000 से अधिक हरिजन उसकी अन्त्येष्टि में शामिल हुए । इससे पहले ऐसी घटनाओं की पुनरावृति हो, मैं गृह मंत्री से इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करता हूं ।

कंपनी (संशोधन) विधेयक
COMPANIES (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : विधेयक के खंड (2) के उप खंड (1) के द्वारा खंड (18-क) अन्तस्थापित किया जा रहा है जो "समूह" के अर्थ को व्यापक बनाने के लिये है ।

कम्पनी विधि-बोर्ड एक ऐसा निकाय है, जिसे अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्य तथा शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती हैं फिर भी व्यक्तिगत मामलों में परिभाषा की प्रयोजनियता से सम्बन्धित प्रश्नों पर किये गये निर्णय कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा संयुक्त समिति की सिफारिश पर किये जा सकते हैं और यह क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजन द्वारा केन्द्रीय सरकार से उसे मिला क्षेत्राधिकार नहीं होगा । अपितु इस अधिनियम के द्वारा यह क्षेत्राधिकार प्रत्यक्ष रुप से कम्पनी विधि बोर्ड को मिलेगा । इससे कम्पनी विधि बोर्ड को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार मिल जायेगा ।

खंड 3 : इस खंड द्वारा धारा 4क और 4ख अन्त:स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है धारा 4ख में "वही प्रबन्ध" की व्यापक परिभाषा है ।

समिति ने महसूस किया कि "वही प्रबन्ध" की विद्यमान परिभाषा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लागू रहे परन्तु एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के द्वारा स्थापित कम्पनियों में "वही प्रबन्ध" की व्यापक परिभाषा लागू होनी चाहिए

तदनुसार प्रस्तावित धारा 4ख एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को अन्तरित कर दी गयी है ।

उच्च न्यायालयों द्वारा काफी समय से प्रयोग की जा रही कुछ शक्तियों को कम्पनी विधि बोर्ड को अन्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए, माननीय सदस्य इस बात पर गौर करेंगे कि समिति ने यह महसूस किया कि केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़े तो कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर नौ की जाये ताकि उच्च-न्यायालय की शक्तियों से सम्बन्धित मामले, जिन्हें कम्पनी विधि बोर्ड को अन्तरित करने का प्रस्ताव है, बोर्ड द्वारा गठित एक या अधिक बेंचों द्वारा शीघ्रतापूर्वक निपटाये जा सकें ।

खंड 6 : माननीय सदस्यों को पता है कि कम्पनी अधिनियम की वर्तमान धारा 43क (1) में उपबन्ध है कि जहां एक या अधिक निगमित-निकायों के पास किसी गैर-सरकारी कम्पनी की प्रदत्त रोचक पूंजी 25 प्रतिशत से कम है तो ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियां सरकारी कम्पनियां बन जायेंगी । पुरःस्थापित रूप में इस विधेयक में उपरोक्त प्रतिशतता को 25 से घटा कर 10 करनें की व्यावस्था है । अत : संयुक्त समिति ने महसूस किया कि शेयर पूंजी की प्रतिशतता को कम करके दस, करने से लघु उद्योग क्षेत्र की प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के गठन और विकास में बाधा पड़ने की संभावना है । अतः वर्तमान धारा 43क (1) के उपबंध में परिवर्तन नहीं करना चाहिए । तदनुसार विचाराधीन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी प्राइवेट कम्पनी का औसत वार्षिक लाभ तीन निरन्तर वित्तीय वर्षों में एक करोड़ रुपया या अधिक हो जाये तो वह सरकारी कम्पनी बन जायेगी, चाहे उसकी प्रदत्त शेयर पूंजी कितनी ही क्यों न हो ।

विधेयक का एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध कम्पनियों द्वारा जमा राशि को स्वीकार किये जाने के बारे में है । यह अनुभव किया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए निदेशों के बावजूद, ये कम्पनियां जमा राशि को स्वीकार करती ही हैं और कानून से बचती रही हैं । अतः विधेयक में ये प्रस्ताव शामिल किए गए हैं कि इन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, ऋण ग्राह्यता का जमाकर्ताओं को पहले से पता चल जाये । ब्यौरा स्पष्ट करवाने के लिए जो नियम बनाये जायेंगे वे रिजर्व बैंक के परामर्श से बनाये जायेंगे ।

मैं विधेयक के खंड 12 का उल्लेख कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध नई धारा 108क से 108ज तक के साथ है । इस खंड को अन्तर्गत समिति ने नई धारा 108ज इसलिये अन्तःस्थापित की है कि यह राय थी कि शेयरों के उस अन्तरण का नियम जिससे कम्पनियां सरकारी नियंत्रण में चली जायेंगी, अन्तरण का नियम केवल उन्हीं कम्पनियों पर लागू होना चाहिये जो एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अध्याय तीन के का भाग के अन्तर्गत आती हैं ।

संयुक्त समिति ने एक चार्टड एकाउन्टेड द्वारा एक ही समय पर लेखापरीक्षा किये जाने के लिये 20 कम्पनियों का काम करने की अधिकतम सीमा लगाने का प्रस्ताव किया है और 20 कम्पनियों की इस सीमा क अन्दर वह 25 लाख रुपये या अधिक प्रदत पूंजी वाली दस कम्पनियों का काम ले सकता है ।

विधेयक के उपबन्धों का उद्देश्य न केवल अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार करना है अपितु नियमित क्षेत्र में कार्य कुशलता और सामाजिक न्याय बढ़ाना भी है । लोगो में भारी उत्सुकता है कि उन्हें कम्पनियों के कार्यकरण की अधिकाधिक जानकारी हो, चाहें वे देशी कम्पनियां हों, अथवा विदेशी कम्पनियां । हमारा यह प्रयास है कि लोगों को संतुष्ट किया जाये ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मंत्री महोदय ने अन्तिम वाक्य नहीं पढ़ा कि वह सभी संशोंधन मान लेंगे ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं उन कुछ संशोधनों पर सहमत होंऊगा जो मुझे उचित और अच्छे लगेंगे .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां प्रक्रिया को नियमित करने के लिये हूं । कृपया बैठ जाईये । यह जटिल विधेयक है और इस पर केवल तीन घंटे का समय रखा गया है । श्री पंडा ।

श्री डी० के० पंडा : (भजनगर) : विधेयक का निर्दिष्ट उद्देश्य आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की समस्याओं से निपटना है । इस विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है, परन्तु वर्तमान संशोधन से कोई अधिक परिर्वतन नहीं होने वाला है । हम आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाये हुए है । वर्तमान विधान द्वारा भी यही बात स्वीकार की गई है कि उद्योग आदि में निजी एकाधिकार के संवर्धन से राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी, जब कि किसी राज्य में यदि महंगाई बेतन कटौती आदि होती है तो उसका मूल कारण एकाधिकार गृह है वस्तु स्थिति यह है कि हमारे देश में एकाधिकार के कारण ही बरबादी हो रही है । अतः जो संशोधन किये जा रहें है वे पर्याप्त नहीं है ।

असाधारण मूल्य-वृद्धि पर विचार करते हुए मेरा कहना है कि वास्तविक उत्पादन लागत का पता केवल लागत लेखा परीक्षा से ही चल सकता है । यदि लागत की लेखा परीक्षा की जाये तो इन्वेटंरी नीतियों में सुधार हो सकता है । प्रयुक्त सामान का आकार विकृत कर दिया जाना चाहिये ताकि उसे नये सामान के स्थान पर रखे जाने की संभावनाओं को रोका जा सके ।

कम्पनी विधि मंत्रालय के अधीन बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध एक मामला हुआ था । उसके वर्तमान चेयरमैंन के आचारण पर अलोचनात्म टिप्पणियां की गई थी फिर भी उसके नाम का इसी मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया है । ऐसा क्यों हुआ है ? हिन्दुस्तान लीवर की यूनियन के नेताओं को बरखास्त किया गया है और काम पर वापस नहीं लिया गया है । वह वनस्पति का उत्पादन करके इसके स्थान पर अन्य वस्तुऐं बना रहे है ।

मेरा संशोधन इस आशय का है कि जहां 25 लाख रुपये से अधिक राशि लगी हों वहां लागत लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिये ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

43 वाँ प्रतिवेदन

श्री सी० के० चन्द्रपप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 43वें प्रतिवेदन से, जो 1 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 43वें प्रतिवेदन से, जो 1 अगस्त, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

लोक सभा के लिये नये चुनावों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. FRESH ELECTIONS TO LOK SABHA

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री समर गुह के संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) मेरा नियम 30(1) और 30(2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है । इस संकल्प पर चर्चा गत समय से अन्तिम दिन प्रारम्भ हुई थी और सदन की बैठक स्थगित कर दी गई थी और अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है ।

नियम 30(1) और 30(2) के अनुसार जब किसी विधेयक या संकल्प पर चर्चा स्थगित हो जाती है, तो दुबारा चर्चा करने के लिये उस विधेयक या संकल्प की प्राथमिकता का का निर्धारण बैल्ट द्वारा किया जायगा ।

मेरा निवदन यह है कि इस पर चर्चा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, क्योंकि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया गया था ।

श्री मधु लिमये (बांका) : आप कृपया नियम 336 पढ़िये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के बारे में चर्चा को स्थगति करने का कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था, इसलिये इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

चर्चा अनिश्चित काल के लिये भी स्थगित नहीं की गई थी, क्योंकि जब इस पर चर्चा पूरी नहीं हुई थी, तब यह समझा गया था कि इस पर चर्चा फिर शुरू की जाएगी ।

पहले यह नियम था कि अगर पहले संकल्प या विधेयक पर चर्चा अगर पूरी नहीं हो पाती थी, तो दूसरे नम्बरवाला विधेयक या संकल्प व्ययगत हो जाता था और उसकी प्राथमिकता का निर्धारण दुबारा बैल्ट से करना होता था। अब हमने उस नियम में ढील दे दी है । अब दूसरे नम्बर वाला विधेयक या संकल्प व्ययगत नहीं होता बल्कि अगामी बैठक में उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

नियम 336 के अनुसार सत्रावसान होने पर संकल्प व्ययगत नहीं होता ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प मुख्यत: प्रधान मंत्री से सम्बन्धित है और वह सदन में अनुपस्थित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने मुझसे सदन को यह सूचित करने के लिये अनुरोध-किया है कि वह सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगीं और गृह मंत्री श्री उमांशकर दीक्षित सदन में उपस्थित रहेंगें ।

श्री समर गुह : लोक सभा भंग करने की मांग करने वाला यह संकल्प एक असाधारण विधेयक है और प्रत्यक्षत: संसदीय लोकतन्त्र की विचारधारा के प्रतिकूल है, परन्तु देश की वर्तमान स्थिति का इसी से समाधान सम्भव है ।

देश की राजनैतिक प्रणाली का क्रांतिकारी समाधान करने की आवश्यकता है और वह महात्मा गांधी द्वारा बताये गये अहिंसक जन-आन्दोलन और जनक्रांति के माध्यम से करना होगा ।

हमारे देश में जो स्थिति इस समय है, वह क्रांति के लिये परिपक्व है। इस स्थिति से अव्यवस्था हिंसा और सभी प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न हो सकते है। किसी भी प्रकार की आयोजना मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय से इस राष्ट्रीय संकट का समाधान सम्भव नहीं है । इस राष्ट्रीय संकट का मूल कारण मात्र आर्थिक संकट या राजनैतिक संकट ही नहीं है, बल्कि इसका कारण वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिज्ञों में लोगों के अविश्वास का संकट है ।

किसी सदस्य ने यह सुझाने का प्रयास किया कि क्या यह राष्ट्रीय सरकार का गठन करने का प्रयास है । जी नहीं, छ: लंगड़ी टांगें सातवीं टांग को मजबूत नहीं बना सकतीं । स्वाधीनता संग्राम की वह परम्परा समाप्त हो चुकी है, जब राजनीति को देशभक्ति के बराबर माना जाता था । हमारे देश जैसे राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्परा अन्य किसी भी देश में नहीं मिलती । आज जन आन्दोलन क माध्यम से ही वर्तमान राजनीतिक ढांचे का शुद्धीकरण सम्भव है । आज सभी राजनीतिज्ञों की आत्मा को झझकोरने की आवश्यकता है । आज चुनाव मात्र एक परम्परा बन कर रह गये हैं । संसद और विधान सभा को जनता आज राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा-पूर्ति का साधन समझती है ।

आज केवल श्री जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय संकट से उत्पन्न गम्भीर स्थिति को ठीक तरह से समझा है । इसीलिये उन्होंने जन आन्दोलन और पूर्ण क्रांति का आह्वान किया है । श्री जयप्रकाश नारायण जनता की उस शक्ति के पुर्नस्थापित करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, जिसे सत्तारुढ़ पार्टी ने दबा दिया है ।

जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के विरुद्ध सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अनेक प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं । यह कहा जा रहा है कि दो दशकों के बाद श्री जयप्रकाश नारायण राजनीति में पुनर्प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं । वह बिहार विधान सभा भंग करने की मांग करके जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने ही तो प्रतिनिधियों का चुनाव किया था । यह भी आरोप है कि बड़े व्यापार गृहों के षड्यन्त्र के कारण इस आन्दोलन का जन्म हुआ है और उनके आन्दोलन में बड़े पूंजीपतियों और विदेशी धन का प्रयोग किया जा रहा है । यह भी कहा गया है कि दलहीन लोकतन्त्र की अजीब मांग की जा रही है और वह छात्रों के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं । प्रधान मंत्री ने स्वंयं श्री जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन को क्रांति-विरोधी कहा है । यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री जयप्रकाश नारायण देश में फासिजम की स्थापना के अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं ।

श्री जयप्रकाश भविष्य की आशा के प्रतीक हैं । श्री जयप्रकाश राजनीति से कभी अलग रहे ही नहीं । उन्होंने आज तक एक भी दिन अपने लिए व्यतीत नहीं किया । उनकी राजनिति पार्टी राजनीति से भिन्न प्रकार की राजनीति–जनता की राजनीति थी । वह इस बात में विश्वास करते थे कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के माध्यम से समाजवाद की स्थापना जनता की शक्ति का विकास करने से सम्भव है । भूदान और ग्राम दान के माध्यम से सर्वोदय आन्दोलन द्वारा जनता की शक्ति को वह विकसित करना चाहते थे । परन्तु जब उन्होंने यह देखा कि जनता के अधिकारों का सत्तारुढ़ पार्टी ने दमन करना है और जो जनता सर्वोच्च होती है, उसका वर्तमान व्यवस्था में कहीं कोई स्थान ही नहीं है । इसीलिए वह राजनैतिक पार्टियों और विशेष रूप से सत्तारुढ़ पार्टी के अधिकार की तुलना में जनता के अधिकारों को प्रमुखता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं ।

यह भी कहा गया है कि बिहार विधान सभा भंग करने की मांग करके वह जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने ही प्रतिनिधियों का चनाव किया था । प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए । चुने हुए प्रतिनिधि उस जनता का अपमान कर रहे हैं, जिसने उन्हें चुनकर भेजा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार प्रस्तावक को 30 मिनट दिए जान चाहिए और अन्य सदस्यों को 15 मिनट । आप 30 मिनट बोल चुके हैं । इसलिए आप अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री समर गुह : मुझे 10 मिनट का समय और दिया जाय ।

कांग्रस पिछल 27 वर्षों से सत्तारुढ़ है । किसी भी जगह कांग्रेस को 50 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले । अभी हाल के उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को केवल 30 प्रतिशत वोट मिले । इसीलिये चुने हुए प्रतिनिधि जनता का ध्यान नहीं रखते । प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का

अधिकार जनता को देने की मांग की जाती है, तो उससे इनकार करना जनता का अपमान नहीं है ।

सत्तारुढ़ पार्टी के लिए धन संग्रह करना बहुत ही आसान है । 1921, 1930 और 1942 के आन्दोलन जन-आन्दोलन थे । जनता ने उन आन्दोलनों के लिए स्वयं धन पेश किया था । 5 मई का श्री जयप्रकाश नारायण का जो विराट प्रदर्शन आयोजित किया गया था, उसमें बसों, रेल-गाड़ियों या अन्य परिवहन साधनों का उपयोग नहीं किया गया था ।

दलहीन लोकतन्त्र को अजीब विचारधारा कहा गया है । मार्क्स की विचारधारा का अन्तिम लक्ष्य ऐसे साम्यवाद की स्थापना है जिसमें सम्पत्तिहीन, वर्गहीन और राज्य हीन समाज हो । इसलिये किसी को दलहीन लोकतन्त्र को अजीब विचारधारा कहने का अधिकार नहीं है ।

यह कहा जाता है कि जयप्रकाश छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं । प्रत्येक राज्य में परीक्षा से पहले और उसके बाद एक साल नष्ट हो जाता है । 30 लाख शिक्षित नवयुवक बेरोज-गार हैं । श्री जयप्रकाश का आन्दोलन जनता की शक्ति का उपयोग जनता के लिए करने का है । 'गरीबी हटाओ' के बारे में सत्तारुढ़ पार्टी क्रांति कहती है, जबकि वे इस बात को जानते हैं कि दो तिहाई जनता गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रही है ।

यह भी कहा गया है कि श्री जयप्रकाश नारायण देश में फासिज्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं । पार्टी मशीनरी प्रशासनिक मशीनरी पर पूर्ण नियन्त्रण करने का प्रयास कर रही है जन प्रचार माध्यम का नियन्त्रण किया जा रहा है सत्तारुढ़ पार्टी में व्यक्ति पूजा की विचारधारा का विकास किया जा रहा है । न्यायपालिका को कार्यपालिका के मातहत किया जा रहा है । सारा प्रशासन एक व्यक्ति की मुट्ठी में है । **(व्यवधान)** वह दिन दूर नहीं है, जब इन्हें सत्ता से निकाल बाहर किया जायेगा । यह पुलिस राज है । ब्रिटिश काल में भी इतना गोलीकाण्ड और हत्यायें नहीं होती थीं, जितनी काँग्रेस राज्य में हैं । देश पहले ही फासिज्म की छाया में हैं ।

बिहार विधान सभा भंग होने के बाद सारे देश में इसकी प्रतिक्रिया होगी । सभी विधान सभायें भंग होंगी और अन्त में लोक सभा भंग की जायगी । तब एक नई राजनैतिक व्यवस्था कायम होगी । जनता श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to make a submission regarding the Notice of amendment, which I had given.

उपाध्यक्ष महोदय: आपका संशोधन नियमों के अनुकूल नहीं है, इसलिये अस्वीकार्य है ।

Shri Madhu Limaye : According to rules, an amendment shall be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

Now I have given a new amendment which comes within the scope of the motion. It has been said in my amendment that the new election should be held on the basis of constitutional and lagislative amendments providing for extension of franchise to all those who are more than eighteen years of age introduction of a practicable method of proportional representation at elections to Lok Sabha and Vidhan Sabhas, provision of financial assistance

from the Government treasury to parties and Candidates at these elections and the dis-continuance of private Collection for election purposes. You should admit my amendment.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह के संकल्प में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वे वर्तमान संविधान के अधीन की जा सकती है। आपके संशोधन को स्वीकार करनें का मतलब संविधान का संशोधन करना होगा जो संकल्प के माध्यम से नहीं किया जा सकता। आपनें विस्तार क्षेत्र को व्यापक कर दिया है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Sir, There are two main demands, which have been made in the Resolution moved by the Honourable member. First, Lok Sabha should be dissolved and secondly as there is extra-ordinary National crisis and mass agitation, therefore a national Government should be formed. He has given no facts and figures in support of his arguments. Democracy does not mean that the majority Government duly elected by the people should not run the administration. If such resolutions are moved in the House, the people's faith in the democratic set up would be shaken. The people, who move such resolutions, represent the section of society which is frustrated. I would urge Shri Samar Guha to resign his seat of Lok Sabha first, when he is re-elected, then only he should move such a resolution.

श्री समर गुह : गम्भीर स्थिति उत्पन्न होनें पर ऐसा करने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : Even the Prime Minister has admitted that the economic situation is bad and prices are rising. I do not agree that there is an extra ordinary national Crisis. There was an extra ordinary national crisis in U.K. when Fascist Hitler had attacked the Empire. A National Government was formed there on that occasion. Four year back, there was a serious draught in the Country and it was feared that millions of people would die. But on that occasion also, our democracy proved to be a success. The elections are very expensive. Would it be in the national interest to hold elections at short intervals.

At present, there is serious draught situation in some parts of the country. There are floods as well. The Government has to meet the challenge, but there is no need to form a national Government for that purpose.

It has been said that our Government in U.P. got the support of 32 per cent of the electorates. But his party has got only·0001, 2 or 3 per cent of votes and he want to have place in the National Government.

The S.V.D. Government, were formed in West Bengal, Bihar, U.P. and Madhya Pradesh, but the experiment showed that such S.V.D. Governments miserably failed. These persons are putting all the blames on the ruling party, but they do not look to their own defects. There is no national crisis, though there is an economic crisis and the prices are rising, but if Lok Sabha is dissolved as a result of economic crisis. The capitalists may create another economic crisis if the Government of their liking is not formed and Lok Sabha would again be dissolved.

In the context of the mass agitation, he has referred to Lenin. There was the rule of Czar there, but here there is a Government duly elected by the people.

If there is mass upsurge, the Assemblies and Lok Sabha would not be dissolved, but they would be discended. Lok Sabha could be dissolved only on two occasions. First when Prime Minister wishes to dissolve it, secondly on the expiry of its term. Last time when there were about 180 Congress Mambers in the House, the opposition had challenged the Government to dissolve the Lok Sabha. But when Lok Sabha was dissolved. The strength of Congress Members. rose to more than 350 in the House.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) :

This resolutionshould be rejected as it is against the democratic set up, patriotism and the people. The mover of the motion has referred to Lenin and Gandhi in his speech, but he does not have no faith either in Lenin or Gandhi.

I fully agree that there prices are rising, there is corrupption and unemployment and the Country is passing through an economic crisis. There is discontent among the students due to present educational system. There are various other problems which are not being solved. The real cause is the Capitalist system which has created all the problems. The Honourable Members is side-tracking the issue by not mentioning the real causes

The Honourable Member has referred to Bihar. Shri Jai Prakash Narain says that the problems of farmers and workers should not be raised. He has also said that the revolution would not be brought about by the working class. Shri Jai Prakash has insulted the whole working class by saying this.

The Youths who are taking part in the Bihar agitation are generally the sons and daughters of black marketeers and big officers. They can not be expected to bring about revolution in the country.

It is not democracy that five youth's should ask a representative who has been elected by lakhs of people, to resign. Such people do not have faith in democracy. This is not the way to solve the problems of the Country.

My party believes in the right to recall. If twenty percent of people or one-six of electorate given in writing to resign my seat, I would certainly resign my seat.

The Bihar agitation is a fascist movement. This movement is not going to solve the problemes of the country. Shri Jai Prakash says that Bihar assembly be dissolved and all the problems would be solved. Has the dissolution of Gujarat Assembly ended Corruption and solved any other Problem ?

One who supports such agitation has no responsibility towards the problems facing the Country. The genuine demands of students should be accepted. Job-oriented education should be introduced so that the un-employment problem may be removed. Different political parties cannot run the Government through Coalition. Check should be imposed on the profits being

earned by the Capitalists. The black money has assumed great proportions. No action is being taken to demonetise the hundred rupee note. Tax arrears on this big monopoly house should be cleared. Essential Commodities should be distributed through Public Distribution System. The Land reform act should be introduced strictly. Provisions of Power, water, fertilizer should be made for the farmers. Repression attitude towards workers should be changed and wage freeze should not be implemented.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली): मुझे विश्वास है कि श्री गुह का तात्पर्य लोक सभा भंग करने से नहीं है। संभवतः इस संकल्प के द्वारा वे श्री जयप्रकाश नारायण को उनके विरुद्ध आलोचना से बचाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वे लोक सभा से चले जाएं क्योंकि विभिन्नताओं में ही सुन्दरता निहित है। उन्होंनें स्वयं ही कहा है कि यह अभूतपूर्व संकल्प है और सामान्य लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के विरुद्ध है। मैं यह नहीं कहता हूं कि गत 25 वर्षों से चली आ रही यह राजनीतिक व्यवस्था बिना किसी न्यूनताओं से पूर्ण हैं और इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। परन्तु यह व्यवस्था देश की आवश्यकताओं से मेल खाती हैं और इसने विभिन्न चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना किया है। इस राजनीतिक व्यवस्था की कुछ लोगों द्वारा आलोचना की जाती है। आलोचकों का एक वर्ग राजनतिज्ञों का मजाक उड़ाता है। श्री समर गुह भी इसमें शामिल हो गये हैं,। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी राजनीतिज्ञ अच्छे या बुरे होते हैं। मेरे विचार से सभी राजनीतिज्ञ दलों के सार्वजनिक जीवन में शुद्धिकरण होना चाहिये। परन्तु यह कहना उचित नहीं है कि कुछ राजनीतिज्ञ ठीक आचरण नहीं रख रहे हैं तो इसलिये संपूर्ण राजनीतिज्ञ व्यवस्था दोषपूर्ण है। मैं समझता हूं कि श्री गुह स्वयं संकल्प को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। वे क्रान्ति और जन-आन्दोलन की बात करते हैं। मैं श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन की आलोचना में नहीं पड़ना चाहता हूं। पर कुछ लोक ऐसे हैं जो लोकतन्त्र के नाम पर लोकतंत्री संस्थाओं को गिरा देना चाहते हैं। अहिंसात्मक आन्दोलन के नाम पर हिंसा का तांडव हो रहा है। इस देश से लोकतंत्र को मिटा देने के लिये सभी प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनका लोकतंत्र से विश्वास हट गया है। वे जब चुनाव जीतते हैं तब तो सब ठीक है परन्तु जब वे चुनाव हारते हैं तो वे चुनावों को बेकार समझते हैं और कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी की गई है। यह दुखः की बात है कि इस देश में विरोधी दल जनता के निर्णय का आदर नहीं करते हैं। इस देश की जनता स्वविवेक से अनेक प्रतिनिधियों को चुनती है। आज देश के सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका सामना केवल लोकतंत्री संस्थाओं और जनता के निर्णय स ही किया जा सकता है। संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जनता ने बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और वह आज भी करेगी। मुझे विश्वास है कि जनता का निर्णय संसदीय संस्थाओं के पक्ष में होगा। इस शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The resolution put by Shri Samar Guha has two aspects. Firstly it depicts the prevailing condition and secondly it gives the solution thereof. No one can deny that the country is facing extra-ordinary situation today. Some raise the question of floods and other the question of droughts. Thousand of persons died of small pox. Such situation cannot be described as normal. If the ruling party try to understand this

situation with open heart then the problem can be understood. They should adopt good things from the points made before them. We have informed you about the situation and the solution is with you.

People ask as what we are doning in the Lok Sabha. Is our work is to impose new taxes here only ? What reply should we give them? We should try to understand the people's contention and remove their grievances first. Have you try to understand why the dissolution demand of Bihar Assembly is being raised? It is because the Congress Party did not fulfill its promises made at the time of elections. When the people came to know that only struggle for occupying the chairs are going on in the realm of affairs, then they raised their voices. There faith on the Government and in the political system has proved futile. Under such circumstances there is no use saying that we reject Shri Samar Guha's resolution. Be introvent and think over the whole situation. The circumstances are compelling the people to raise their voices we should find out some solution. The democratic institution should be meaningful and deliver the goods to the people. As we are also part of the Government so we raise our voices on wrong doings. It is my submission that with open heart the problem should be solved so that the objective of his resolution may not be defeated.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : मेरी अनजाने में की गई टिप्पणी से श्री समर गुह को जो चोट पहूंची है उसके लिये मैं क्षमा मांगता हूं । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे कुछ और जिम्मेदार बने और सदन में कुछ और गम्भीर रहें ताकि उनकी बातों को मज़ाक के तौर पर न लिया जाये ।

मैं वर्तमान आर्थिक संकट को कम करके नहीं देख रहा हूं जिसके कारण देश में संसदीय लोक तन्त्र को खतरा उत्पन्न हो गया है । मैं स्वीकार करता हूं कि गंभीर आर्थिक संकट है । परन्तु प्रश्न यह है कि इसका समाधान क्या है ? व्यक्ति के जीवन के समान राष्ट्र के जीवन में गंभीर संकट आते हैं । परन्तु जिन्हें संसदीय लोकतन्त्र में आस्था है वे इस संकट का दृढ़ता से मुकाबला करते हैं । इस दृष्टिकोण से यदि संकल्प को देखा जाये तो यह एक बहुत बड़ा मजाक लगेगा । इस संकल्प में कहा गया है कि देश में अभूतपूर्व संकट आया हुआ है और इसका समाधान यह है कि सब दलों की कार्य वाहक सरकार बना कर तथा लोक सभा भंग करके दो महीनों के अन्दर चुनाव कराए जाएं । जहां तक संकट का सवाल है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करुंगा ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री जय प्रकाश नारायण जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस प्रकार का रास्ता अपनाया है । वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे समक्ष एक आदर्श के रूप में रहे । मुझे प्रौफेसर समर गुह के इस सुझाव पर आश्चर्य है कि वह विपक्ष में मिल जायेंगे । श्री नारायण से इस प्रकार की आशा करना उनका भ्रम है । यह अलग बात है कि आज कुछ राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दल उनके नाम तथा आदर्शों से अनुचित लाभ उठाने में लगे हुये हैं ।

दूसरी बात यह है कि यदि यह बात मान भी ली जाये कि श्री जयप्रकाश नारायण समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार, काला बाज़ार, कर अंक्जन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल एक सुधारक के रूप में बजाने पर लगे हुये है तो भी उन्हें इन सब के राजनीतिक परिणामों से मुक्त नहीं किया जा सकता । वह राजनीतिक असंतोष तो बढ़ा रहे हैं परन्तु उसका उत्तरदायित्व स्वीकार करने को तयार नहीं हैं

आज के श्री जयप्रकाश नारायण 1942 तथा 1957 के जयप्रकाश नारायण से भिन्न हैं। महात्म गांधी के अनुसार साधन सदैव हो उचित तथा स्वच्छ होना चाहिये। इस दृष्टि से श्री नारायण द्वारा राजनीतिक दायित्व को अपने उपर लिये बिना असंतोष फैलाना अनुचित है।

मैं समझता हूं कि सदन में कोई भी इस प्रकार की राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मौखिक रूप से यह बताया गया है कि चर्चा आज 5 बजे तक समाप्त हो जायेगी और इसलिये मंत्री महोदय को 4.40 मिनट पर बुलाया जायेगा। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है वह तो मना लिये जायेंगे। यदि विरोधी दल वाले भी सहमत हो तो हम मंत्री महोदय को 4.40 बजे बुला लें।

कुछ सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर विपक्षी दलों के सदस्यों को पांच-पांच मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री जे० माता गौडर (नीलगीरी)* : इस समय हमारे देश के समक्ष एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है तथा इन परिस्थितियों में यदि लोक-सभा को भंग करके नये चुनाव करवाये जायें तो इसका तात्पर्य होगा राष्ट्रीय बजट पर लगभग 50 करोड़ रुपये का और अधिक खर्चा डालना और आर्थिक संकट को और अधिक गंभीर बनाना। अतः सरकार इन परिस्थितियों में अपनी शक्ति चुनाव कराने में खर्च नहीं कर सकती। हां सरकार अपनी सम्पूर्ण शक्ति का भरसक उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिये कर रही है क्योंकि बढ़ती हुई मुद्रास्थिति के समाधान का एक मात्र साधन देश की सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का भरसक उपयोग करना ही है।

हमारे देश ने व्यस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया है। सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ है। देश के अधिकांश लोग जीवन यापन के लिये संघर्षरत है तथा उनके पास आर्थिक समस्यांओं व पेचीदगियों के समझने का समय नहीं है। इसी व्यापक निरक्षरता का ही परिणाम है कि आज उनके समक्ष कोई ऐसा वैकल्पिक राजनीतिक दल भी नहीं है, जिस पर विश्वास किया जा सके। ब्रिटेन आदि सशक्त लोकतन्त्रीय देशों की तुलना में हमारे देश में विपक्ष बहुत कमजोर है। यहां के विभिन्न विपक्षी दलों के अपने-अपने विचार तथा कार्यक्रम हैं अतः उनसे अच्छे प्रशासन की आशा करना व्यर्थ है।

विपक्षी दलों को लोकतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार के साथ संघर्ष करने का पूर्ण अधिकार है और इसी के परिणामस्वरूप हाल ही में उन्हें सरकार के प्रति अपना अविश्वास प्रस्ताव

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिपत हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त फिर 1976 में सांविधिक रूप से चुनाव होने हैं अतः फिर वर्तमान विस्फोटक आर्थिक स्थिति में उप-चुनावों की मांग करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

Shri D.N. Tiwari (Gopalganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the very preamble of the resolution is wrong. Shri Samar Guha has also referred Shri Jai Prakash Narain but Shri Narain has never stated that Lok Sabha be dissolved. The fact of this situation is that he has never supported the demand of dissolution of Bihar Assembly of his own but he has been forced to do so by certain things. I remained very close to Shri Narain and hence I can say it with some authenticity.

Shri Jai Prakash Narain is a man of renounced integrity. It is most unfortunate that a person of his eminence has taken recourse to what he is doing. But in our constitution there is no provision of recalling the Members back to their constituencies. But other moral means are there. They can get the signatures of 51 percent voters, they can pile up moral force. But instead of all these logical tactics they are indulging into Gheraos and other unconstitutional means.

श्री नवल किशोर सिंह (पीठासीन हुए)

Shri Nawal Kishore Sinha in the Chair

The resolution speaks of a caretaker Government which will represent all parties. But how it is practicable to form such a Government ? Such a Government can only be formed on the basis of a common programme. But if there is no common programme, a national Government can not function. My suggestion to Shri Guha is that in the wider national interests he should withdraw his Resolution.

Shri Madhu Limaye (Banka) : My learned Congress friends have tried to ridicule the Resolution without an attempt to understand its spirit. It was in 1963 that late Shri Ram Manohar Lohia said that 60 per cent people of India can hardly make their both ends meet. They are underfeeded. The same poverty of Indian people was exploited by our present ruling party and they won the elections by giving the slogan of 'Garibi' hatao'. But now the tables have been turned. The poverty has increased. That is why I say that ruling party is no longer enjoying the mandate of the people and hence there is a demand for the dissolution of the Lok Sabha.

During the elections to Lok Sabha, the ruling party had promised to tackle the problem of unemployment. But as a matter of fact unemployment has increased. That way also there in nothing wrong is asking the Government to step down.

The present ruling party is ruling the country even though it has secured a minority vote. This is because of our defective election system. The representation in Lok Sabha and State Assemblies should in proportion to the number of

votes polled by each party. Congress rule with minority vote in fact is a murder of democracy. Lok Sabha should be properly constituted if principle of proportional representation is to be adopted.

The resolution suggests an all party Government because the ruling party has made use of Government machinery and its power to win elections. An all party Government can ensure fair elections and hence all of us should support the Resolution.

श्री पी० वेंकटा सुबैया (नन्दलाल) : यह संकल्प घोर निराशा का प्रतीक है। विपक्ष के सदस्यों के मन में यह कुण्ठा व्याप्त है कि जनता का प्रतिनिधित्व केवल वे ही करते हैं। आज यदि जनता में लोकतन्त्रीय व्यवस्था अथवा संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास कम हो रहा है तो उसका कारण सत्ताधारी दल नहीं अपितु स्वयं विपक्षी दलों का व्यवहार ही है। आज यदि लोकतन्त्रीय व्यवस्था संकट में है तो उसका कारण विपक्षी दलों का दृष्टिकोण ही है।

1967 के चुनावों के पश्चात् संयुक्त सरकारों का गठन हुआ। संयुक्त सरकारों के बनने और उनके गिरने में कोई समय नहीं लगा। सत्ताधारी दल ने ही 1971 के चुनाव जीत कर लोगों के मन में संसदीय लोकतन्त्र के प्रति आस्था फिर से उत्पन्न की। वास्तव में देश में संसदीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सत्ताधारी दल का अपना निहित स्वार्थ है। परन्तु विपक्षी दल संवैधानिक तरीकों से जनता को जीतने में असमर्थ होने के कारण देश में संसदीय लोकतन्त्र को समाप्त करना चाहते हैं।

इस प्रकार के संकल्प से सदन की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। यह सच है कि हमारे देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है परन्तु आर्थिक संकट और राजनैतिक संकट में अन्तर है। केन्द्र में हमारी सुदृढ़ सरकार है और राष्ट्रीय आपात्तकालीन स्थिति घोषित करने, लोक-सभा भंग करने और सर्वदलीय सरकार की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: इस संकल्प को वापस लिया जाना चाहिये।

श्री रण बहादुर सिंह (सिंधी): संकल्प के प्रस्ताव ने सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है कि लोकतन्त्र एक विकासशील पद्धति है और जहाँ तक हमारे लोकतन्त्रीय संस्थाओं की बात है, ये हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुये हैं। लोकतन्त्र के एक सजीव पद्धति होने के नाते इसके विकास और प्रगति के अपने ही अवसर एवं संभावनाएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की वर्तमान कठिनाईयों को ही इस संकल्प का आधार बना लिया गया है इसी कारण चर्चा से भी स्पष्ट हुआ है कि आज की कठिनाईयों की हवा में बह कर हम देश में लोकतन्त्रीय संस्थाओं के विकास की बात को भूल गये हैं।

इस संदर्भ में यह सही है कि इस सदन में तो लोकतन्त्र है परन्तु यदि कोई ग्रामीण क्षेत्रों में जायें तो पायेगा कि लोकतन्त्र का कहीं नाम तक नहीं रह गया है यह कोई अच्छे चिह्न नहीं हैं। लोकतंत्र को यदि सुदृढ़ होना है तो यही अवश्यक नहीं कि सदन में लोकतन्त्र हो अपितु आवश्यक यह है कि गांव में भूमि जोतने वाला लोकतन्त्र के आस्तित्व को महसूस करें और समझें कि वह लोकतन्त्र क एक अंग है। आज तो यह स्थिति है कि पांच वर्ष के पश्चात् वह लोकतन्त्र के आस्तित्व को समझता

अतः इस संकल्प पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। इस संकल्प से हमें अपनी लोकतन्त्रीय संस्थाओं का पुनर्विलोकन करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अतः हमें स्थिति पर फिर से विचार करना होगा और नया दृष्टिकोण अपनाना होगा।

Shri Narsingh Narain Pandey : This resolution is anti-democracy. It represents the thinking of reactionary and capitalist forces. The parties supporting this resolution can not unite hence there is a remote possibility of their strengthening the democracy in the country. The people of the country also cannot have any faith in their people.

During the agitation in Gujarat, dissolution of Assembly was demanded. The Assembly was dissolved but now people feel that they were better under the Congress Government. They are still facing the problems of rising prices and corruption. Droughts have created an economic crisis in the Country and this situation can be tackled only with some Constructive approach. The parties behind the agitation do not have any constructive approach. They have no common ideology amongst them. If they have to form a Government, the same would not be based on democratic traditions but would be based on fascism. These efforts can be called murder of democracy and that is what the imperialist powers want to do in this Country. The people have realized this and will not allow fascism and dictatorship to come up in the country.

The mover of the Resolution had taken part in the freedom struggle to set up Parliamentary Democracy in the Country. He should respect the Constitution of the Country and withdraw the Resolution moved by him.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : An agitation has been going on in Bihar for the dissolution of the Assembly. At the same time I was fighting election to the Lok Sabha. It was said that while on the one hand, my party was demanding dissolution of the Assembly, on the other hand I was trying to get elected. I had announced at that time that if the Lok Sabha failed in fulfilling the expectations of the people, a demand would be raised for its dissolution as well. Inspect of this announcement, I had been elected. This Resolution has now provided me with an opportunity to express my views.

People are facing economic difficulties. If the Government fails to understand its responsibility, the time is not far when the people will demand its dissolution as well. It may be said that such demands are a danger to democracy. But when Parliament could be dissolved at the instance of the Prime Minister and that did not constituted a danger to democracy then its dissolution on the demando f the people would also not constitute any danger to democracy in the country. In fact, if it is dissolved to meet the wishes of the people, this would strengthen democracy in the country.

It is said that the dissolution of the Gujarat Assembly has not solved the problems. There has not been any appreciable change in the situation. The fact remains that though the Asssembly had been dissolved the power remains in those hands who controlled it at that time. ·The reigns of power were not given to people. Central Government is running the administration through

beauroerats. Because of this, there has not been any improvement. Elections should be held and powers given to elected representatives. If they are unable to improve the situation and forget their assurances, the Assembly should again be dissolved. Such an agitation could continue till the situation improves.

It is said that the term of the Lok Sabha is five years. But it is also a fact that when a nation faces difficulties, it can terminate before time. It will not wait for the term of the Lok Sahba to the over and will act to bring about the change.

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बलासोर) : इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करने के स्थान पर बेहतर होता यदि लोक सभा के कार्यकाल को बढ़ाने का सकंल्प प्रस्तुत किया गया होता । लोगों की आर्थिक स्थिति व राजनैतिक विक्षोभ की स्थिति का लाभ उठा कर आज लोक सभा भंग करने की बातें की जा रही हैं ।

बंगला देश संकट के समय भी विपक्षी नेताओं ने संयुक्त सरकार बनाने की बातें की थीं । परन्तु कांग्रेस ने अपने साहस और कौशल से युद्ध में सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि एक दृढ़ संकल्प बहुमत-प्राप्त दल किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम होता है ।

संसद को भंग करके हम देश में अव्यवस्था फैलाने को कभी भी सहमत नहीं हो सकते 1967 के चुनावों के पश्चात्, अनेक स्थानों पर संयुक्त सरकारों का गठन हुआ । परन्तु उनका परिणाम यही हुआ कि विधान सभाएं भंग हुई और मध्यावधि चुनाव हुए । उसके पश्चात् भी कई स्थानों पर फिर संयुक्त सरकारें बनीं और फिर उन्हें भंग किया गया । अत: इस स्थिति को जानते हुए हम लोक सभा भंग करने एवं पुन: चुनाव कराने की बात का समर्थन नहीं कर सकते ।

हमारा देश लोक तान्त्रिक देश है और हमने इंगलैंड की लोकतन्त्रीय संसदीय पद्धति अपनाई है । इस देश में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं कि संसद ने स्वंय अपने भंग करने का सुझाव दिया हो । ऐसा सुझाव देने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री को ही है । और वह भी किसी राष्ट्रीय संकट के उपस्थिति होने के अवसर पर । यहां पर इस प्रकार का कोई संकट दिखाई नहीं देता । यह ठीक है कि हम कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं परन्तु यदि हम इस अवसर पर आपस में सहयोग करें व कन्धे से कन्धा मिला कर चलें तो इस में कोई सन्देह नहीं कि हम इस संकट को पार कर सकेंगे ।

इस प्रकार की कोई भी संयुक्त राष्ट्रीय सरकार नहीं बन सकती जो देश का हित कर सके और इस संकट की घड़ी में केवल कांग्रेस दल ही श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में देश को उत्थान के पग पर ले जा सकता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस संकल्प के इस रूप से पूर्णतया सहमत नहीं हूं क्योंकि इसमें अनेकों बातों को इक्ट्ठा कर दिया गया है । इसी कारण चर्चा के दौरान विभिन्न विषय उठाय् गये हैं । परन्तु इसके बावजूद हमें इस पर गंभीरता से विचार करना है ।

मेरे विचार से कोई भी सदस्य इस सदन में स्थायी रूप से रहने के हक में नहीं है । यह सदन अवश्य स्थायी निकाय है परन्तु सदस्यता तो एक अस्थायी बात है । हम आज सदस्य हैं, कल नहीं भी हो सकते और उसके पश्चात् पुनः सदस्य हो सकते हैं । श्री समर गुह ने अभूतपूर्व राष्ट्रीय सकंट का उल्लेख किया है परन्तु यहां पर सोचने की बात यह है कि उस संकट का जो हल इस में सुझाया गया है, क्या उससे यह बीमारी ठीक हो जायेगी ?

कुछ लोगों ने गुजरात का उल्लेख किया, परन्तु वास्तविकता यह है कि गुजरात की स्थिति पर्णतया भिन्न थी । गुजरात में विधान सभा भंग करने की मांग सभी वर्गों की मांग थी । शासक दल सहित सभी राजनैतिक दल विधान सभा भंग करने की मांग कर रहे थे । ऐसी स्थिति में उस मांग को नहीं रोका जा सकता । देश के बारे में हम ईमानदारी से यह नहीं कह सकते कि समूचे देश के लोग लोक सभा को भंग करने की मांग कर रहे हैं । अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिये ।

हम श्री समर गुह की इस बात से सहमत हैं कि देश की अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ रहा है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की बहुमत प्राप्त सरकार स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकती है ? कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं देगी । फिर संसदीय लोकतंत्र में प्रधान मंत्री को लोकसभा का विघटन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि सर्वदलीय कार्यवाहक सरकार बनाई जानी चाहिये । यह बात मेरी समझ में नहीं आई यदि वह कहते कि अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सरकार बनाई जानी चाहिये तो हम उससे सहमत हो सकते थे बेशर्ते कि वह सरकार केवल दो महीने के लिये न हो । कार्यवाहक सरकार के रूप में राष्ट्रीय सरकार नहीं बनाई जानी चाहिये । फिर उन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति और लोकतंत्र में विश्वास की भावना का उल्लेख किया है । मेरे विचार से चीजें बार बार चुनाव करवाने से नहीं बल्कि इस सभा के सदस्य सप्ताह के अन्त में और अन्तःसमावधि से लोगों के सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और उनको स्थिति समझा सकते हैं ताकि वे समझदारी के साथ मतदान करें ।

हमें भावना में न बह कर यथार्थ पर ध्यान देना चाहिये और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाई रखनी चाहिये । हमें लोक सभा का विघटन करवाने के बारे में न सोच कर भ्रष्टाचार आदि के उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिये ।

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) : This Resolution is not in accordance with the democratic traditions. Even if we admit that ruling party has not been able to remove party may I ask what the opposition parties have done ? I would like to ask whether Gheraos, Bundhs and strikes are patriotic achievements ? Atleast I do not want the opposition to be wiped out because if it happens in the proposed elections, who will play the role of the opposition. Therefore this resolution is of no use.

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता–दक्षिण) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार में यह संकल्प जनता के हित में नहीं है । यह संकल्प कुछ लोगों की निराशा की अभिव्यक्ति है । मेरे विचार में इस प्रकार के संकल्प पर चर्चा करना व्यर्थ है और यह जनता के हित

में भी नहीं है । प्रो० गुह ने अपने भाषण में जनता द्वारा क्रान्ति का उल्लेख किया है और इस सम्बन्ध में लेनिन और महात्मा गान्धी के नाम का उल्लेख किया है, परन्तु लेनिन और महात्मा गांधी न कोई ऐसा इन्कलाब लाने की कोशिश नहीं की जो जनता के हित में न हो । उन्होंने किसानों और श्रमिक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर अपने आन्दोलन चलाये थे । इस संकल्प प्रस्तावक ने किसानों अथवा श्रमिक वर्ग के पक्ष में कभी कुछ नहीं कहा । जनता को क्रान्ति का प्रचार करने के लिये पहले सर्वस्व का बलिदान करना पड़ता है । अतः लोक सभा के विघटन के लिये अपील करने से पहले श्री समर गुह को लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देना चाहिये और दो महीने की अवधि में श्री जयप्रकाश नारायण को नेता मान कर चुनाव लड़ना चाहिये और फिर देखेंगे कि उन्हें सफलता मिलती है या नहीं ।

फिर कार्यवाहक सरकार बनाने की बात कही गई है । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रस्तावक किसको कार्यवाहक स्वीकार करते हैं । हमारी कार्यवाहक नेता तो श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं । मेरे विचार में कुछ राजनीतिक नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हैं परन्तु वास्तव में वे फासिस्टवादी हैं । शासक दल के सदस्य भी आर्थिक समस्याओं को महसूस करते हैं परन्तु वे संसद के विघटन की बात नहीं करते । प्रो० गुह को रचनात्मक सुझाव देने चाहिये । श्रीमती इन्दिरा गांधी और उसकी सरकार को अपदस्थ करने से कोई लाभ नहीं हो सकता । अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को वापस ले लें ।

Shri Shankar Dev (Bidar) : I am a Sarvodaya worker and I consulted Vinoba ji the role to be played by us in the present circumstances. He was of the opinion that people were given an opportunity to select good and honest representatives two years before and now they will have to wait for another three years and then again they will be given an opportunity. Nothing should be done in between. The people should accept the view of the great thinker. With these words I would request the mover to withdrawn this resolution.

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : प्रो० समर गुह ने अपने भाषण में कहीं भी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की मांग नहीं की है । उन्होंने एक संशोधन के माध्यम से यहां तक कहा है कि नई निर्वाचित लोक सभा संविधान के निर्देशात्मक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने क लिये नया संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी । उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी किसी कार्यवाही से देश की रक्षा नहीं हो सकेगी एक ओर वह नये चुनाव करवाने और नया संविधान बनाने की बात करते हैं जिसमें कई महीने लग सकते हैं और दूसरी ओर वह स्वीकार करते हैं कि देश को गम्भीर संकट की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है । अपने भाषण में उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण जी की प्रशंसा की और उनके आंदोलन को सही बनाने का प्रयत्न किया । जहां तक मुझे स्मरण है श्री जयप्रकाश नारायण ने अनेक बार कहा था कि वह राजनीति में भाग नहीं लेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री जयप्रकाश जी ने जब हमारा दल छोड़ा था उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं लोक नीति को मानता हूं लेकिन दल नीति का मैं परित्याग करता हूं ।

श्री उमशंकर दीक्षित : परन्तु उनकी गतिविधियां इस कथन से भी मेल नहीं खाती । यह तो एक तरफा राजनीति है । वह कालेज और लड़कों को आन्दोलन में भाग लेने के लिये आह्वान कर रहें हैं । एक बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने जीवन दान दिया है । वस्तुतः वह अपनी मूल राजनीतिक विचारधारा समय समय पर बदलते रहें हैं । वह साम्यवादी भी रहें हैं ।

यह सर्वविदित है कि संसद का विघटन करने का अधिकार केवल शासक दल के नेता अर्थात् प्रधान मंत्री को है । इसका और कोई तरीका नहीं है । उनका कहना ठीक है कि उनका संकल्प संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध समझा जा सकता है । यह एक ऐसा मामला है जिसका श्री जनेश्वर मिश्र को छोड़कर किसी भी माननीय सदस्य ने समर्थन नहीं किया । श्री जगन्नाथ राव जोशी का कहना है कि प्रो॰ गुह का वक्तव्य वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में ठीक है परन्तु इसका जो समाधान बताया गया है वह ठीक नहीं है । श्री मधु लिमये प्रो॰ गुह का समर्थन कर रहा था कि सकंल्प की शब्दावली में सुधार की गुंजाइश है । द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के माननीय सदस्य ने भी प्रो॰ गुहा के तर्कों का खंडन किया है । यही स्थिति अन्य वक्ताओं की रही है । इससे स्पष्ट है कि यह संकल्प ठीक नहीं है ।

प्रो॰ गुह ने आरोप लगाया है कि हम जयप्रकाश जी को यह कह कर बदनाम करने का प्रयत्न कर रहें हैं कि वह देश में फ़ासिस्टवाद लाने का प्रयास कर रहें हैं । वह हिटलर या मसौलनी नहीं है जो देश की सरकार को अपने हाथ में ले लेंगे । परन्तु बात यह है कि श्री जय प्रकाश नारायण अपने प्रयत्नों में सफल हो जाते हैं तो परिणाम क्या होगा ? श्री जय प्रकाश विधान सभाओं का विघटन चाहते हैं । परन्तु लोक सभा का विधटन श्री समर गुह को छोड़ कर और कोई नहीं चाहता । यदि विधान सभाओं का एक एक करके विघटन होता है तो फिर चुनाव होंगे । सदस्यों की संख्या में कुछ कमी या बढ़ौतरी हो सकती है । परन्तु इस संकट को किस प्रकार दूर किया जायेगा । यदि विधान सभाओं का विघटन होता रहा और बारबार चुनाव होते रहे और यदि संसद का विघटन न भी हो तो इस देश में कैसे दल की सरकार बनेगी ? अराजकता की स्थिति में किस दल को बहुमत मिले और यदि दक्षिण पंथियों ने राजसत्ता सम्भाल ली तो श्री गुहा को निराशा होगी । श्री जयप्रकाश नारायण ने 5 जून के भाषण में बताया था कि एक दल ने उन्हें 100 स्वयंसेवी प्रतिदिन देने का वचन दिया है । हालांकि उन्होंने दल का नाम नहीं बताया फिर भी मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय जनसंघ से था । मेरे विचार में जनसंघ का इस मामले में कोई न कोई राजनीतिक स्वार्थ अवश्य होगा । मुझे इस बात में संदेह है कि श्री जयप्रकाश नारायण और श्री अटल बिहारी बाजपेयी और उनके दल के बीच कोई समझौता होगा ।

श्री जयप्रकाश नारायण दल रहित प्रजातंत्र की बात करते है और दावा करते हैं कि ऐसा प्रजातंत्र संसदीय प्रजातंत्र से श्रेष्ठ है । वह चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के विधायक बिहार विधान सभा से अपना त्याग-पत्र दे दें । शायद यह इच्छा उनके जीवन की सबसे बड़ी ग़लती है । विहार विधान सभा में बड़े पैमाने पर त्याग-पत्र देने के कार्य कार्पक्रम के पीछे श्री जयप्रकाश नारायण को अपने दल का मंगलमय भविष्य दिखाई नही दे रहा ।

Our Constitution framers, have recommended Parliamentary form of Government. Our Constitution has provided us with adult franchise. No alternative has been evolved for Parliamentary form of the Government. If there is any it is of different type such as is found in Russia or China. I do not want to deprive hon. Members of their rights to criticise the Government but they should not try to throttle the Parliamentary democracy.

I fully agree with the hon. Members that economic situation in our Country is grave. Our top economists also hold the same view. In order to face inflation we will have to curtail circulation of currency. Secondly, production in factories and farms should also be enhanced. I assure the hon. Members that all the possible efforts would be made towards this direction. Therefore, I request the hon. Member, Shri Samar Guha to withdraw his resolution.

बैंकों द्वारा 100 रु० के करेंसी नोटों को स्वीकार करने से इन्कार किये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य

Statemen: Re. Reported Rafusal by Banks to accept Hundred-Rupee Carrency Notes

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :

अध्यक्ष महोदय : मैं लखनऊ में बैंकों द्वारा सौ रुपये के करेन्सी नोट स्वीकार करने से इन्कार करने के समाचार के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के कानपुर स्थित कार्यालय से पूछताछ करने पर पता चला है कि गत सोमवार को कानपुर में यह अफवाह थी कि सौ रुपये के नोट बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कानपुर कार्यालय के काउन्टरों पर असाधारण भीड़ थी। काउटरों पर सभी नोटों को बदल दिया गया और आशंका खत्म हो गई। इस आशंका के पीछे तथ्य का समाचार एक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था और यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि बैंकों द्वारा एक विशिष्ट श्रृंखला के 100 रु० के नोटों को नहीं बदला जा रहा। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कानपुर के मैनेजर ने उक्त समाचार का खण्डन कर दिया था। यह समाचार मिला है कि पिछले 2-3 दिनों मे इसी प्रकार की अफवाह इलाहाबाद और लखनऊ में भी थी। बैंक के काउन्टर पर दिये जाने वाले 100 रुपये के नोटों सहित सभी मूल्यों के नोटों को जमा करने और/अथवा बदलने के लिए स्वीकार कर रही हैं।

लोक सभा के लिए नय चुनावों के बारे में संकल्प

Resolution Re Fresh Election to Lok Sabha

श्री समर गुह (कन्टाई) : सत्तारूढ़ दल गत 27 वर्षों से शासन कर रहा है और कहना न होगा कि इस दल की सत्ता से गहरा मोह पैदा हो गया है। जब भी उनको सत्ता की चुनौती दी जाती है तो उन्हें भय हो जाता है कि कहीं उनसे सत्ता छिन न जाए। पक्ष और प्रतिपक्ष की सम्भावत: यह धारणा है

कि यह संकल्प बहुत अधिक हानिकारक है। परन्तु यह धारणा निर्मूल है। एक समय था जब लेनिन ने संविधान सभा को भंग करने का नारा दिया था परन्तु स्तालिन ने उनका विरोध किया था। आज श्री जयप्रकाश नारायण विधान सभा भंग करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि क्रान्ति का समय आ गया है लेकिन उनका विरोध किया जा रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्वाचन ही शासन स्थापित करने का प्रजातान्त्रिक माध्यम है। परन्तु आजकल निर्वाचन में वही सफल होता है जिसके पास धन है। स्टेट्समेन में छपे समाचार के अनुसार आगामी विधान सभा की सीट के लिए खड़े उम्मीदवार को 80,000 रुपये तथा संसद सदस्य की सीट पर खड़े उम्मीदवार को 5 लाख रुपये व्यय करना होगा। क्या इसे निष्पक्ष चुनाव कहा जा सकता है ? क्या ईमानदार व्यक्ति चुनाव जीत सकता है ? सच्चे अर्थों में राजनीतिज्ञ के लिये चुनाव जीतना असम्भव है। नेताजी ने कहा था राजनीति सेवा अथवा साधना है, वैयक्तिक उद्देश्यों का पूरा करने का साधन नहीं। परन्तु आजकल राजनीति स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गया है। इसीलिए लोगों का राजनीति से विश्वास ही उठ गया है।

गायघाट के उप-चुनाव में अनियमितताएं होने के कई समाचार प्राप्त हुए हैं और वहां 11 बूथों का घेराव भी किया गया। निर्वाचन आयुक्त ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां इनके अतिरिक्त हिंसात्मक घटनाएं भी हुई हैं। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं और होंगी। हमारी वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में जन निर्णय को स्थान नहीं दिया जाता। यही बात है कि लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है। देखना यह है कि क्या शासक दल को लोगों का समर्थन प्राप्त है।

मेरे कुछ मित्रों ने मुझे त्याग-पत्र देने के लिए कहा है। मैंने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है। मैं अपनी चेतना के अनुसार काम करता हूं। वर्ष 1971 में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से 1,43,000 वोट प्राप्त हुए जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 36,000 वोट प्राप्त हुए। मुझे इसका घमंड नहीं है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझे अपनी हार अथवा जीत की कोई परवाह नहीं। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। जब राजनीतिक स्थिति गम्भीर अवस्था तक पहुंच जाएगी, तब सबसे पहले में त्याग-पत्र दूंगा।

श्री जयप्रकाश नारायण सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिये हौआ बना हुआ है। मेरे विचार में श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया आन्दोलन राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं।

श्री समर गुह : जी, नहीं।

सभापति महोदय : ऐसी हालत में श्री समर गुह द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं श्री समर गुह का मूल संकल्प सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "देश में बढ़ते हुए अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट को दृष्टि में रखते हुए जिससे वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के विरुद्ध जन-विद्रोह उमड़ रहा है यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि

भारत में समतावादी समाज की स्थापना हेतु लोगों में देश-भक्ति तथा लोकतंत्र के प्रति आस्था पुनः जागृत करने के उपाय के रूप में वह भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान लोक सभा को भंग करने तथा एक सर्वदलीय कार्यवाहक सरकार गठित करने और ऐसी सरकार के गठन के दो मास के अन्दर लोक सभा के लिये नये चुनाव कराने की सलाह दे ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

कृषि श्रमीक के बारे में संकल्प

Resolution Re : Agricultural Labour

श्री गदाधर साहा (वीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"यह सभा चिन्ता व्यक्त करती है कि भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा गरीब किसान जो ग्रामीण आबादी का 70 प्रतिशत है, कारगर तथा यथार्थ भूमि सुधारों के न होने, रोजगार के अवसरों की कमी, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक अन्याय के कारण भारी कठिनाई में है और सिफारिश करती है कि :

(क) कि उनके लिए काम की शर्तें नियमित करके रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया किये जायें ;

(ख) उन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक उचित न्यूनतम मजूरी दर निर्धारित की जाये तथा उसे कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाये ;

(ग) उन्हें राज सहायता प्राप्त दर पर खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जाये ; तथा

(घ) देश भर में अविलम्ब कारगर तथा प्रभावी भूमि सुधार लागू किए जाएं"

सभापति महोदय : निदेश संख्या 9 क के अनुरूप श्री गदाधर साहा का संकल्प अगले दिन के लिए स्थगित होता है ।

इस के बाद लोक सभा सोमवार, 5 अगस्त, 1974/14 श्रावण, 1896 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, August 5, 1974/Sravana 14, 1896 (Saka)

M/J(D)6LSS—490—27-12-74—GIPS

P.L.S. 48.XLI.10.74.(N)

© 1974 प्रतिलिपिधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त ।
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के
नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक
भारत सरकार मुद्रणालय शिमला द्वारा मुद्रित ।

© 1974 BY LOK SABHA SECRETARIAT
PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, SIMLA